खण्ड-433, अंक-10
सोमवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1922
(10 अप्रैल, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क - ग
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने के प्रयास पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ...	1
प्रश्नोत्तर	1–76
सरकार द्वारा ट्रेजरी से धन के निष्कासन पर प्रतिबन्ध एवं विधायक निवासों में गन्दे पानी आपूर्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने का प्रयास ...	76–78
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	78
सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78–79
जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर में सकदन्दी प्रक्रिया हेतु कानूनी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद फिरोजाबाद के कई ग्राम पंचायतों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	79–80
जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़नगर के आवासीय भवनों व प्रतिष्ठानों को सिंचाई विभाग द्वारा तोड़ने के आदेश से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद गोण्डा, मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में बिजली की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80–81
गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं आई०आई०-टी० के समकक्ष वेतनमान देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद अम्बेडकर नगर ग्राम भारड़ीह में फतेहपुर माइनर की खुदाई से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने एवं नहर की खुदाई पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
सरकार द्वारा ट्रेजरी से धन के निष्कासन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास (जारी)	82–83
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	83
सरकार द्वारा ट्रेजरी से धन के निष्कासन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	84–86
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	86
विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रक्रिया में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	86–90
विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	90–93
पंचायतों के चुनाव समय से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	93–97

विधायकों के क्षेत्र में विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के शिलान्यास उद्घाटन विधायकों से न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 98, 102

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया) 102

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम अनुपुर ब्रह्मनान में कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 102

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही में रोडवेज बस डिपो स्थापित किये जाने विषयक श्री रामजतन मौर्य व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 102

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही के ग्राम मतेयू स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजमणि गिरि व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) 102

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही के दुर्गागंज में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अवधेश पाण्डेय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.... (उपस्थित की गयी) 102

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही दुर्गागंज अभोली में निर्माणाधीन 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के लिए धन अवमुक्त कर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गयी) 103

जनपद सन्त रविदासनगर में स्वीकृत महाविद्यालय भदोही के लिए स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराने तथा वर्ष 2000 जुलाई से कक्षायें संचालित कराये जाने विषयक श्री सभाजीत सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.... (उपस्थित की गयी) 103

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अभिया बाजार में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने विषयक श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.... (उपस्थित की गयी) 103

जनपद सन्त रविदासनगर के विकास खण्ड भदोही के उधवा माफी में स्वीकृत मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.... (उपस्थित की गयी) 103

जनपद सन्त रविदासनगर के विकास खण्ड भदोही के ग्राम कुरैया में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को आरक्षित भूमि पर ही निर्मित कराये जाने विषयक श्री ए० एन० सिंह एडवोकेट द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गयी) 104

विषय पृष्ठ संख्या

जनपद सन्त रविदासनगर, भदोही की नगर पंचायत नई बाजार में अधूरी पेयजल निर्माण योजना की जांच कराकर पेयजल योजना को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री राघोराम गुप्ता व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका... (उपस्थित की गयी) 104

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 के पुरःस्थापन पर अनुज्ञा देने के प्रश्न पर मत विभाजन की मांग .....(स्वीकृत). 104–110

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर पुरःस्थापन की अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री के त्याग-पत्र की मांग पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय 110

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) 111

नियम 311 में प्राप्त नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 111–112

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ... 112

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर पुरःस्थापन की अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री के त्याग-पत्र की मांग 112–113

''उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य-प्रणाली को पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय'' के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन 113

''उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय'' के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन... ... 113

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 114-115

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के कार्यकलापों एवं अनियंत्रित प्रशासकीय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज व अन्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 115–117

शिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनयम, 1973 की धारा 31 के उपबन्धों का उल्लंघन कर चयन समिति के गठन तथा अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, उच्च शिक्षा मंत्री के निर्धारित वक्तव्य का स्थगन 117

विषय पृष्ठ संख्या

जनपद मथुरा में भंग के ठेके की नीलामी में की गयी अनियमितताओं तथा "हितकारी भंग का दुर्ग" की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोद्दार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, आबकारी मंत्री का वक्तव्य 117–118

प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निदान हेतु लागत के अनुसार आलू का समर्थन मूल्य निर्धारित करने एवं कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा मनमाने रेट के स्थान पर भण्डारण दर 60/- रुपया प्रति कुन्तल करने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद व अन्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 118–122

जनपद अम्बेडकर नगर में धिरुआनाला की सफाई न किये जाने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 122

जनपद लखीमपुर में खीरी लखीमपुर अन्तर्गत एस०आर०वाई० के धन के दुरुपयोग व नियमित खर्चों की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा० कैप्टन कि०पो० द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 122–123

लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर द्वारा कोंहड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अधिगृहीत लघुसीमांत, असमरमऊ आदि ग्रामों के किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 123–124

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आनन्द प्रकाश, श्री	पड़रौना
इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कार्जी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
के०सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी बाबू लाल,	आगरा
चौधरी लक्ष्मीनारायण	मथुरा
छन्दू पटेल, श्री	वाराणसी
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जिनेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया श्री	गोरखपुर
ज्ञानचन्द्र, श्री	उत्तरकाशी
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दयाशंकर, श्री	जालौन
दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नारायण रामदास, श्री	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फागू श्री,	मऊ
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर

बाबू राम श्री,	जालौन
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
भरत सिंह, श्री	बलिया
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
भोनू राम सोनकर श्री	गाजीपुर
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मंजू, श्रीमती	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मानवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोहम्म सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
यशवन्त, श्री	आजमगढ़
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राकेश सोनकर श्री	कानपुर देहात
राजपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजाराम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाह, डा०	कानपुर नगर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम प्रताप सिंह , श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
रामबीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रूप चौधरी, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
वेद प्रकाश सिंह एम०एस०, डा०	बिजनौर
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम, श्री	मऊ
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री	सहारनपुर
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
होराम, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने के प्रयास पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी नियम 311 के अन्तर्गत .....

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 के बारे में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि नियम–311 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उनको मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है उसके अनुसार उसका निस्तारण हो जायेगा । आप कृपया देख लें कि नियम 56 में शलाका में आपकी सूचना आ गयी है कि नहीं ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सिंचाई शुल्क की दरें बढ़ाने पर सरकार का विचार

**1.–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में सिंचाई शुल्क की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

प्रकरण विचाराधीन है ।

अनुरक्षण एवं परिचालन हेतु उपलब्ध सीमित संसाधनों से नहर प्रणालियां विशेषकर अत्यधिक पुरानी प्रणालियों की दशा खराब होती जा रही है । अतः उत्तर जीविता सुनिश्चित करने हेतु एवं कृषकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये सिंचाई दरों का पुनरीक्षण एक उपाय के रूप में विचाराधीन है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि विगत साल भर से जो सिंचाई का कार्य था जो नया कानून बनाया गया है उसके आधार पर लेखपालों को दे दिया गया था और उन्होंने ज्यादातर सिंचन क्षेत्र अंकित नहीं किया है जिससे प्राब्लम खड़ी हो गयी है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि किसानों को नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ यह सरकार सिंचाई दर बढ़ाने का काम कर रही है । आपने फैसला भी ले लिया है कि इसे दो गुना करेंगे । सदन में आपने भले ही कहा है कि विचाराधीन है । तो कौन सी ऐसी स्थिति है कि दस वर्ष पूर्व इसी आधार पर निस्तारण होना था और आज आप नियमित रूप से पानी नहीं दे पा रहे हैं और यह सिंचाई दर बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पानी उपलब्ध कराना लेखपाल द्वारा यह व्यवस्था से संबंधित है । जहां तक सिंचाई दर बढ़ाने की बात है तो यह निर्णय अभी हुआ नहीं है यह विचारणीय विषय है । चूंकि संसाधन कम है इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है । सिंचाई दर 83 के बाद 95 में बढ़ायी गयी । 95 में यह

83 का दो गुना कर दी गयी । लेकिन अभी यह विचारणीय है । जिन समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है । यह पक्ष में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, यह कहा गया कि सिंचाई दर को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं । क्या आज से दस वर्ष पूर्व जो पानी नहरों से किसानों को मिलता था तो क्या माननीय मंत्री यह व्यवस्था करेंगे कि वही पानी दिलाया जाय ? जहां तक सिंचाई दर 10 प्रतिशत बढ़ाने की बात है उन्हें वही सुविधा दिलायी जाय जो दस वर्ष पूर्व मिलती थी तो किसान 25 प्रतिशत दे सकता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पानी तो नहरों की क्षमता जितनी है उसके अनुसार दिया जा रहा है । यह नदी की उपलब्धता और नहरों की क्षमता उसको देखते हुए दिया जाता है । लेकिन जो टेल क्षेत्र हैं वहां पर निश्चित रूप से पानी कम पहुंच रहा है । माननीय सदस्य ने पिछले 10–15 सालों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज फसल ज्यादा बोयी जाती है इसलिये पानी ज्यादा लगता है । आज तीन-तीन फसलें बोयी जाती हैं । वैसे टेल क्षेत्र में पानी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है । जो माननीय सदस्य ने कहा कि 10 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत बढ़ाने को तैयार है तो इसके लिए आपको धन्यवाद । लेकिन, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ऐसा कुछ भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, विचारणीय है । सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही इस पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अधिकांश किसानों की गूल का पैसा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, गूल का लगान हो रहा है । दूसरे, छोर तक पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि मध्य में लोग ज्यादा पानी ले लेते हैं वहां पर आबपासी बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सिंचाई दर कहीं नहीं बढ़ी है अभी । मान्यवर, जो कुलावे और अन्य के मुआवजे की बात की जा रही है, जिस भूमि को सरकार लेती है, मुआवजे के लिये वह बाध्य है, उसका मुआवजा दिया जाता है । केस अलग-अलग होता है अगर कोई होगा तो उसका परीक्षण करा लेंगे । जहां तक टेल तक पानी की बात है, अभी शिकायत थी कि यमुना क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है, मैंने तुरन्त इसकी जानकारी की और पता लगा कि वहां 50 प्रतिशत पानी कम आया क्योंकि पहाड़ों में अलबायु ठीक नहीं थी । उस क्षेत्र के हर ई०एम० को डेढ़ माह पूर्व आदेश दिये कि परीक्षण करा लें अगर पानी नहीं पहुंचा और विभाग एवं किसान के बीच विवाद है तो इसका लाभ किसान को दिया जाये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो शुल्क लिया जा रहा है, उसमें उत्तर जीविता नहीं थी, उसके अनुसार सुविधा देते तो अनुरक्षण में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती । आज किसान के ऊपर उत्पादन कार्य में खर्च बढ़ता जा रहा है तो उसको देखते हुए प्रस्तावित वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव तो कोई है ही नहीं । इसलिए वापस लेने का सवाल नहीं । सिंचाई शुल्क से प्रदेश में लगभग 140 करोड़ रु० मिलता है । और अनुरक्षण कार्य पर 900 करोड़ रु० खर्च आता है । और

इसे हर सरकार ने दिया है। जो सुविधा हैं उन्हें और अच्छा बनाने के लिये संसाधन कहां से जुटाये जायें इस रुप में एक उपाय की बात है, वह अन्तिम नहीं है, विचारणीय है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रकरण विचाराधीन है सिंचाई शुल्क बढ़ाने का उसमें क्या-क्या बिन्दु विचाराधीन है और दूसरा प्रश्न यह है कि जब से यह पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ये नलकूप चालक और पनरौल को किया गया है तब से इस एक वर्ष में जो माननीय मंत्री जी ने बताया 140 करोड़ रुपया सिंचाई शुल्क में वृद्धि की है तो इस वर्ष कितना सिंचाई शुल्क के रूप में मिल पाया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष की वसूली चल रही है और उसमें से 40 करोड़ रुपया नलकूप का था वह पंचायतों को दिया गया है इसलिये नहरों का वह 105 या 110 करोड़ ही है। नलकूप पंचायतों को दिये गये, विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत एक वर्ष के ट्रायल के लिए नलकूप दिये गये हैं और इसके बाद एक वर्ष पूरा हो रहा है अब इस पर पुनः विचार करेंगे और उसकी उपयोगिता और व्यवस्था के आधार पर यह आगे निर्णय लेंगे क्योंकि अनेक सदस्य इसको कह रहे हैं, नीचे से भी सूचना आ रही है कि नलकूपों को पंचायतों को दिये जाने के विषय पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए तो इसमें एक साल का अनुभव देख लेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान कहा था कि शुल्क अगर बढ़ावें तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर बिजली का शुल्क बढ़ता है तो बिजली की सप्लाई के घंटे बढ़े तो इसमें जो शुल्क बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है उसमें क्या यह शर्त लगाने की कृपा करेंगे कि जो सिंचाई का कमाण्ड एरिया है वह जब पूरी तरह से सिंचित हो जाय तभी शुल्क वृद्धि को लागू किया जाय तो क्या इस को अनिवार्य व्यवस्था के रूप में लागू करेंगे ?

दूसरा मान्यवर, बलिया जनपद में दोहरी घाट सहायक परियोजना का हेड वर्क्स समाप्ति की कगार पर है तो क्या इसको देखते हुए शुल्क मुक्ति के रूप में नया आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जो शर्त विचारणीय है उसमें क्या शर्त होगी क्या नहीं होगी, मा० बरसूराम जी ने पूछा कि क्या होगा तो यह तो कल्पना होगी जो चीज विचारणीय है उसके बारे में क्या कहें ? शासन की भी कुछ गोपनीयता होती है और जब तक यह हो न जाय सदन को सूचित करना यह परम्परा नहीं रही है और उचित भी नहीं है। जहां तक बलिया का सवाल है तो यह निश्चित है कि हम वह सब काम करने का प्रयास करेंगे कि और जो अम्बिका चौधरी जी कहेंगे वे हमारे मित्र भी है और उपनेता भी हैं इनके जिले में कोई कठिनाई है तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने माननीय बी०आर० वर्मा जी के उत्तर में कहा है कि इस साल की वसूली अभी जारी है इसलिये अभी उसका बताना मुश्किल है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो वसूली हो रही है वह पूरे प्रदेश में सींचपालों के द्वारा पड़ताल करने पर होती है और इस समय सींचपाल बहुउद्देशीय कर्मी बना दिये गये हैं और उन्होंने कोई पड़ताल नहीं की है और पिछले के आधार पर सरकार ने वसूली करने का निर्णय लिया है।

(11 बजकर 15 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल किसानों की जो सिंचाई की वसूली हो रही है कि पिछले साल की पड़ताल के आधार पर की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के किसानों में आक्रोश और चिन्ता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सदन से पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं भी कि : नों में असंतोष नहीं है । सिंचाई सुविधा पहले से बढ़ी है, ड्रेनों की सफाई हुई है, नहरों में पानी का संचालन ठीक हुआ है । जब व्यवस्था बदलती है तो कठिनाइयां आती हैं । हमने इस बात का पिछले साल निर्णय लिया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय और इसी के तहत यह काम का अधिकार पंचायतों को दिया गया । कर्मचारियों की अदला-बदली हुई है, यह बात सही है कि इस अदला-बदली के तहत लेखपालों को सिंचाई की पड़ताल करने का अधिकार दिया गया है, वह व्यवस्था के कारण इस कार्य को इस साल नहीं कर पाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

पूरे प्रदेश में पड़ताल नहीं हुई है और बिना पड़ताल के सरकार वसूली कर रही है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पिछले साल जो पड़ताल लेखपालों ने किया था, उसी के आधार पर इस साल पड़ताल मान ली गई । लेकिन यह भी निर्देश दिया गया है कि कहीं भी किसानों को कोई आपत्ति होती है तो उसका जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से परीक्षण कराकर निस्तारण कर दिया जाय और जहां आशंका है, वहां किसान को ही उसका लाभ दिया जाय, यह हमारी नीति है ।

(श्री जगदम्बिका पाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी दूसरा अल्पसूचित प्रश्न बाकी है, इस पर काफी अनुपूरक हो गये हैं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि टेल एण्ड पर काश्तकारों को पानी कम मिल पाता है । मध्य और शुरू में ज्यादा मिलता है । जबकि सामान्य सिद्धान्त है कि जब किसी ट्यूबवेल या नहर का निर्माण होता है तो सबको बराबर पानी पाने का हक है । क्या यह सत्य है कि जब से यह काम पंचायतों को दिया गया है, तब से सेम्टर प्रभावी तरीके से लागू न हो पाने के कारण टेल तक पानी नहीं मिल पा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सिंचाई सुविधा में कोई कठिनाई नहीं आई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । नहरें चल रही हैं और पानी टेल तक पहुंच रहा है । जैसा पहले था, वही आज भी है । सीलपालों की जो बात आपने कही, निश्चित रूप से विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को, जिसे सदन ने भी स्वीकार किया था, उसके कारण

कुछ कठिनाइयां आई हैं, इसीलिये एक साल के बाद इस पर पुनर्विचार कर लिया जायेगा और जो परिवर्तन या संशोधन जनहित में आवश्यक होगा, वह किया जायेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में यह बताया था कि टेल और मध्य का जो क्षेत्र है, उसमें और फसलें पैदा की जाने लगी हैं, जिसकी वजह से टेल तक पानी पहुंचने में दिक्कत है, आप कार्यवाही निकलवा कर देख लीजियेगा, यही उत्तर दिया था, मेरा प्रश्न इसी सन्दर्भ में है कि धान के समय में दूसरी कौन सी फसल पैदा की जानी है ?

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह कौन सी फसल है जो मध्य में हो सकती हैं पर टेल पर नहीं और जब टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है तो जो सिंचित कमाण्ड एरिया है, टेल क्षेत्र का पूरा निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, टेल में पानी कठिनाई से पहुंचता है, वहां पानी नहीं पहुंचता है, यह मैंने नहीं कहा है । लेकिन जो व्यवस्था है, सिंचाई की जबसे यह देश स्वतंत्र हुआ था, वह चल रही है । फसलों का एरिया बढ़ रहा है जो धान नहीं बोते थे, वह धान बोने लगे हैं, जो गन्ना नहीं बोते थे, गन्ना बोने लगे हैं । रोस्टर की जो बात है, किसानों की जबरदस्ती या दबाव के कारण इसका पालन बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है । जब पीक आवर चलता है हम नीचे तक पानी पहुंचाते हैं और हम आगे अच्छी व्यवस्था देंगे ।

(11 बजकर 23 मिनट पर अध्यक्षा श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुये ।)

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही स्पष्ट है कि निश्चित तरीके से जहां सिंचाई नहीं होनी है, वहां की फर्जी आदमारी भरी जानी है और आबपाशी बढ़ाने जाने का भी पूरा-पूरा निर्णय कर लिया है । यह सरकार किसान विरोधी है । इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री धनीराम वर्मा सहित उनके दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में रोगियों के लिये दवाओं का मानक

**2. श्री गोरखनाथ पाण्डेय, डा० सरजीत सिंह बेंग तथा श्री राम सजिवन चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में रोगियों के लिये दवाओं का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उक्त मानकों में अत्यधिक विषमता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस विषमता को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

जी हां । औषधियों की मास्टर सूची में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रा० स्वा० केन्द्र तथा सा० स्वा० केन्द्रों के लिए क्रमशः श्रेणी क एवं ख वर्गीकृत की गयी है और नगरीय क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों के लिए श्रेणी 'ग' वर्गीकृत है । सामान्यतः जिन रोगों का उपचार प्रा० स्वा० केन्द्र एवं सा० स्वा० केन्द्र पर किया जाना अपेक्षित है, उन रोगों के निदान हेतु प्रयोग में आने वाली औषधियों की श्रेणी 'क' एवं 'ख' वर्गीकृत है एवं जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय जो संदर्भ चिकित्सालयों के रूप में भी कार्य करते हैं, में प्रयोग की जाने वाली औषधियों की श्रेणी 'ग' में वर्गीकृत किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि औषधियों की मास्टर सूची में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स०ु स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए क्रमशः श्रेणी 'क' एवं 'ख' वर्गीकृत की गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह मास्टर सूची क्या है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इन औषधियों की जो सूची है, यह श्रेणी–'क', 'ख' और 'ग' वर्णित किया गया है इसका औचित्य क्या है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, हमने एक पुस्तिका 1999 में विकसित की है इसमें जो भी मरीजों के लिए दवाइयों की जरूरत होती है, उसके लिए पत्र सं०–503/S-1-00-215-9, यह 15 फरवरी, 1999 में की गयी थी, इसमें मैंने क, ख और 'ग' श्रेणी बनायी है । उसमें कुछ दवाइयों को चिन्हित किया है, जैसे उदाहरण के तौर पर, तो जितनी जरूरत होती है, उसी हिसाब से करते हैं ।

डा० सरजीत सिंह उंग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश तथा पूरे देश की 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । तीन प्रकार की सुविधा आप देते हैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और तीसरे नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों पर । मान्यवर, प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उक्त मानकों में अत्यधिक विषमता है । आपने उत्तर दिया है "जी नहीं" । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि चिकित्सक चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हों, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हो या नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर हों उनकी योग्यता एक सी होती है लेकिन रोगियों की श्रेणियां अलग-अलग होती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्रमशः क–ख–ग श्रेणी के इन चिकित्सालयों में प्रतिरोगी प्रतिदिन कितनी औषधि दी जाती है इससे पता चल जायेगा कि विषमता है या नहीं ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, डंग साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं और क–ख श्रेणी में आते हैं । जो हमारे नगरीय क्षेत्र में अस्पताल हैं वह "ग" श्रेणी में आते हैं । आपने कहा कि वहां पर समान प्रकार के चिकित्सक हैं तो वर्गीकरण क्यों किया गया है । मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांवों में होते हैं वहां पर शहरी क्षेत्र के अस्पतालों की भांति सुविधायें नहीं होती हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपेक्षा कुछ अधिक सुविधायें होती हैं । इसी तरह से जो शहरी क्षेत्र के अस्पताल हैं वहां ज्यादा सुविधायें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जो मरीज रिफर किये जाते हैं और जो मेजर आपरेशन आदि के केसेज होते हैं या हृदय रोग के केसेज होते हैं उनको जिला अस्पताल में इलाज होता है । आपने जो मानक पूछा है उसमें थोड़ा अन्तर है । ग्रामीण क्षेत्रों में 4250 रुपये प्रति शैय्या प्रतिवर्ष दवाई देते हैं और शहरी क्षेत्र में 5 हजार प्रति शैय्या प्रतिवर्ष दवा देते हैं । अन्तर केवल 750 रुपये का है । यह अन्तर इसलिये है कि जिला केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो सुविधायें हैं वह अलग-अलग होती हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि विषमता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 780 रुपये का अन्तर है यह कहकर उन्होंने बड़ी चतुराई से घुमाने की चेष्टा की है। मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बेड्स की संख्या कम होती है। शहरों में अधिक होती है। मैंने स्पष्ट पूछा है कि श्रेणी क–ख–ग के अन्तर्गत प्रतिदिन कितने की दवाई दी जाती है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, हमको लगता है कि डंग साहब समझ नहीं पाये हैं। मैंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4250 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 5 हजार रुपये की दवा प्रतिवर्ष प्रति शैय्या दी जाती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी की बुद्धिमानी पर मैं आश्चर्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बेड होती है कहीं-कहीं 2-4 होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 8-10 होती हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में ज्यादा होती हैं और वहां पर आउटडोर व इनडोर की सुविधा होती है। मैंने पूछा है कि क्रमशः श्रेणी क–ख–ग में कितने रुपये की आपूर्ति होती है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मेरी समझ में आ रहा है, डंग साहब की समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, आप यह स्पष्ट कर दीजिए कि जो प्रति शैया मानक बनाया है। डा० डंग साहब का स्पष्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओ०पी०डी० ही ज्यादा करते हैं, उसके लिए अलग मानक निर्धारित है। आपने बताया कि आउट डोर में जो दवायें दी जाती हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री रमापति शास्त्री–

उसकी व्यवस्था अलग है, वह इसमें नहीं आता।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के चिकित्सालयों में "ग" श्रेणी के अन्तर्गत दवाओं का मानक निर्धारित किया है जबकि जब अनुपूरक प्रश्न हुआ तो बताया कि प्रति व्यक्ति 780 रुपये का अन्तर है। अनुपूरक प्रश्न में यह स्पष्ट किया गया कि प्रति मरीज, प्रतिदिन शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितना खर्च आता है ? मंत्री जी विषय का व्योरा दबा रहे हैं।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, माननीय सदस्य अभी बैठ जायें। मैं दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

मानक से अभिप्राय यह है कि आपकी जो चिकित्सा इकाई है उसमें कितने मरीज इनरोल हैं और प्रति मरीज मानक क्या है ? आप एक-एक पेसेन्ट का रिकार्ड नहीं रख सकते लेकिन आप बता सकते हैं कि प्रति मरीज वार्षिक या मन्थली कितना खर्च आता है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, प्रति रोगी के हिसाब से 14-15 रुपया पड़ता है।

श्री रमनेज यादव एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी और माननीय डंग साहब ने कुछ ऐसा विवाद कर दिया कि प्रश्न की जो मूल भावना थी वह उसे खत्म कर देना चाहते हैं। जो मानक आपने निर्धारित किया है उसके आधार पर न तो शहर में कोई व्यवस्था है न गांव के अस्पतालों में कुछ व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी, मानक के एक आधार मानकर भ्रमित कर रहे हैं। मानक सुस्पष्ट नहीं है, क्या उसको सुस्पष्ट करेंगे। जो मानक के आधार पर दवायें उपलब्ध करा रहे हैं, वाई व्याय और अन्य कर्मचारी नहीं हैं, उस मानक को व्यवस्थित बनाने के लिए जो कर्मचारियों की कमी है उसको दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जब यह सत्ता में होते हैं तो मानक ठीक होता है, जब हम सत्ता में होते हैं तो मानक ठीक नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति शैय्या व्यनिवार्य 1250/- और शहरी क्षेत्रों में 5000/- है। मान्यवर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 750 रुपये का अन्तर है वह इसलिए है कि शहरी क्षेत्रों में गहन उपचार के लिए मेजर उपचार या हृदय रोग के लिए व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जो दवा नहीं होती है उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजते हैं और अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी उपलब्ध नहीं है तो जिला चिकित्सालय केन्द्र पर भेजते हैं। इसलिए 750 रुपये का अन्तर आया है। आपको शायद समझ में नहीं आया।

श्री अधिष्ठाना–

जो टोटल रजिस्ट्रेशन है उसका शैय्या से संबंध नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जो मरीज आ रहे हों वह एडमिट होंगे जो मरीज औसतन पंजीकृत होते हैं उसके आधार पर आपने कोई मानक नहीं बनाया।

श्री रमापति शास्त्री–

पी०एच०सी० व सी०एच०सी० में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वहां मानक के अनुसार एडमिट करने हैं बाकी के ट्रेफर कर देते हैं।

श्री अधिष्ठाना–

बहुत से मरीज दाखिल होने नहीं आते हैं वह तो डाक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेकर घर चले जायेंगे।

श्री रमनेज यादव एडवोकेट–

इस पर चर्चा करा ली जाए।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है क्या आज बढ़ती हुई मरीजों की तादात को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों की भीड़ को कम करने के लिए पी०एच०सी० एवं सी०एच०सी० पर चिकित्सा व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाना–

यह पहले प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

यह पूरी तरह से ताल्लुक रखता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि टी०बी० की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त दवाइयां देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनता के लिए पहले से ही मुफ्त दवाइयां देने की व्यवस्था है ।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी ने टी०बी० के बारे में पूछा है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, टी० बी०. का इलाज इतने लम्बे समय तक चलता है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कमजोर वर्गों के लिए इसकी मुफ्त दवा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । जो मैंने पहला प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री रमापति शास्त्री–

क्षय नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला केन्द्रों पर व्यवस्था है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय सदन की एक उत्सुकता है । शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन एक मरीज पर कितना व्यय आता है दवा देने में ? उसे मंत्री जी स्पष्ट कर दें । अगर न करें तो इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाना–

इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी दे ही चुके हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, पूरा सदन यह जानना चाहता है कि एक मरीज पर आउट डोर पर क्या व्यय आता है ?

श्री रमापति शास्त्री–

इससे पहले भी सदन को एक प्रश्न के संदर्भ में बता चुका हूं कि प्रति मरीज के हिसाब से 14 रुपये 28 पैसे पड़ता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

प्रति मरीज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या अन्तर है ? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री रमापति शास्त्री–

14.80 ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा प्रश्न है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 14 रुपये प्रति दिन के हिसाब से खर्च कर रहे हैं । यह मानक से बिल्कुल परे है । दूसरी बात यह है कि यह 14 रुपये 28 पैसे का मानक क, ख, ग सभी श्रेणियों में लागू होता है क्या ? मेरा निवेदन है कि

यह एक गंभीर प्रश्न है या तो इसे नियम 59 में लेकर चर्चा करा लें या इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि सरकार से जवाब लेकर कार्यवाही की जा सके।

श्री रमापति शास्त्री–

मैंने पहले ही बता दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना प्रति शैय्या और शहरी क्षेत्र पर प्रति शैय्या इतना।

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी माननीय सदस्यगण इसे सुसंगत नियमों में लिखकर दे दें। हम इस पर बाद में चर्चा करा लेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 14.28 पैसे खर्च होते हैं तो क्या यह क, ख, ग सभी श्रेणियों में है या अलग-अलग है। मंत्री जी बता दें। यह 14.28 पैसे केवल औषधि है या सब कुछ इसमें शामिल है।

श्री रमापति शास्त्री–

यदि हमारी पूरी बात सुन ली जाती तो इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों का यह प्रश्न है वे कृपया सुसंगत नियमों में लिखकर दे दें, हम बाद में इस पर चर्चा करा लेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।

जनपद मेरठ में पांच सौ रुपये के जाली नोट के प्रचलन की घटना

*1–डा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जनपद में आई०एस०आई० की गतिविधियों के कारण पांच सौ रुपये के जाली नोट प्रचलित होने की विगत एक वर्ष में कितनी घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर एवं पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आलोच्य अवधि में जनपद मेरठ में पांच सौ रुपये के जाली नोट प्रचलित होने की 01 घटना प्रकाश में आई है, किन्तु उक्त घटना में आई०एस०आई० के संलिप्त होने की पुष्टि नहीं हुई।

इस प्रकार के मामले प्रकाश में आने पर तत्परता से विधि के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा अभिसूचना इकाई द्वारा भी सतर्कता की दृष्टि रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में मेरठ जनपद में जाली नोटों के कितने प्रकरण पाये गये ? मंत्री जी का जवाब आया है कि 500 रुपये के जाली नोट का केवल एक प्रकरण पाया गया। टेक्निकल रूप से मंत्री जी हो सकता है सही कह रहे हों। जबकि इस जनपद में पिछले एक वर्ष में जाली नोटों के तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 100 रुपये, 50 रुपये और 20 रुपये के

जाली नोट पाये गये । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माना मेरे प्रश्न में केवल 500 रुपये के जाली नोट का प्रकरण है परन्तु जो 50 और 20 के नोटों व 100 रुपये के जाली नोटों का प्रकरण आया है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी का क्या कहना है ? वहां आई०एस०आई० की गतिविधि से संबंधित मैंने यह प्रश्न पूछा था । कुल अब तक कितने मामले जाली नोटों के प्रकाश में आये हैं ? जो जांच एजेन्सियां हैं उनकी कोई गतिविधि वहां हरकत में नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो मूल प्रश्न किया गया था, मैं तो उसी से समझता हूं कि आप क्या जानकारी चाहते हैं । मूल प्रश्न में यह उल्लेख किया गया है क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जनपद में आई० एस० आई० की गतिविधियों के कारण पांच सौ रुपये के जाली नोट प्रचलित होने की विगत एक वर्ष में कितनी घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? अब मैं इसका दूसरा जवाब कैसे दूं । मैंने इस प्रश्न का जवाब दे दिया परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है । मैं इसका उत्तर दे दूंगा । इस घटना के अलावा भी कुछ प्रकरण सामने आये, उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं । एक घटना 16 मई, 1999 की है, जिसमें विजय कुमार शर्मा नामक व्यक्ति 500 रुपये के जाली नोट चला रहा था, उसे पकड़ा गया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया । दूसरी घटना 11-6-99 की है । दौराला में 100 रुपये के 16 नोट और 50 रुपये के 25 नोट राकेश कुमार और नरेन्द्र कुमार से बरामद हुए, तीसरी घटना 22-6-1999 की है जिसमें यामीन नामक व्यक्ति से 100 रुपये के 3 नोट और 50 रुपये के नोट बरामद किये गये चौथी घटना 26-8-99 की है, जिसमें पवन कुमार नामक व्यक्ति से 100 रुपये के 2 नोट बरामद हुए । इन सारी घटनाओं के जो अभियुक्त थे, वे गिरफ्तार हो चुके हैं और इनकी जांच भी हो चुकी है और सभी में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है । विशेष रूप से 500 रूपये के जो नोट है इसमें कहीं किसी अन्य एजेन्सी का कोई हाथ तो नहीं है । इन चारों घटनाओं में इस बात के साक्ष्य नहीं मिले कि इसमें आई०एस०आई० की संलिप्तता है कि नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या माननीय मंत्री जी निश्चिंतता के साथ कह सकते हैं कि 500 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के जाली नोटों की घटनाओं में आई०एस०आई० का कोई हाथ नहीं है जबकि आपने स्वयं कहा है कि 30 जिलों में आई०एस०आई० की गतिविधियां जारी हैं । आई०एस०आई० की गतिविधियों को देखते हुए कितने जिलों में नकली नोटों का काम हो रहा है । इसके बारे में माननीय मंत्री जी निश्चिंतता के साथ कह सकते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं इस समय मेरठ जनपद तक सीमित रहूंगा । इन चारों घटनाओं में विशेष रूप से इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला । क्योंकि सारी बातें साक्ष्य के ऊपर निर्भर करती है । पुलिस ने जांच की और इन चारों घटनाओं में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी । यदि इस प्रकार का कोई साक्ष्य मिला होता तो मैं कहता हूं यदि नहीं मिला तो मैं नहीं कहूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए और देश तथा प्रदेश के आर्थिक हित की सुरक्षा के लिये इन जाली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिये कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डंग जी मूल प्रश्न निश्चित रूप से केवल एक जिले तक सीमित है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं तो पूछ रहा हूं कि क्या कोई टास्क फोर्स बनायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

जो आप कह रहे हैं यह तो बहुत व्यापक विषय है उसका उत्तर मूल प्रश्न के साथ नहीं दिया जा सकता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह बताया कि 500 के जाली नोटों का एक मामला पकड़ा गया है । मैं एक निश्चित जानकारी सदन के माध्यम से दे रहा हूं कि दिल्ली पुलिस आकर मेरठ से इरशाद नामक व्यक्ति को पकड़ कर ले गई । 50 हजार के जाली नोट समझौता एक्सप्रेस से लाते हुए गौहर कामरान पकड़ा गया उसकी बीबी ने जाली नोट मेरठ में रख लिये थे । भले ही यह मेरठ में रजिस्टर्ड न हुआ हो लेकिन इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आई०एस०आई० की गतिविधियां बहुत तेज चल रही हैं । पिछले दिनों सदन में बताया गया था कि 30 जिले प्रदेश में हैं जहां आई०एस०आई० की गतिविधियां हो रही हैं । उसमें मेरठ जिले का भी नाम था । मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरठ में भी 10,000, 50,000, 20,000 के पांच सौ के नोट नहीं लिये जा रहे हैं । बैंक में भी बैंक वाले रुपये लेने से इन्कार कर रहे हैं कि यह नकली हैं । लिहाजा वहां लोग भय से 10,000/20,000 के 500 के नोट जला रहे हैं । मेरठ आई०एस०आई० की गतिविधियों में है और यह बात सरकार के संज्ञान में है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सदन में जानकारी देंगे कि मेरठ में आई०एस०आई० की गतिविधियां, व जाली नोटों के कार्य को देखते हुए बतायेंगे कि मेरठ जिले में इन गतिविधियों पर काबू पाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जनपदों की संख्या के बारे में यहां पर भ्रम है । इसको मैं सही कर दूं ताकि सही जानकारी रिकार्ड में आ जाय । सदन में जिन जनपदों में आई०एस०आई० की गतिविधियां होने की बात बताई थी उनकी संख्या 23 है और मेरठ भी उसमें शामिल है । आपने 30 कहा मैं उसको सही नहीं करूंगा तो यह 30 ही माना जायेगा । मेरठ तो उसमें है ही । माननीय सदस्य ने जो चिन्ता की है वह सही है । मैं बता दूं । मेरठ के बारे में कई बात सामने आई । मेरठ आई०एस०आई० की गतिविधियों से आच्छादित है । एक विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और मेरठ में भी की गई है जो केवल इस बात की जांच करता है कि अगर कोई फर्जी नोट पकड़ा जाय तो क्या उसमें आई०एस०आई० का हाथ है, वह यही जांच करता है ?

श्री मुराद लारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 23 जनपदों के बारे में बताया गया जहां आई०एस०आई० गतिविधियां हैं और मेरठ का भी उसमें नाम है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ केसेज जाली नोट के पकड़े गये । उसमें आई०एस०आई० का हाथ नहीं पाया गया तो क्या किसी और संस्था जैसे आर०एस०एस० का उसमें हाथ होगा, ऐसी जांच करवायी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति हो तो स्पष्ट कर दूं । आई०एस०आई० एक ऐसा संगठन है जो विदेशी ताकत द्वारा भारत के अस्तित्व को समाप्त करने के लिये लगा हुआ है । आर०एस०एस० एक राष्ट्रवादी संगठन है, इस देश की शक्ति को मजबूत करने के लिये है ऐसे काम वह नहीं करती । आपकी मानसिकता ऐसी है तो हम क्या कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सदन में आई०एस०आई० की गतिविधियों और आर०एस०एस० की गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन होने लगा । मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जिन लोगों को चार्ज शीटेड कर दिया गया विजय कुमार शर्मा, राकेश कुमार, वीरेन्द्र कुमार । माननीय संसदीय कार्य मंत्री बतायें कि यह किस संगठन से जुड़े हुए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

यह व्यवसायी, व्यापारी लोग हैं । अगर आपको संगठन की जानकारी हो तो आप बता दें । मुझे कहते हुए कष्ट होता है कि हम नामों से लोगों को संगठन से जोड़ने लगे हैं । अभी मैंने भी यामीन का नाम लिया लेकिन उसको किसी संगठन से नहीं जोड़ा । मैंने तो बताया कि आई०एस०आई० का हाथ है ऐसा कुछ पता नहीं चला । आप लोग तो नाम से संगठन से जोड़ने लगे । आर०एस०एस० क्या है, इसकी फंशनिंग क्या है, इसकी तुलना आप किसी से क्या करेंगे ? आप स्वयं जाकर देखिये क्या है आर०एस०एस० ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय मंत्री जी के प्रश्न से उत्पन्न उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने आर०एस०एस० के बारे में कहा कि राष्ट्रवादी संगठन है, क्या राष्ट्रवादी संगठन का काम ...

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न नहीं है, इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

आप मेरा अनुरोध सुन लें प्रश्न है कि मेरठ जनपद में जाली नोटों से संबंधित उससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न आए कि उसमें कोई आई०एस०आई० की संलिप्तता पाई गई । यहां आई०एस०आई० के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, इस घटना से संबंधित या जाली नोटों से संबंधित प्रश्न हो तो अनुमति है ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो अनुपूरक प्रश्न के जवाब आते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या राष्ट्रवादी संगठन का कार्य साम्प्रदायिक दंगे कराना है । जमशेदपुर और अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इससे इस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट के जज ने जांच की है । उसमें आर०एस०एस० का हाथ साम्प्रदायिक दंगों में पाया गया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

एक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, अब अनुमति नहीं है।

कारागार में निरुद्ध कैदियों को मिलने वाले भोजन की दरें संशोधित किये जाने की मांग

*2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि कारागारों के कैदियों के भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि सन् 1948 के मानकों के आधार पर निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए कैदियों के भोजन की दरें संशोधित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री विनय कुमार पाण्डेय)–

कारागारों में निरुद्ध कैदियों को दिये जाने वाले भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि किसी वर्ष विशेष के मानकों के आधार पर निर्धारित नहीं की गयी है, अपितु उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–524 के अनुसार कैदियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा निर्धारित है। बढ़ती हुई मंहगाई का कैदियों को दी जा रही भोजन की मात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः बढ़ती मंहगाई के अनुसार कैदियों के भोजन की दरों के संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई मानक नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या–524 के अनुसार कैदियों को दी जा रही भोजन की मात्रा निर्धारित है। मैं जानना चाहता हूं कि वह मात्रा क्या है ? जिन जिलों में कारागार नहीं है लाकअप में कैदियों को रखा जाता है उन्हीं कैदियों को सात रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खुराक देते हैं तो इन दोनों में अन्तर क्यों है क्या मंत्री जी समानता पर विचार करेंगे ?

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल की धारा 524 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कारागारों में सिद्धदोष बंदियों को अनुमन्य भोजन है उसकी मात्रा का निर्धारण इस प्रकार है–बंदियों को आटा 700 ग्रा० चावल, 235 ग्राम, सप्ताह में एक बार दाल अरहर 90 ग्राम, दाल तो बदल कर दी जाती है दाल उरद, मसूर चना दी जाती है।

इस प्रकार से सिद्ध दोष एवं विचाराधीन बंदियों में चूंकि सिद्ध दोष बंदियों से परिश्रम के कार्य लिए जाते हैं इसलिए उनकी मात्रा अधिक है। जो व्यय आता है सिद्ध दोष बंदियों पर वह प्रतिदिन औसत रु० 14.87 है और विचाराधीन बंदियों पर प्रतिदिन का औसत रु० 13.67 है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो लाकअप में बंदियों की बात किया है वह कारागार से संबंध नहीं रखता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया है कि बंदियों पर प्रतिदिन भोजन में व्यय 14 और 13 रुपया, लगभग आता है जबकि उन्होंने उत्तर में कहा था कि मंहगाई से कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए क्या इस युग में 14 और 13 रुपये में कैदियों को पूरा भोजन मिल सकता है, क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है ?

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा था कि भोजन की मात्रा निर्धारित है और मात्रा के अनुरूप प्रतिदिन भोजन कैदियों को दिया जाता है। मान्यवर, जेल में तमाम उत्पाद होते हैं जिससे भोजन पर मंहगाई का असर नहीं पड़ता है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, चावल, दाल, चना और तमाम सब्जियां जो कारागार में पैदा की जाती है वह वहां दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश की जेलों में कैदियों के नाम से सामान भोजनालय में जाता है और फिर वह बाहर निकाल दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गोण्डा जनपद में इसी आधार पर छापा डलवाकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मूल प्रश्न से यह प्रश्न संबंधित नहीं है इसलिए यदि आपको सामान्य जानकारी है तो वह दे सकते हैं ।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

ठीक है मान्यवर, यदि माननीय सदस्य को जानकारी है तो वह लिखकर दे दें तो अच्छा होगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि कैदियों को कार्य के आधार पर पारिश्रमिक बहुत कम दिया जाता है, इसलिए क्या उसकी धनराशि को मंत्री जी बढ़ायेंगे ?

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह सिद्ध दोष बंदियों को जेल मैनुअल के अनुसार, उसकी जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुरूप दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं स्पष्ट कर दूं कि जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसमें वह जानना चाहते हैं कि जो कन्विक्टेड हैं उन्हें जो पारिश्रमिक देते हैं क्या सरकार उसके रिवीजन पर विचार करेगी ?

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, ऐसा अभी कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश के महानगरों के पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए पेट्रोल एवं डीजल के स्थान पर गैस, बैटरी एवं सी०एन०जी० का प्रयोग लागू करने की सरकार की योजना

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए सरकार पेट्रोल एवं डीजल के स्थान पर गैस, बैटरी एवं सी०एन०जी० का प्रयोग लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र दिनांक 10-7-99 द्वारा गैस से गाड़ी संचालित करना नियमानुसार अनुमन्य नहीं है । बैट्री से संचालित वाहन अभी प्रायोगिक तौर पर ही चलायी जा रही है । सी०एन०जी० का प्रयोग करने हेतु अभी उ० प्र० में क्षमता विद्यमान नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि कहा गया कि सी०एन०जी०का प्रयोग करने हेतु अभी उ० प्र० में क्षमता विद्यमान नहीं है, तो सी० एन० जी० का प्रयोग करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है और दूसरा सी० एन० जी० की क्षमता और मानक का क्या आधार है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, सी० एन० जी० का प्रयोग दिल्ली प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योजना नहीं है और न ही प्रयोग करने पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह है कि सी० एन० जी० के प्रयोग करने में किस तरह की कठिनाई आ रही है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया है और सी० एन० जी० का प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी० एन० जी० का प्रयोग जिन वाहनों में, जो नये माडल इन्ट्रोड्यूज हो रहे हैं जिनमें किया गया है, उसमें यूरो–II ओबजर्व करने की सुविधा है, फिर सरकार के सामने क्या कठिनाई है कि यह उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश में जो सुविधा होगी उसके माध्यम से करायेंगे । दिल्ली में यह लागू कर दिया गया है । उत्तर प्रदेश में यह आदेश हो गये हैं कि यूरो–I के तहत किया जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश में जितने प्रयोग किये जायेंगे और परिणाम प्राप्त होंगे उन्हीं को लागू करने का काम होगा, लेकिन जो सिद्ध प्रयोग किये गये हैं और जो पर्यावरण के लिए हितकारी हों उनको नहीं लागू किया जायेगा ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, जो सी०एन०जी० की सप्लाई करने में आऊट लेट है, वह नहीं है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, जो वर्तमान स्थिति है, इस उत्तर के सम्बन्ध में अब भारत सरकार के मंत्रालय ने एल० पी० जी० गैस के द्वारा वाहन चालन अनुमन्य किया है । जो डीजल और पेट्रोल के पम्प हैं वहां इस प्रकार की गैस बनाई जा रही है तो क्या उस दृष्टि से यहां विचार करेंगे ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, सी० एन० जी० और एल० पी० जी० में अन्तर है । अभी जिस जारी आदेश का आपने जिक्र किया है उसकी औपचारिक सूचना यहां उपलब्ध नहीं है ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, यह सी० एन० जी० गैस की उपलब्धता अन्य प्रदेशों में कराई गयी है तो क्या वाहनों में सस्ते ईंधन और प्रदूषण रहित ईंधन के प्रयोग की दृष्टि से इसके उपयोग पर विचार करेंगे ? जो संयंत्र की बात कही गयी उसके लिए क्या भारत सरकार से वार्ता करेंगे ? जो मान्यवर, इसमें किट का प्रयोग होता है वह लोकल मेड होने से आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या आई० एस० आई० मार्क कराकर बाजार में उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

जो प्रश्न हैं उनका भाव यही है कि ऐसी किसी कार्ययोजना पर आप विचार कर रहे हैं ।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, अभी फिलहाल नहीं है । केवल दिल्ली प्रदेश में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है । हमारे प्रदेश में इसका कोई आउटलेट उपलब्ध नहीं है । अगर दिल्ली प्रदेश में प्रयोग कामयाब रहेगा तो यहां पर भी विचार किया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विभागाध्यक्षों को वाहन भत्ता देने की मांग

*1-श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विभागाध्यक्षों को रुपये 500/- (पांच सौ) प्रतिमाह जमा करके 200 कि०मी० सरकारी वाहन के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वाहन के रखरखाव आदि पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सुविधा के बदले उन्हें वाहन भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

10 मार्च, 1997 के शासनादेश द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे जिसमें वाहनों के उपयोग की सीमाओं को स्पष्ट किया गया था तथा प्रति वाहन प्रति माह राशि निर्धारित की गयी थी उक्त शासनादेश में किंचित संशोधन करते हुए केवल प्रति माह, प्रति वाहन जमा की जाने वाली राशि में परिवर्तन किया गया तथा तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 29 मई, 1999 को जारी किये गये ।

सरकारी वाहनों तथा चालकों पर हो रहे खर्च के परिप्रेक्ष्य में एक नीतिगत विचार विमर्श चल रहा है । उपरोक्त के अंतिम होने पर ही वाहन भत्ता देने या न देने के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 15 मिनट)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर आपके यहां श्री आशुतोष पांडेय ने प्राप्त किया है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मैं इसका उत्तर दिये देता हूं ।

(उत्तर की प्रति दी गयी)

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रतिमाह प्रतिवाहन परिवर्तन किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिमाह क्या परिवर्तन किया गया है और क्या राशि निर्धारित की गयी है ? और दूसरा जो सरकारी अधिकारियों को अपने विभाग में जो पैसा जमा होता है 200 या 500 रु० यह विभागीय गाड़ियों का होता है इसके अतिरिक्त जो निगम से विभिन्न वाहनों का उपयोग करते हैं क्या उसके लिये अलग से कोई धनराशि ली जाती है या नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, यह जो 10 मई, 97 को निर्णय हुआ उसमें किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारियों से कार के लिये 250 रुपया प्रतिमाह और जीप के लिये 200 रुपया प्रति माह उनके वेतन से काट लिया जाता था, तथा 200 कि०मी० के निजी उपयोग की अनुमति दी गई । इसके अलावा किसी महीने में इस 200 किलोमीटर से अधिक उन्होंने उस गाड़ी का उपयोग कर लिया है तो तीन रुपया

प्रति कि०मी० के हिसाब से उनको अतिरिक्त धन देना पड़ता था, लेकिन इसमें वृद्धि के बारे में पूछा गया है तो अब इसमें कार के लिये 500 रुपया और जीप के लिये 400 रुपया उनके वेतन से कटौती की जा रही है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपने अपने उत्तर के दूसरे भाग में स्पष्ट किया है कि सरकारी वाहनों का चालकों पर हो रहे खर्च के परिप्रेक्ष्य में एक नीतिगत विचार-विमर्श चल रहा है ? उपरोक्त के अंतिम होने पर ही वाहन भत्ता देने या न देने के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या कोई समयावधि निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, वाहन भत्ता देने पर विचार चल रहा है इसके लिये एक कोर ग्रुप बना है इसको तीन बिन्दुओं पर प्रस्ताव देने के लिये कहा गया है अभी अगस्त में इसकी बैठक हुई है और उससे संबंधी जो प्रस्ताव देने के लिये निर्देशित किया गया है वह प्रस्ताव आ जाय जिससे इस पर विचार किया जा सकेगा ।

मान्यवर, प्रस्ताव के तीन बिन्दु हैं – (I) वाहन भत्ता का आधार क्या हो और (II) वाहन मुख्यालय पर प्रयोग करने वाला वाहन या फील्ड में प्रयोग करने वाला वाहन और इससे संबंधित जो वाहन होगा या (III) किराये का होगा या कैसा होगा उनकी दरें क्या निर्धारित होंगी यह प्रस्ताव देने के लिये कोर ग्रुप में उसका निर्णय हुआ है । इस पर कुछ आ जाने पर विचार किया जायेगा ।

*2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 3-4-2000 को ता० प्र०-सं०-12 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण लेने की शर्तें, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के साथ अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कम करने का मामला

*3–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक से 5000 करोड़ रुपये का ऋण लिये जाने की योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या है ? क्या सरकार कुछ विभागों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह विभाग कौन-कौन है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या में कमी की जायेगी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी हां, परन्तु अभी ऋण की राशि का निर्धारण होना शेष है । ऋण भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा राज्य को केन्द्र से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा ।

ऋण के संबंध में सहमति अभी अन्तिम नहीं है । अतः शर्तें इस स्तर पर उल्लेख करना सम्भव नहीं है ।

सरकार ने एक विनियमितीकरण समिति बनाई है जो पुराने नियमों/कानूनों आदि की उपयोगिता एवं प्रशासनिक ढांचों जिसके अध्ययन से यह कार्यान्वित किये जाने हैं के संबंध में संस्तुति देगी ।

अभी संस्तुति नहीं प्राप्त हो सकी है ।

संस्तुतियों पर निर्णय के अनुरूप कार्यवाही होगी ।

सेवानिवृत्ति एवं नई भर्ती पर रोक के फलस्वरूप लगभग 2 प्रतिशत की कमी होने की सम्भावना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि विश्व बैंक से 5 हजार करोड़ रुपया लेना तय हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह धन किन शर्तों पर लेने की योजना है और किन-किन विभाग में यह खर्च होगा और प्रत्येक वर्ष के लिये यह कितना है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, वैसे तो यह प्रश्न स्वतः ही बहुत विस्तृत है लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर दे रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें चर्चा करा लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर लिखकर आ जाय तो विचार कर लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"––

मान्यवर, काहे की चर्चा, मैं उस पर उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

मान्यवर, यह विश्व बैंक के साथ जो वार्ता चल रही है वह तीन प्रकार के लोन की है एक लोन है प्रोग्राम लोन 1100 करोड़ रुपये का और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों का हास्पिटल वगैरह के सुदृढ़ीकरण के लिये 500 करोड़ का और ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये 400 करोड़ का है इस तरह से 2200 करोड़ के प्रोग्राम प्रोजेक्ट राशि है। इस पर वार्ता चल रही है यह भारत सरकार से मिलता है। 4 जून 99 को भारत सरकार के साथ समझौता अनुमोदन हुआ है और उसी के आधार पर वार्ता चल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत पकड़े जाने पर छात्र/छात्राओं द्वारा आत्म हत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिये कार्य योजना की जानकारी

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 के लागू होने के बाद वर्ष 1998 से अब तक कितने छात्र/छात्राओं ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े जाने के कारण आत्म हत्यायें की हैं ? क्या सरकार ऐसी आत्म हत्यायें रोकने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

आलोच्य अवधि में 03 छात्र एवं 01 छात्रा द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटना घटित हुई, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये ।

भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आत्म हत्या के प्रयास को आपराधिक कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है । संदर्भगत अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कार्य योजना बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उपरोक्त के संबंध में प्रश्न नहीं उठता है ।

*3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

(5वें बुधवार में ता० प्र०सं०–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में लगाये गये प्रवेश शुल्क को समाप्त करने की मांग

*4–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगाये गये प्रवेश शुल्क को क्या सरकार समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम०काम०)–

जी नहीं ।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये प्रवेश कर लगाया गया है तथा उसे समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

सरकारी सेवाओं में भर्ती/पदोन्नति में दस प्रतिशत कटौती किये जाने संबंधी जानकारी

*5–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु क्या सरकारी सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नति में दस प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या यह कटौती भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यात्री परिवहन-व्यवस्था को निजी क्षेत्र में देने की सरकार की नीति की जानकारी

*6–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यात्री परिवहन-व्यवस्था को निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री वी० आर० वर्मा–

(4थे शुक्रवार में ता० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*8–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

(5 वें गुरुवार में ता० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*9–श्री भोला शंकर मौर्य–

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों को खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा को बढ़ाये जाने की मांग

*10–श्री राम ललित चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को क्या सस्ते मूल्य पर गल्ला दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो प्रत्येक परिवार के लिये इसकी निर्धारित मात्रा क्या है ? क्या प्रदेश सरकार उक्त खाद्यान्न की मात्रा में वृद्धि किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों के लिये 10 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल) की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। पर्वतीय क्षेत्र में इन कार्ड धारकों को ए०पी० एल० दर पर 20 किलोग्राम खाद्यान्न और दिये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों को मिल रहे खाद्यान्न में दो गुना वृद्धि कर दी गयी है जिसके तहत अब बी० पी० एल० के प्रत्येक परिवार को 20 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं तथा 6 किलोग्राम चावल) माह अप्रैल, 2000 से उपलब्ध कराया जा रहा है।

*11–डा० सरजीत सिंह डंग–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मंत्रिमण्डल का आकार सीमित करने की मांग

*12–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए क्या सरकार मंत्रिमण्डल का आकार सीमित करने पर कोई विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

मंत्रिमण्डल का आकार सीमित करने पर इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

मंत्रिमण्डल का आकार शासन की तात्कालिक/सामयिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वाहनों से फैल रहे प्रदूषण को रोकने की सरकारी योजना

*13–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वाहनों से प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली, 1989 में वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकने के संबंध में व्यवस्था विद्यमान है।

वाहनों से उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली, 1989 के नियम-115 में प्राविधान किया गया है। उक्त नियम के उप नियम (2) में मानक निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार पेट्रोल चालित एवं डीजल चालित वाहनों के लिये निर्धारित मानक निम्नवत् हैं :-

पेट्रोल चालित वाहन

(क) चार पहिया वाहन में कार्बन मोनो आक्साईड के उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 3 प्रतिशत आयतन।

(ख) दो पहिया तथा तीन पहिया वाहनों में अधिकतम कार्बन मोनो आक्साईड उत्सर्जन सीमा 4.5 प्रतिशत आयतन।

डीजल चालित वाहन

फ्री एक्सीलिरेशन अवस्था में उत्सर्जित धुवें की अधिकतम सीमा 65 हर्टज (यूनिट)।

उत्सर्जन की उपरोक्त सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जाता है तथा उप नियम के उप नियम (7) में सभी वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय की विज्ञप्ति संख्या जी० एस० आर०-399 (इ), दिनांक 01-6-1999 द्वारा यूरोमानक निर्धारित किये गये हैं। इस मानक के अनुसार दिल्ली तथा नेशनल कैपिटल रीजन में दिनांक 01-6-99 से सभी प्राइवेट (अव्यावसायिक) वाहनों का पंजीयन यूरो-I मानक के अनुरूप किया जायेगा तथा 01-4-2000 से देश के समस्त क्षेत्रों में भी यूरो-I मानक के अनुरूप होने पर ही पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी।

*14 श्री रघुवर दयाल वर्मा-

(6वें सोमवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में चौपहिया निजी वाहनों के स्वामित्व ट्रान्सफर की फीस बढ़ाये जाने का औचित्य

*15-चौ० रवीन्द्र प्रताप-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में चौपहिया निजी वाहनों के स्वामित्व ट्रान्सफर की फीस कई गुना अभी हाल ही में बढ़ा दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? इन दरों में वृद्धि का औचित्य क्या है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर में बस डिपो बनाने की मांग

*16-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के मुख्यालयों पर परिवहन निगम के बस डिपो बनाये जाने के मानक क्या हैं ? क्या सरकार जनपद सन्त रविदास नगर के अधूरे निर्मित बस डिपो को पूरा कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं, इस स्थान पर कोई बस डिपो निर्माणाधीन नहीं है ।

इस स्थान पर बस डिपो बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों के मार्गों पर डग्गामार वाहनों द्वारा यात्रियों से मनमाफिक किराया वसूलने की शिकायत

*17–श्री बिजयपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ग्रामीण अंचलों के मार्गों पर डग्गामार वाहनों द्वारा यात्रियों से मनमाफिक किराया वसूला जा रहा है ? क्या यह सही है कि इससे परिवहन निगम को घाटा भी हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इसे रोकने हेतु सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ थाना इटौंजा के अन्तर्गत दहेज हत्या के दर्ज मामले में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*18–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के थाना इटौंजा में दिनांक 10-5-2000 को मु०अ०सं०–2/2000 धारा 498ए/304 श्रीमती अरुणा पुत्री ओम प्रकाश निवासी ग्रा० महोली, जनपद–सीतापुर की दहेज हत्या के संबंध में दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना करते हुए दिनांक 14-2-2000 को पुलिस द्वारा नामित अभियुक्त बीरसेन, श्याम, रामजी, श्रीमती जुगनू को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्त विशाल, अमरीष, श्रीमती बबली एवं माया की नामजदगी विवेचना से गलत पायी गयी, विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण बीरसेन, श्याम महोहर, रामजी एवं श्रीमती जुगनू के विरुद्ध अपराध धारा 498ए/304 भा० दं० वि० व 3/4 दहेज अधिनियम प्रमाणित होने पर आरोप पत्र सं०–8 दिनांक 13-3-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में फिल्म ''वाटर'' के छायांकन की अनुमति के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाये जाने के संबंध में जानकारी

*19–श्री राम सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में ''वाटर'' के छायांकन की अनुमति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा

छायांकन के रोके जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिये उत्तरदायी जिला प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन उक्त फिल्म की शूटिंग की अनुमति प्रदान की गयी थी । फीचर फिल्म "वाटर" का छायांकन आरम्भ होने पर जनविरोध, अनशन एवं प्रदर्शन तथा तोड़-फोड़ से शान्ति एवं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश सं० 487/आ० लि०–2000, दिनांक 7 फरवरी, 2000 के द्वारा फिल्म के छायांकन को जनपद वाराणसी में, दिनांक 22-2-2000 तक निषिद्ध कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक शान्ति एवं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

नैपाल सीमा से तस्करी व विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोके जाने हेतु पूर्व सैनिकों की सेवायें लिये जाने के संबंध में जानकारी

1-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 23-1-2000 को गृह राज्य मंत्री ने अपने खीरी-लखीमपुर के दौरे के समय नैपाल सीमा से तस्करी व विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोके जाने हेतु सीमा पर पूर्व सैनिकों की तैनाती की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या कुछ समय पूर्व गठित भारत नैपाल सीमा पुलिस का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर पूर्व सैनिकों की सेवा इस में ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या अलग से तैनाती की जायेगी ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेसर्स इटावा ईंट भट्ठा औद्योगिक सहकारी सेवा समिति को अतिरिक्त कोयले के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच विषयक शिकायती-पत्र एवं कार्यवाही

2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स इटावा ईंट भट्ठा औद्योगिक सहकारी सेवा समिति को अतिरिक्त कोयले के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–29795/मथुरा/1999, दिनांक 3-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

शिकायत की जांच सतर्कता विभाग से कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद लखनऊ थाना बजीरगंज के मुकदमा अपराध संख्या–411/99 की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र एवं कार्यवाही

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध सं०–411/99 थाना–बजीरगंज, जनपद लखनऊ की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र

संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2970S/मथुरा(00), दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव एवं सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या 5 सी०आई०डी०/6-4 2000 दिनांक 15 जनवरी, 2000 द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से विवेचना कराने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । अपराध शाखा के विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर उपलब्ध 5 साक्षियों के कथन अंकित किये जा चुके हैं और विवेचना प्रचलित है ।

जनपद मथुरा के थाना बल्देव में दर्ज मुकदमा संख्या 20/99 की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

4 श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा सं०–20/99, थाना–बल्देव, जनपद मथुरा की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम० /वि०को०/एम–2/20048/मथुरा(00), दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव एवं सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अभियोग विचाराधीन न्यायालय है । अतः मुकदमा अपराध सं०-20/99 थाना बल्देव, जनपद मथुरा की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में पंजीकृत मु०अ०सं०–32/99 की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र तथा कृत कार्यवाही

5 श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–32/99, धारा 364 आई०पी०सी० थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा की जांच सी० बी० सी० आई०डी० से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम०/30238/मथुरा(00), दिनांक 11-1-2000 प्रमुख सचिव, गोपन एवं गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

थाना गोवर्धन जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–32/99 धारा 364 आई०पी०सी० की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने हेतु निर्देश दिनांक 25-1-2000 को जारी किये जा चुके हैं ।

जनपद जालौन की थाना कोतवाली कालपी में पंजीकृत मुकदमें की जांच थाना आटा से कराने का औचित्य तथा सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने की मांग

6 श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु०अ०सं०–504/99, धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 थाना कोतवाली कालपी, जालौन की तफतीश कोतवाली कालपी द्वारा की जा रही थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच थाना आटा, जालौन को स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त प्रकरण में नामजद 16 व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

यदि श्री चिन्तामणि के भाई श्री गयादीन अहिरवार द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर विवेचना प्रभारी निरीक्षक कालपी से थानाध्यक्ष अटा को स्थानान्तरित की गई है।

जी नहीं।

इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। अतः सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जिला जालौन थाना रेढ़र के ग्राम डाबर में हुई हत्या की जांच की कार्यवाही की जानकारी

7-श्री श्रीराम पाल

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवदीन पाल पुत्र श्री लालाराम पाल नि० ग्राम डाबर थाना रेढ़र, जिला जालौन की हत्या दिनांक 9-6-99 को ग्राम के ही लोगों द्वारा किये जाने की थाना रेढ़र में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ? क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट उरई, जालौन के आदेश से सी०आर०पी०सी० की धारा 156(3) के अन्तर्गत मु०अ०सं० 120/99 धारा 147/302/34 आई०पी०सी० थाना रेढ़र में दर्ज हो कर थाना रामपुरा को तफ्तीश के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या थाना रामपुरा की पुलिस ने घटना स्थल पर जा कर तथा ग्राम डाबर के ग्रामवासियों के तफ्तीश के दौरान पूछताछ की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तफ्तीश पूर्ण होकर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं। मृतक शिवदीन पाल पुत्र श्री लालाराम पाल की मृत्यु के संबंध में प्रथम दृष्टया अपराध गठित होना नहीं पाया गया था।

जी हां। मा० न्यायालय के आदेश पर थाना रेढ़र में मु०अ०सं०–120/99 धारा 147/302/34 भा०दं०वि० दर्ज होकर विवेचना थानाध्यक्ष रामपुरा द्वारा की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा विवेचक को दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट व्यक्तियों के साथ नियुक्त सुरक्षा कर्मियों शैडों/गनर को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11 जून, 1999 का लाभ देने की जानकारी

8-श्री अफजाल अहमद, श्री मोहन सिंह रावत 'गांववासी', श्री समरपाल सिंह, श्री राम नक्षत्र, श्री विजय पाल सिंह, श्री बाबू खां, श्री उदयराज यादव तथा श्री राम प्यारे सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं० 357/गु०नि० पु०–1-94 दिनांक 29 नवम्बर, 1994 के द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के साथ नियुक्त सुरक्षा कर्मियों (शैडो/गनर) को दिये जा रहे अधिकतम मासिक यात्रा भत्ता रुपया 1500/- मात्र का संशोधन कर वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 उ० प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० सा–4-305/दस–99-(88)-99 दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा उक्त यात्रा भत्ते की दरों

में लगभग 5 गुना वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शैडो/गनरों को उसका लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । गृह विभाग के शासनादेश सं० 3570 एच०–पु०–1-94 दिनांक 29 नवम्बर, 1994 को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा संशोधित नहीं किया गया है ।

वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11 जून, 1999 का लाभ शैडो/गनर को भी दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच एवं दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

9. श्री राम सजीवन दोहरे

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद (श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय) के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच विषयक मुख्यालय के अर्द्ध शा०प०सं०–202/ अ–5/99, दि० 7-4-1999, पत्रांक–5871/अ–5/99, दि० 10-8-99 एवं पत्रांक0955/ अ–5/99, दि० 2-12-99 से संदर्भित जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी उप मुख्य लेखाधिकारी (सहकारी गन्ना संघ श्री राजीव रत्न मालवीय) ने अ०प्र०प०सं०–मी०मं०–1, दि० 17-12-99 द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं ? क्या जांच आख्या के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

जांच अपूर्ण होने के कारण पुनः जांच कराई जा रही है । दोषी पाये जाने की दशा में आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

फर्रुखाबाद से जसमई दरवाजे से सिरौली, मोहम्मदाबाद होते हुये बेबर तक परिवहन निगम की बस चलाये जाने की मांग

10. श्री सुरवीर सिंह पुण्डीर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फर्रुखाबाद में जसमई दरवाजा से सिरौली मुख्य मार्ग पर परिवहन निगम की कोई बस चलायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर फर्रुखाबाद से बेबर जाने वाली परिवहन निगम की कुछ बसों का मार्ग परिवर्तित कर जसमई दरवाजा से सिरौली, मोहम्मदाबाद होते हुये बेबर भेजने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जसमई दरवाजा से सिरौली मोहम्मदाबाद का 22 कि०मी० का मार्ग अलाभदायक होने के कारण प्रश्नगत बसों का मार्ग परिवर्तन उपलब्ध नीति के अन्तर्गत सम्भव नहीं है ।

जनपद मथुरा थाना सदर बाजार अपराध संख्या–123/99 की जांच कराने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही

11. श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या–123/99 थाना सदर बाजार मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/20046/मथुरा/00 दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मुकदमा अपराध संख्या 123/99 थाना सदर बाजार मथुरा की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराये जाने के निदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ, गोमतीनगर में श्रीमती ममता रानी पत्नी श्री के०सी० कर्दम उप निबन्धक (शिक्षा) 3/92 विश्वास खण्ड के आवास पर फोन से धमकी दिये जाने विषयक, विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ममता रानी पत्नी, श्री के०सी० कर्दम, उप निबन्धक, (शिक्षा) 3/92, विश्वास खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को टेलीफोन पर दी गयी धमकी एवं चेतावनी की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/20611/मथुरा/99, दिनांक 20-12-99, प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

13–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 27-3-2000 को अता०प्र०सं०–103 द्वारा उत्तरित]

14–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 27-3-2000 को अता०प्र०सं०–102 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ स्थित उ०प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें के स्नातक चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की प्रोन्नति का मामला

15–श्री विश्वनाथ–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी में कितने कर्मचारी स्नातक योग्यता धारक हैं ? क्या सरकार स्नातक योग्यता धारी ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में श्री सल्लन कुमार तत्कालीन प्रभारी सचिव, साधन सहकारी समिति लि० बरदरी द्वारा किये गये गबन के प्रकरण पर की गई कार्यवाही की जानकारी

16-श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सल्लन कुमार तत्कालीन प्रभारी सचिव, साधन सहकारी समिति लि० बरदरी द्वारा अवैधानिक तरीके से सहकारी धन रु० 18,062=00 का गबन कर लिया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 34/95, दिनांक 25-5-95 को शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० शाखा रामनगर बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय जि० बाराबंकी में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ;

विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या–7 दिनांक 7-3-2000 को न्यायालय प्रेषित कर अभियुक्त सल्लन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी में श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहकारी कुर्क अमीन साधन सहकारी समिति लिमिटेड रामनगर द्वारा वर्ष 1995–96 के कलेक्शन चार्ज में किये गये गबन के प्रकरण की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

17-श्री बाबू खां–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहकारी कुर्क अमीन साधन सह० समिति लि० रामनगर जि० बाराबंकी द्वारा वर्ष 1995-96 में कलेक्शन चार्ज तथा सदस्यों द्वारा अदा की गयी धनराशि रुपये 19,124.00 का गबन कर लिया था जिसकी जांच श्री हरिप्रसाद पाण्डेय, अपर जिला सहकारी अधिकारी रामनगर बाराबंकी को वर्ष 1997 में सौंपी गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच का कार्य पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (''पटेल'' रामकुमार वर्मा)–

जी हां ।

जी हां । जांच परिणाम के आधार पर श्री देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध गबन धनराशि रु० 13008.00 के मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

। दिनांक 27-3-2000 को अता०प्र०सं०–120 द्वारा उत्तरित ।

लखनऊ स्थित सेक्टर एम आशियाना कानपुर रोड में भू माफिया मोहन गुप्ता तथा अभियन्ता पत्नी अनामिका द्वारा स्थानीय लोगों का उत्पीड़न करने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर एम, आशियाना (निकट बिजली पासी किला) कानपुर रोड योजना, लखनऊ में भू-माफिया मोहन गुप्ता तथा उनकी अधिवक्ता पत्नी अनामिका द्वारा स्थानीय लोगों को उत्पीड़ित करने के संबंध में सम्पूर्णिक शिकायती-पत्र प्रमुख सचिव, गृह विभाग, को

माह जनवरी, 2000 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

आवेदनकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रेषित शिकायती-पत्र की स्पष्ट नाम एवं पूर्ण पते के अभाव में स्पष्ट नहीं हो सकी है । अपितु मोहन गुप्ता तथा उनकी पत्नी अनामिका के विरुद्ध श्री भीम सिंह निवासी ई–470, सेक्टर एम, अलियन थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 15-1-2000 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी सरोजनीनगर से करायी गयी । जांच से पाया गया कि सेक्टर एम, में पार्क के कोने में एक मकान अनधिकृत रूप से बना था । मोहल्लेवासियों की शिकायत पर एल० डी० ए० द्वारा उक्त मकान को ध्वस्त कर दिया गया था । दिनांक 11-11-99 को आवेदक एवं श्रीमती अनामिका गुप्ता के मध्य हुए विवाद में न्यायालय के आदेश से मु०अ०सं० 1558/99 बनाम भीम सिंह व अन्य पंजीकृत हुआ था, जो विवेचनाधीन है । इसके पूर्व श्रीमती अनामिका गुप्ता द्वारा आवेदक के विरुद्ध एक इस्तगासा न्यायालय प्र० सी० जे० एम०–अष्टम लखनऊ में दायर किया था जो विचाराधीन न्यायालय है । दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर की पुलिस चौकियों, थानों व कोतवालियों में मुस्लिम पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग

20. डा० कौशल किशोर

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में पुलिस चौकियों, थानों व कोतवालियों में से कितनों में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) वर्ग के पुलिस चौकी प्रभारी व थानाध्यक्ष तथा इन्सपेक्टर तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तैनात किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

एक अल्प संख्यक (मुस्लिम वर्ग) का उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद आगरा में 15 जनवरी, 1999 से 15 जनवरी, 2000 तक हत्या, डकैती, बलात्कार आदि के फर्जी मामलों की रिपोर्ट दर्ज कराने के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

21. डा० ज्ञानवती सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद आगरा में 15 जनवरी, 1999 से 15 जनवरी, 2000 तक हत्या, डकैती, बलात्कार, लूटमार, चोरी की कितनी घटनायें घटित हुई हैं ? उक्त घटनाओं में कितने मामले विवेचना में फर्जी पाये गये हैं ? क्या फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद आगरा में घटित घटनाओं का		विवेचना में फर्जी पाये गये विवरण मामलों की संख्या	
1		2	
1-हत्या	142	हत्या	03
2 डकैती	29	डकैती	04

1		2	
3-दलक्कर	43	दलक्कर	03
4-रहजनी	111	रहजनी	32
5-चोरी	977	चोरी	83

जनपद फिरोजाबाद में घटित घटनाओं का विवरण		विवेचना में फर्जी पाये गये मामलों की संख्या	
1-हत्या	127	हत्या	01
2-डकैती	12	डकैती	04
3 दलक्कर	14	दलक्कर	03
4 लूट	34	लूट	12
5 चोरी	202	चोरी	30

जनपद आगरा में फर्जी रिपोर्ट दर्ज करने वालों में दलक्कर के 01 मामले में कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय में रिपोर्ट दी गयी है एवं जनपद फिरोजाबाद में डकैती में एक के विरुद्ध 182 भा०द०वि०, लूट में दो के विरुद्ध 182 भा०द०वि० की कार्यवाही की गई। चोरी में दो के विरुद्ध कार्यवाही की गई। शेष के विरुद्ध प्रबल साक्ष्य के अभाव में कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री पर हुए हमले की वास्तविकता की जानकारी

22 श्री संजय गर्ग

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर एक पर 23 जनवरी, 2000 को प्रयागराज एक्सप्रेस के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल श्री अजीत सिंह तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री मा० मुख्य प्रकाश सम्बन्ध पर जी०आर०पी० के उप निरीक्षक द्वारा हमला किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या हमलावर उपनिरीक्षक, जी०आर०पी० के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक संवर्ग के पदों पर आरक्षण कोटा भरे जाने की मांग

23 श्री विश्वनाथ–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या उक्त संवर्ग में आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उक्त संवर्ग में आरक्षण कोटा पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें संगठन में कुल 144 कनिष्ठ लिपिकों के पद सृजित हैं मृतक आश्रित कर्मचारी नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त अधिशेषक पदों को भी सम्मिलित करते हुए 150 कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

जी हां।

रिक्त पद उपलब्ध होने पर आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायेगा।

उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में मृतकाश्रित रूप में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त करने की मांग

24-श्री विश्वनाथ–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में मृतकाश्रित के रूप में कितने कर्मचारी हैं ? क्या शासनादेश सं०-6/12/1973 परसनल-2, दिनांक 12-8-1991 के अनुसार उक्त मृतकाश्रित कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ० प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में मृतक आश्रित के रूप में 71 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक पद पर हुई नियुक्तियों पर आरक्षण कोटा पूर्ण न करने के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

25-श्री विश्वनाथ–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन लखनऊ में दिनांक 2-7-1993 से 17-3-1994 के मध्य कनिष्ठ लिपिक के पद पर कितनी नियुक्तियां की गयीं ? क्या उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा करते हुये नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अ०जा०/अ०ज०जा० का आरक्षण कोटा न भरने की अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें के अन्तर्गत संदर्भगत अवधि में मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत की गयी 12 नियुक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुल 43 नियुक्तियां कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी हैं।

जी नहीं ।

सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो पाया ।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26-श्री पीटर फैन्थम-

[4 थे शुक्रवार में अता०प्र०सं०-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद अम्बेडकर नगर, कोतवाली अकबरपुर, ग्राम पहितीपुर के श्री प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र राम अजोर तिवारी का शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27-श्री चेतराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रदीप कुमार तिवारी पुत्र राम अजोर तिवारी, ग्राम पहितीपुर, कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेदकर नगर का मा० मुख्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अम्बेदकर नगर को कोई शिकायती पत्र माह दिसम्बर, 1999 में श्री सूर्यमणि यादव ग्राम बन्दनडीह कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेदकर नगर के विरुद्ध प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश-

जी हां ।

विवेचना में श्री सूर्यमणि यादव के विरुद्ध किसी जुर्म का होना नहीं पाये जाने पर इनके विरु. कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में बनाये गये नये राशन कार्डधारकों को राशन सामग्री उपलब्ध न कराने वाले दोषी कोटेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

28-श्री बाबूलाल कुरील-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में बनाये गये नवीन राशन कार्डों से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे कोटेदारों के विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही करते हुये उनकी दुकानों के लाइसेंस जनहित में निरस्त करेगी जो नवीन राशन कार्डों पर राशन सामग्री नहीं उपलब्ध करा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नये बुकलेट फार्म में बने राशन कार्डों पर कोटेदार द्वारा राशन सामग्री वितरित न करने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के थानों पर आरक्षण नियमों के अन्तर्गत थानाध्यक्षों की नियुक्ति की मांग

29–श्री विजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने थाने हैं ? क्या उन थानों पर आरक्षण नियमों के अनुसार थानाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

कुल 23 थाने हैं जिसमें से प्रभारी उप निरीक्षक स्तर के कुल 19 थाने हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के 4 थानाध्यक्ष, पिछड़ी जाति के 5 थानाध्यक्ष, अल्पसंख्यक का 1 थानाध्यक्ष तथा सामान्य वर्ग के 9 थानाध्यक्ष नियुक्त हैं । । उ० नि० अल्पसंख्यक वर्ग की नियुक्ति पात्र उप निरीक्षक न होने के कारण नहीं की गयी है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र० लखनऊ द्वारा प्रदेश के गांव पंचायतों की निःशुल्क लेखा परीक्षा किया जाना

30–श्री विजय कुमार तथा श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग द्वारा लेखा परीक्षा के रूप में गांव पंचायतों से कितना लेखा परीक्षा शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31-3-2000 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है ? समस्त सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा नवम्बर, 1999 से स्थगित करने से लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में कितनी राजकीय राजस्व की क्षति होगी ? क्या सरकार द्वारा इस क्षतिपूर्ति हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा प्रदेश के गांव पंचायतों की निःशुल्क लेखा परीक्षा की जाती है । अतः लेखा परीक्षा शुल्क का लक्ष्य अवधारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा स्थगित नहीं की गयी है । अतः इन संस्थाओं पर अवधारित की जाने वाली लेखा परीक्षा शुल्क से राजकीय राजस्व की क्षति नहीं होगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ द्वारा सहकारी संस्थाओं में लगे राजकीय ऋण/अनुदान की वसूली की व्यवस्था की जानकारी

31–श्री विजय कुमार तथा श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें लखनऊ द्वारा सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा माह अक्टूबर, नवम्बर, 1999 से स्थगित कराकर केवल गांव सभाओं की ही लेखा परीक्षा करायी जा रही है ? क्या शासन द्वारा सहकारी संस्थाओं में लगे राजकीय ऋण/अनुदान की धनराशि की सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

जी नहीं ।

जी हां ।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में दिये जाने वाले शासकीय ऋण/अंशदान/अनुदान को समितियों को दिये जाने से पूर्व समिति की संचालक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसमें यह उल्लेख होता है कि समिति/संस्था को शासन द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तें मान्य होंगी, प्राप्त किया जाता है।

धनराशियां वापस न होने तथा शर्तों के उल्लंघन की दशा में समस्त धनराशियों को अवशेष भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने का भी प्राविधान किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद बहराइच थानाध्यक्ष कैसरगंज के विरुद्ध श्री रघुवर दयाल वर्मा, स०वि०स० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य विधान सभा, उ०प्र० का पत्र दिनांक 2-1-2000 जो थानाध्यक्ष कैसरगंज बहराइच के विरुद्ध था, प्रमुख सचिव गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद रायबरेली, थाना खीरों, तल्ला खेड़ा पुलिस चौकी में विद्युत, टेलीफोन, वायरलेस, पुलिस बल आदि की व्यवस्था की मांग

33–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के थाना खीरों के अन्तर्गत स्थापित तल्ला खेड़ा पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन में विद्युत, टेलीफोन, वायरलेस की स्थापना के साथ ही उप निरीक्षक के साथ पर्याप्त सशस्त्र पुलिस बल की स्थायी नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो तैनात पुलिस बल की संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

तल्ला खेड़ा पुलिस चौकी में विद्युत एवं टेलीफोन की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कस्बा खीरों में अभी तक टेलीफोन एक्सचेंज/लाइन नहीं है एवं पुलिस चौकी का भवन नवनिर्मित होने के कारण बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। वायरलेस इसलिए स्थापित नहीं है क्योंकि यह चौकी रिपोर्टिंग चौकी नहीं है। चौकी पर स्वीकृत नियतन 1 हेड कान्सटेबिल एवं 5 कान्सटेबिल का है, जिसकी नियुक्ति कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के ब्लाक मुख्यालय दाराहाट में थाना खोलने की मांग

34–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के ब्लाक मुख्यालय दाराहाट में थाना खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर सरकार कब तक थाना खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल क्षेत्रों में पुलिस का कार्य राजस्व पुलिस द्वारा देखे जाने तथा मितव्ययिता की दृष्टि से नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है ।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर बसें चलवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15. श्री विजय पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-1-2000 को प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर बसें चलवाये जाने हेतु दिये गये पत्र में किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुये उक्त मार्गों पर बसें चलवाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 5-1-2000 में तीन मार्गों पर बस सेवा संचालित करने का अनुरोध किया गया था जो कि निम्नवत् है :–

1. आगरा–कुर्रीचिनरपुर–शमशाबाद-मझारा-निबोहरा-फतेहाबाद-शमशाबाद-आगरा ।

2. फतेहाबाद-निबोहरा-मझारा-राजाखेड़ा-शमशाबाद-आगरा ।

3. बाह-फतेहाबाद-शमशाबाद-इरादतनगर-सैय्या-खैरागढ़ ।

प्रथम मार्ग में कुर्रीचिनरपुर मोड़ से कुर्रीचिनरपुर-इरादतनगर 15 कि०मी० तथा प्रथम एवं द्वितीय दोनों मार्गों में नहर मोड़ से मझारा-निबोहरा-फतेहाबाद 24 कि०मी० मार्गांश अराष्ट्रीयकृत है । इस मार्गांश का मझारा-निबोहरा 7 कि०मी० अराष्ट्रीयकृत भाग टूटा-फूटा व सकरा है, जो बड़ी बसों के संचालन योग्य नहीं है । अराष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गांश पर बस संचालन की नीति नहीं है। अतः प्रश्नगत मार्ग पर बस संचालन सम्भव नहीं है ।

तृतीय मार्ग के विभिन्न मार्गांश राष्ट्रीयकृत है । इसके विभिन्न अंशों पर निम्नवत् निगम बस सेवायें संचालित हैं :–

1. फतेहाबाद–बाह भाग पर आगरा-बाह-कचौराघाट के 152 फेरे ।

2. आगरा-फतेहाबाद-शमशाबाद पर 8 फेरे ।

3. इरादतनगर–सैय्या भाग पर आगरा–सैय्या–इरादतनगर दो फेरे व सैय्या-खैरागढ़ भाग पर आगरा–सैय्या-खैरागढ़ के 10 फेरे ।

इसके अतिरिक्त प्रथम एवं द्वितीय मार्गों के मार्गांशों से होकर आगरा-सैंय्या-धौलपुर-ग्वालियर पर लगभग 22 फेरे तथा आगरा-शमशाबाद नहर मोड़-टूला-राजाखेड़ा पर 18 फेरे प्रतिदिन का संचालन किया जा रहा है।

जिला बलरामपुर, थाना उतरौला, ग्राम दुमरिया में नन्दू की सम्पत्ति पर असामाजिक कब्जा/फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने हेतु शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नन्दू आत्मज श्री राम लाल निवासी ग्राम–दुमरिया थाना–उतरौला जिला–बलरामपुर को उनके ग्राम के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने, फर्जी मुकदमें तथा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम में फंसाये जाने हेतु पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री का पत्रांक 277/पी०ए०इ०एस० दिनांक 28-1-98 जिलाधिकारी बलरामपुर को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

श्री नन्दू पुत्र राम लाल द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र अपनी बचत के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिया गया था जिसके आधार पर दिनांक 1-3-98 को थाना–कोतवाली उतरौला में घटना उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 30ए/98 धारा–435/504/427 भा०द०वि० भाईलाल पुत्र मोहनलाल आदि 4 नफर पंजीकृत कराया विवेचना से मामला असत्य पाया गया जिसमें अंतिम रिपोर्ट सं०–12 दिनांक 6-3-98 को न्यायालय प्रेषित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर बस सेवा में जन प्रतिनिधियों को सहवर्ती सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने की मांग

37–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर क्षेत्र में चलने वाली महानगर बस सेवा में जन प्रतिनिधियों (विधायक, सांसद) को एक सहवर्ती के साथ यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उन बसों में उनकी सीट चिन्हित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगर बस सेवा निजी संचालकों द्वारा संचालित हैं।

विधायक निवासों में रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

38–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास ओ०सी०आर०, दारूलशफा, पार्क रोड, मीराबाई मार्ग, बहुखण्डीय मंत्री आवास पर रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वेतनवृद्धि की धनराशि के पुनरीक्षण का निर्णय

39–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि पूर्व में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक/कर्मचारी एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वृद्धि प्राप्त कर रहे थे ? यदि हां, तो क्या सरकार पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों में उक्त शिक्षक/कर्मचारी को एक अतिरिक्त वैयक्तिक वेतन वृद्धि प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

राज्य कर्मचारियों को परिवार कल्याण वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित शर्तें पूरा करने की तिथि को धारित पद के वेतनमान की न्यूनतम वेतन वृद्धि के बराबर धनराशि अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है ।

उक्त धनराशि वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला शाहजहांपुर थाना कटरा में पंकज पुत्र श्री ओम प्रकाश गर्ग के अपहरण का मामला

40–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०–172/99 धारा 364 दिनांक 8-6-99 में थाना कटरा जिला शाहजहांपुर में पंकज पुत्र श्री ओम प्रकाश गर्ग के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो क्या पंकज को पुलिस द्वारा बरामद करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

पंकज को दिनांक 20-1-2000 को बरामद किया जा चुका है ।

प्रश्न नही उठता ।

41–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

(विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

इलाहाबाद मण्डल के राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने एवं स्थायी मोटर परमिट जारी करने की जानकारी

42–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद मण्डल के राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यह मार्ग कौन-कौन हैं और उन पर स्थायी मोटर परमिट जारी करने की कार्यवाही कब से शुरू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों के परिवहन निगम द्वारा बसों के अन्तर्राज्यीय संचालन हेतु समझौते की जानकारी

43–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों के परिवहन निगम द्वारा बसों के अन्तर्राज्यीय संचालन हेतु अभी हाल ही में कोई पारस्परिक समझौता किया गया है ? यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ? क्या सरकार निजी बसों को भी उक्त समझौते के अधीन परमिट स्वीकृत करने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहराइच डिपो की बसों के संचालन से हानि की जानकारी तथा घाघरा घाट एवं जरवल टाउन बस को रोकने हेतु स्टापेज निर्धारित किये जाने की मांग

44–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच डिपो में कुल कितनी बसें इस समय चल रही हैं ? उनसे होने वाली आमदनी से परिवहन विभाग को कितना लाभ हो रहा है ? क्या सरकार घाघरा घाट, जरवल टाउन में प्रत्येक बसों को रोकने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्तमान में बहराइच डिपो में 16 बसें संचालित हो रही हैं जिनसे अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में परिवहन निगम को रु० 10.60 लाख की हानि हुई है ।

घाघरा घाट एवं जरवल टाउन पर परिवहन निगम की सभी बसों को रोकने हेतु स्टापेज निर्धारित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच थाना, चौकी, कोतवाली में प्रभारी पद पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

45–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कुल कितने थाने व कोतवाली तथा चौकियां हैं ? थानाध्यक्ष, कोतवाल और चौकी प्रभारी के तैनाती में क्या पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद में 15 थाने, 4 कोतवाली तथा एक स्थाई एवं 26 अस्थाई चौकियां स्थापित हैं ।

15 थानों में अनुसूचित जाति के 3 तथा पिछड़ी जाति के 4 थाना प्रभारी नियुक्त हैं । अल्पसंख्यक वर्ग का कोई उपयुक्त उप निरीक्षक न होने के कारण थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है । प्रभारी निरीक्षक स्तर के थानों पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग का कोई निरीक्षक जनपद में उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं की गयी है ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं जनपद जौनपुर की तहसील सदर, केराकत के जलालपुर क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं के वितरण की जानकारी

46–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड से मिट्टी के तेल, चीनी आदि की कितनी मात्रा वितरित किये जाने का प्राविधान हैं ? जनपद जौनपुर की सदर तहसील व केराकत तहसील के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर, 1999 तथा जनवरी, 2000 में कितना मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का वितरण स्केल एल०पी०जी० कनेक्शन धारकों को 3 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह तथा बिना एल०पी०जी० कनेक्शन धारकों को 8 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह वितरण करने का प्राविधान है । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की मात्रा का वितरण स्केल 330 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह निर्धारित है चूंकि भारत सरकार से प्रदेश की जनसंख्या के सापेक्ष चीनी एवं मिट्टी तेल का आवंटन कम प्राप्त हो रहा है इसलिए शासन द्वारा जिला अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि कोई उपभोक्ता इन वस्तुओं से वंचित न रहे इसलिए वह वितरण स्केल को आवश्यकतानुसार निर्धारित करके वितरण सुनिश्चित करें । जनपद जौनपुर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित तहसील केराकत के विकास खण्ड–मुफ्तीगंज व जलालपुर तथा तहसील सदर के विकास खण्ड–धर्मापुर व सिरकोनी में माह दिसम्बर, 1999 एवं जनवरी, 2000 में मिट्टी तेल का आवंटन निम्नवत किया गया है :–

नाम विकास खण्ड	आवंटन (कि० ली० में)	
	दिसम्बर 1999	जनवरी 2000
1–मुफ्तीगंज	74	74
2–जलालपुर	99	99
3–धर्मापुर	86	86
4–सिरकोनी	102	102

जिलाधिकारी शाहजहांपुर को एक अप्रैल, 1998 से 1 फरवरी 2000 तक शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र/निस्तारण

47–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर को एक अप्रैल, 1998 से 1 फरवरी 2000 तक कितने शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये तथा कितने शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से 1 फरवरी, 2000 तक जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के कार्यालय में 20,186 शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा कुल 2862 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम बड़ेरिया थाना भीटी के गाटा सं० 276 पर पट्टीदारों द्वारा कब्जा करने की शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री कार्शीनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम व श्री सुक्खू राम पुत्रगण श्री वंशी ग्राम बड़ेरिया थाना भीटी जनपद अम्बेदकर नगर की गाटा सं० 276 पर 30 वर्ष की काबिज भूखण्ड पर जो सहन दरवाजे पर है, पट्टीदारों द्वारा जबरन विगत माह दिसम्बर, 1999 में किये गये कब्जों को खाली कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 20-1-2000 जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अम्बेदकर नगर को आदेश दिये गये, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर से करायी गयी । जांच से पाया गया कि वह जमीन ग्राम समाज की है जिस पर घनश्याम व उसके भाई सूक्खू का कब्जा कभी नहीं था तथा उस पर विपक्षीगण ही काबिज हैं । विवाद को देखते हुए धारा 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

। दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–88 द्वारा उत्तरित ।

50–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

। दिनांक 3-4-2000 को अता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित ।

जनपद आगरा के थाना निबोहरा के अन्तर्गत धनौलाकलां देवी के मन्दिर पर पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

51–श्री विजयपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आगरा के थाना निबोहरा के अन्तर्गत धनौला कलां देवी के मन्दिर पर पुलिस चौकी की स्थापना हेतु तहसीलदार, फतेहाबाद द्वारा भूमि का चयन कर भवन निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को वर्ष 1992 में कोई प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुलिस चौकी अस्थाई पुलिस चौकी है । अस्थाई चौकी के लिए भवन निर्माण कराये जाने का प्राविधान नहीं है ।

52–श्री रामपाल वर्मा–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद इलाहाबाद थाना मेजा, ग्राम शुकुलपुर के श्री अजीत कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राम चन्दर पाण्डेय को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई सहायता उपलब्ध कराने की मांग

53–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 1999 को श्री अजित कुमार पांडेय पुत्र श्री रामचन्दर पांडेय, नि० शुकुलपुर, थाना–मेजा, जनपद इलाहाबाद को 24-12-99 तक 50000/- रुपये तात्कालिक अन्तरिम कम्पनसेशन दिये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र संख्या सी नम्बर 7196/24/98-99-सी सी में दिये गये आदेशों का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल को हल्के वाहन मार्गों पर नियमित परिवहन सेवायें उपलब्ध करवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

54–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक विधायक/7–परिवहन/98–99 दिनांक 20-12-98 जो हल्के वाहन मार्गों पर नियमित परिवहन सेवायें उपलब्ध करवाये जाने विषयक था, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल को प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में हल्के वाहन मार्गों पर नियमित परिवहन सेवायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु लिखा गया था । क्षेत्र में जो हल्के वाहन मार्ग निर्मित हैं, उन पर पर्याप्त मात्रा में जीप टैक्सियां (मैक्सी कैब/मोटर कैब) संचालित हो रही हैं ।

जनपद मैनपुरी के थाना–बेवर में पंजीकृत अपराध संख्या 172/98 के प्रकरण की जानकारी

55–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-119 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या-172/98 थाना–बेवर जनपद मैनपुरी के केस में नामित/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये शासन द्वारा निर्देश कब जारी किये गये हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिये अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये ? क्या यह सही है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर द्वारा उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी में शिथिलता बरती गयी ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

शासन के पत्र संख्या–5913/6–12–99–115 ए० क्यू०/99, दिनांक 27-12-99 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को एवं पत्रांक 5979/115 ए०क्यू०/99 दिनांक 29-12-99 द्वारा एस०एस०पी०, मैनपुरी को अभियुक्तों की गिरफ्तारी की तत्काल कार्यवाही उनके स्तर पर करने तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने के सम्बन्ध में दोषी थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, उक्त अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं डी०जी०सी० (क्रिमिनल) से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। उनके अनुसार चूंकि उक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त अभियोग के किसी भी अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार करना उचित नहीं पाया गया।

अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, बेवर जनपद मैनपुरी श्री अभय सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। थानाध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से वारण्ट प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध सम्मन जारी किये जा चुके हैं, जिससे उन्हें सम्मन तामील कराने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। अभियुक्तों को न्यायालय में दिनांक 7-9-99, 7-10-99, 7-12-99, 1-3-2000, 23-3-2000 व 28-3-2000 को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में बिना न्यायालय के आदेश के अभियुक्तों को गिरफ्तार करना न्यायोचित नहीं पाया गया।

चूंकि उपरोक्त कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत गतिमान है अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी थाना कोतवाली नगर–बांदा में पंजीकृत मु०अ०स० 96/99 के संबंध में जानकारी

56–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–196/99 थाना–कोतवाली नगर–बांदा जनपद मैनपुरी में पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत और किसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ और बाद में किन धाराओं में तरमीम किया गया ? उसके कारण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् किस-किस विवेचक द्वारा विवेचना की गई और क्या अभी तक नामित/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 14-3-99 को पंजीकृत हुआ।

मु०अ०सं०–196/99 थाना कोतवाली नगर जनपद मैनपुरी पर अन्तर्गत धारा 457/380 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। इसे किसी धारा में तरमीम नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक श्री एस०पी० सिंह द्वारा की गयी। इस अभियोग में कोई अभियुक्त न तो नामित था और न ही प्रकाश में आया अतः किसी की गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सन्त रविदास नगर में नागमलपुर सहकारी कृषि सेवा समिति में धांधली की जांच की मांग

57-श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद संत रविदास नगर में सहकारी कृषि सेवा समितियां ऐसी कौन-कौन सी हैं जिनमें गत तीन वर्षों में व्यापक पैमाने पर धांधली एवं अनियमिततायें प्रकाश में आया हैं ? क्या नागमलपुर सहकारी कृषि सेवा समिति पटल की धांधली एवं अनियमितता के कारण बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त समिति को पुनः संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रथम दृष्टया मात्र नागमलपुर, किसान सेवा सहकारी समिति में धांधली एवं अनियमितता प्रकाश में आयी है ।

जी हां ।

जी हां । जांच हेतु जांच कमेटी गठित की गयी है ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–183 द्वारा उत्तरित]

साधन सहकारी समिति सचिव परिषद उ० प्र० के पदाधिकारियों के महंगाई भत्ता के एरियर भुगतान का मामला

59-श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-12-98 को साधन सहकारी समिति सचिव परिषद् उ० प्र० के पदाधिकारियों से दिनांक 1-1-99 से 32% मंहगाई भत्ता दिये जाने तथा मई, 1993 से मंहगाई भत्ते के एरियर का भुगतान करने का समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त एरियर के भुगतान हेतु धन की व्यवस्था कर दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी नहीं । 1-1-99 से 32% महंगाई भत्ता दिए जाने व मई 93 से महंगाई भत्ते के एरियर के लिये धन की व्यवस्था का प्रयास करने का समझौता हुआ था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड फूल बेहड़ के ग्राम सभा फूटाकुआ में स्थापित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरण में धांधली की जांच

60-श्रीमती माया प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम सभा फूटाकुआ में स्थापित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गांववासियों को वितरण की जाने वाली सामग्री एवं विद्यालय के छात्रों को वितरण किये जाने वाले पुष्टाहार जैसे चावल आदि के वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है ? यदि हां तो क्या सरकार वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में किये

गये वितरण से सम्बन्धित उठान रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि को सील कर किसी उच्चाधिकारी से जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

संबंधित उप जिलाधिकारी से जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

जनपद प्रतापगढ़ में श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी पूरे दलपतशाह दयालगंज देवसरा की दर्ज एफ०आई०आर० पर कार्यवाही की मांग

61–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र ख–2 नं० 431495 पर पारित उनके आदेश दिनांक 6-11-99 जो श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी पूरे दलपतशाह दयालगंज देवसरा प्रतापगढ़ की पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को एक एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु दिया गया है, का पालन करते हुए एफ० आई० आर० दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो पंजीयन तिथि, विवेचना का स्तर एफ० आई० आर० की नकल वादी को उपलब्ध कराने की तिथि एवं की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

आदेश दिनांक 6-11-99 से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र अभिलेखों के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया गया है, परन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र ग–2 नं०–700361 दि० 17-11-99 मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश दि० 18-11-99 के साथ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ।

श्री राजेश्वर प्रसाद जायसवाल ने इसी प्रकरण के सम्दन्ध में श्री मितान राम प्रेमी तत्कालीन थानाध्यक्ष, आसपुर देवसरा के विरुद्ध न्यायालय सी०जे०एम० प्रतापगढ़ के यहां वाद सं०–2120/99 दायर किया है जिसमें दि० 24-4-2000 की तिथि नियत है । मा० न्यायालय के निर्णय के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

एफ०आई०आर० दर्ज कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-11-99 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या क–2 नं० 241340 दिनांक 3-11-99 पर पारित उनके आदेश जो श्री राम राज यादव ग्राम-उदईशापुर थाना आसपुर देवसरा एवं श्री राम सोमई राम ग्राम अतरसन्ड थाना कोहडौर तथा श्री राम चन्द्र सिंह कोटिया आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ की एफ० आई० आर० दर्ज कराने के सम्बन्ध में था, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की जमानियां तहसील स्थित न्यायालय भवन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के बैठने की व्यवस्था की मांग

63–श्री सिंहासन सिंह–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील का मुन्सिफ न्यायालय का भवन बनकर कई वर्षों से तैयार होने के बाद भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आज भी जिला मुख्यालय पर ही बैठते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की जमानियां तहसील स्थित न्यायालय भवन पर बैठने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मुंसिफ न्यायालय हेतु कोई शासकीय भवन नहीं बना है । मुंसिफ मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर ही बैठते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालय की स्थापना हेतु वित्तीय कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं हो पाया है ।

जनपद सीतापुर के थाना सदना के ग्राम पनाहनगर में हत्या, बलात्कार, लूट आदि घटनाओं को देखते हुए पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

64–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के थाना सदना में सन् 1992 से लगातार ग्राम पनाहनगर में हत्यायें, बलात्कार, लूट, डकैती आदि की घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पनाहनगर में पुलिस चौकी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

थाना सदना जनपद सीतापुर के ग्राम पनाहनगर में वर्ष 1992 से अब तक हत्या–3, डकैती–1, अपहरण–1 एवं अन्य अपराध–5 घटनायें घटित हुई हैं । ग्राम पनाहनगर हरदोई जनपद की सीमा से मिला हुआ है । ग्राम पनाहनगर के निकटवर्ती ग्राम बेलहरी में पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु प्रस्तावित है । पुलिस चौकी बेलहरी में स्थापित हो जाने से ग्राम पन्नाहनगर में चौकी स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है । उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेलहरी ही पुलिस चौकी हेतु उचित स्थान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंगार को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ द्वारा अवैधानिक रूप से रजिस्ट्री पर रोक से सम्बन्धित शिकायती-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

65–श्री के० सी० सिंह बाबा तथा श्री भारत सिंह रावत–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री वी० के० चौधरी, उप आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ का पत्र संख्या–2536/दिनांक 31-1-2000 सिंगार नगर को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अवैधानिक रूप से की जा रही रजिस्ट्री पर रोक लगाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी लखनऊ/सब रजिस्ट्रार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां, लेकिन वह पत्र सिंगार को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ से सम्बन्धित है न कि सिंगार नगर को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ से ।

उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा लखनऊ सदर के किसी उप निबन्धक कार्यालय में कोई भी लेखपत्र रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं उत्पन्न हुई है।

जनपद आगरा के थाना–वाह, कस्बा जरार में वाह आगरा मार्ग पर बच्चे की कुचलकर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में की गयी पुलिस कार्यवाही

66–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के थाना वाह, कस्बा जरार में वाह आगरा मार्ग पर दिनांक 29 जनवरी, 2000 को दिन में 12 बजे सात वर्षीय दलित बालक सोनू पुत्र सुरेश की बिना नम्बर की जीप की टक्कर लगने से घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से प्राप्त आख्यानुसार थाना वाह अन्तर्गत कस्बा जरार वाह आगरा मार्ग पर जा रही सरकारी जीप संख्या–यू०पी०–80 टी-0340 से दिनांक 29 जनवरी, 2000 को सात वर्षीय दलित बालक सोनू पुत्र सुरेश की टक्कर लगने से घटना स्थल पर मृत्यु हुई।

उक्त घटना के उपरान्त थाना वाह पर मु०अ०सं०–29/2000 धारा 279/304ए भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी एवं गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण समई साक्ष्य, टेक्निकल परीक्षण, मुआयना जीप, पंचायत नामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त का० ड्रा० अवध नारायन के विरुद्ध दिनांक 23-3-2000 को आरोप-पत्र संख्या–38/2000 प्रेषित किया जा चुका है। जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली तहसील आंवला गांव नंगला चम्पतपुर निवासी ख्यालीराम की ऋण वसूली के दौरान मृत्यु के फलस्वरूप मृतकाश्रितों को मुआवजा देने की मांग

67–श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आंवला तहसील जनपद बरेली के गांव नगला चम्पतपुर निवासी-ख्यालीराम की ऋण वसूली के प्रकरण में तहसील कर्मियों द्वारा दिनांक 5-12-99 को हवालात में बन्द करने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक व्यक्ति के आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली से प्राप्त आख्यानुसार ख्यालीराम की मृत्यु ऋण वसूली के कारण हवालात में बन्द करने से नहीं हुई बल्कि हृदय गति रुक जाने के कारण उपचार के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंवला में हुई। ख्यालीराम को ऋण वसूली हेतु लाया अवश्य गया था।

मृतक ख्यालीराम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पूरन को 1.049 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया जा चुका है तथा ख्याली राम के उक्त पुत्र पूरन को ही रीजनल संग्रह चपरासी पद पर तहसील आंवला में नियुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त प्रकरण में परगनाधिकारी, फरीदपुर द्वारा मजिस्ट्रीरियल जांच की जा चुकी है। प्रथम दृष्टया में (दोषी) संग्रह अमीन नायब नाजिर तथा हवालात में तैनात राजस्व विभाग के दो चपरासियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा (दोषी) नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी थाना भोगांव के अपराध संख्या-23/99 की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

68-श्री राम औतार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेश कुमार निवासी-नगला खन्दारी (आलीपुर खेड़ा) थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का अपराध संख्या 23/99 धारा 302 आई० पी० सी० थाना-भोगांव जनपद मैनपुरी के केस में सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा विवेचना कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र के साथ सी० एम०/वि० को०/एम-1/38776/मैनपुरी/2000 दिनांक 24-1-2000 प्रमुख सचिव गृह/सचिव गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

संदर्भित पत्र संख्या-सी०एम०/वि०को०/एम-1/38776/मैनपुरी/2000 दिनांक 24-1-2000 में पत्रांक-38776 के स्थान पर पत्रांक-30776 है।

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना एस०आई०एस० फिरोजाबाद द्वारा की गयी। विवेचना के मध्य तमाम साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि मृतक ज्ञानेन्द्र द्वारा कालेज में एक लड़की से छेड़-छाड़ करने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य से की गयी शिकायत के फलस्वरूप मृतक ज्ञानेन्द्र ने ग्लानि एवं बदनामी के कारण स्वयं आत्महत्या की थी। फलस्वरूप विवेचक द्वारा अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट सं०-25 दिनांक 1-6-99 को मय जुर्मखारिजा प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष के उपयोगार्थ अनुमन्य वाहन के संबंध में जानकारी

69-श्री राम नक्षत्र-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निगम में तैनात अध्यक्ष के लिए कितने वाहन उपयोग करने हेतु अनुमन्य है ? क्या उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष को निगम के चार वाहन यू० पी० 32 ए-625, यू० पी० 32ए-361, यू० पी० जेड० 2101 एवं जिप्सी नम्बर-यू० पी० 32-7661 उनके निजी उपयोग के लिए निगम से देने हेतु अनुमन्य किये गये हैं ? यदि हां, तो किस प्राविधान/शासनादेश के अन्तर्गत ? क्या अध्यक्ष द्वारा उक्त चारों वाहनों का शासन आदेशों के विपरीत प्रयोग किए जाने पर उनसे पेट्रोल एवं मरम्मत पर खर्च किए गए धन की वसूली अध्यक्ष से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

निगम में तैनात अध्यक्ष के लिए नियमानुसार एक वाहन अनुमन्य है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में, प्रश्न में उल्लिखित नम्बरों की गाड़ियां नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा थाना सिकन्दरा में श्री सोनू की हत्या कर दिये जाने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

70–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री सोनू, पुत्र श्रीचन्द उर्फ श्रीदास, निवासी-लखनपुर (महल), थाना-सिकन्दरा, जनपद–आगरा की दिनांक 18-11-99 को हत्या कर दिए जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र दिनांक 26-1-2000 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार द्वारा मृतक व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

इस सम्बन्ध में थाना–सिकन्दरा पर मु०अ०सं०–546/99 धारा 304 भा० द०वि० बनाम वकील, रईस, ग्रीस तीन अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। विवेचनोपरान्त दिनांक 4-1-2000 को आरोप-पत्र सं०–05 प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर थाना तिलहर की उपनिरीक्षक द्वारा रिश्वत लेते समय गिरफ्तारी का प्रकरण

71–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री भगत सिंह, उपनिरीक्षक थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर को दि० 16-3-99 को रिश्वत लेते हुए सतर्कता विभाग, बरेली द्वारा गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

भ्र०नि०सं० अधिनियम, 1988 की धारा–7 व धारा 13(1) (डी) एवं सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4-3-2000 को अभियोजन की स्वीकृत प्रदान कर दी गई है।

72–श्री राजेन्द्र यादव–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक द्वारा राजकीय प्रेस ऐशबाग में आडिट पैडों की निकासी में की गयी हेराफेरी की जांच

73–श्री श्रीराम पाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक द्वारा जून, 1995 से 4 अगस्त, 1995 के मध्य राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ से कितनी धनराशि का आडिट पैड कितनी मात्रा में लाया गया ? क्या यह सही है

कि तीन अधिकार पत्रों पर ग्यारह बार अनियमित रूप से माल निकासी कराकर हेराफेरी की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लगभग 62,000 आडिट पैडों की निकासी की गई थी । पूरे प्रकरण में सी०आई०डी० जांच चल रही है । सही धनराशि मात्रा व अन्य तथ्यों की जानकारी उक्त जांच के बाद ही ज्ञात हो पायेगी ।

आरोपियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ कार्यालय के सेवानिवृत्त अनु० अधि० को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार देयकों का भुगतान की मांग

74–श्री राजपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन० डी० सहगल सेवा निवृत्त, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र०, रा० स० परि० निगम, लखनऊ को बजाज समिति, उ० प्र० शासन 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-1996 से नये वेतनमान में वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप वेतन/पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी हैं ? क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण नये वेतनमान के अन्तर्गत वेतन/पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य देयकों का भुगतान स्थगित है । अतः इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं हैं और न इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता है ।

पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को पुलिस उपाधीक्षक पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति देने संबंधी प्रकरण की जानकारी

75–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिपाही से लेकर प्रभारी निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति देने की नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो निरीक्षक स्तर के कितने प्रकरण विगत 2 वर्षों से लम्बित हैं ? उनको कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति दिये जाने हेतु उ० प्र० पुलिस सेवा नियमावली 1942 में अधिसूचना दिनांक 30-10-99 द्वारा व्यवस्था की गई है । तदनुरूप निरीक्षकों को आउट आफ टर्न पदोन्नति दिये जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक से प्रस्ताव मांगा गया है । नियमावली के अनुरूप पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । अतः इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

आगरा नगर में वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु किये गये उपाय

76-श्री विजय पाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में सड़कों पर वाहनों के द्वारा प्रदूषण से ताजमहल तथा अन्य स्मारकों को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या वाहनों पर अंकुश रखे जाने हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है ? वर्तमान में कुल कितने वाहनों का आवागमन शहर में होता है तथा उससे प्रदूषण की मात्रा कितनी है एवं आज से दो वर्ष पूर्व वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण की मात्रा कितनी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां ।

वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही की जा रही है :-

(1) व्यवसायिक वाहनों तथा आटो रिक्शा/टैम्पो/टैक्सी/जीप/पब्लिक कैरियर का प्रवेश ताजमहल से 500 मीटर क्षेत्र में निषिद्ध कर दिया गया है ।

(2) प्रदूषण की रोकथाम हेतु पुराने टैम्पो को स्क्रबरयुक्त टैम्पो से प्रतिस्थापन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(3) बैटरी चालित वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

(4) प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाहनों की कठोर चेकिंग की जा रही है । प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिनांक 1-4-98 से 25-3-2000 तक 25157 वाहनें चेक की गयीं तथा 7774 वाहनों का चालान किया गया एवं 5407 वाहनें बन्द की गयीं । 31685 वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र एवं 2668 वाहनों को नोटिस जारी की गयी । चालानों के फलस्वरूप रु० 169.86 लाख रुपये प्रशमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया ।

(5) प्रत्येक वाहन को प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र छः माह के लिए जारी किया जाता है और छः माह के पश्चात् पुनः उन वाहनों की प्रदूषण जांच की जाती है ।

(6) आगरा महानगर में चलने वाली बसों की माडल की शर्त 8 वर्ष निर्धारित कर दी गयी है ।

सम्भाग के विभिन्न स्थानों से आगरा नगर में आवागमन करने वाले पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या-383032 है, जिसमें सभी प्रकार की वाहनें सम्मिलित हैं । उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की मात्रा के सम्बन्ध में प्रदूषण बोर्ड की आख्यानुसार जनवरी, 2000 में तथा 2 वर्ष पूर्व जनवरी, 98 के प्रदूषण स्तर का विवरण निम्नवत है :-

(आकड़े माइक्रोग्राम/घनमीटर में)

प्रदूषण की मात्रा	जनवरी, 98	जनवरी, 2000
सल्फर डाई आक्साइड	17.00	11.00
नाइट्रोजन आक्साइड	15.00	10.00
एस० पी० एम०	759.00	559.00

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के दीघ ब्लाक एवं ज्ञानपुर ब्लाक में नये राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग

77–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद संत रविदास नगर के दीघ ब्लाक एवं ज्ञानपुर ब्लाक में नये राशन कार्ड बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाकर वितरित किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है । जनपद संत रविदास नगर के दीघ ब्लाक में परिवारों को चिन्हित करने के उपरान्त उनकी मांग पर 60615 तथा ज्ञानपुर, ब्लाक में 71201 बुकलेट फार्म में नये राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा राशन कार्ड की मांग की जाती है तो उसे जांचोपरान्त नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है ।

पिथौरागढ़ सहकारी भेषज संघ की स्थापना में व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी

78–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ सहकारी भेषज संघ की स्थापना कुल कितनी पूंजी से की गयी है ? उक्त सहकारी संस्था का वर्ष 1999-2000 का टर्न ओवर क्या रहा ? उक्त अवधि में संस्था की लाभ हानि की स्थिति क्या रही है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

पर्वतीय सहकारी भेषज विकास एवं क्रय–विक्रय संघ लि० पिथौरागढ़ की स्थापना वर्ष 1972 में 60 सदस्यों (प्रा० सहकारी समिति) से प्राप्त कुल 7346.00 रु० की अंशपूंजी से की गई है ।

संस्था का वर्ष 1999-2000 में दिनांक 23-3-2000 तक का टर्न ओवर 63.00 लाख रु० है । संस्था का वर्ष 1999-2000 में दिनांक 23-3-2000 तक का शुद्ध लाभ 1.00 लाख रु० (अनुमानित) है ।

79–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[दिनांक 3-1-2000 को अता०प्र० सं०–129 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड बाबागंज ग्राम पंचायत–झींगुर की जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त कोटेदार की व्यवस्था की मांग

80–श्री किशन लाल बघेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड–बाबागंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत-झींगुर की जनसंख्या लगभग पांच छः हजार है और मात्र एक ही कोटेदार की व्यवस्था की गई है ? क्या जनसंख्या के आधार पर एक अतिरिक्त कोटेदार की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1991 जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत झींगुर की जनसंख्या–2844 है जिसके आधार पर एक दुकान की व्यवस्था की गयी है । यदि किसी ग्राम सभा में 4000 से अधिक यूनिटें हैं और ग्राम सभा महसूस करती है कि एक से अधिक दुकाने खोलने से लोगों को सुविधा होगी तो उस स्थिति में ग्राम सभा बराबर-बराबर यूनिट सम्बद्ध करते हुए एक अतिरिक्त दुकान खोलने हेतु प्रस्ताव कर सकती है ।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं के नाम पुष्टाहार का फर्जी वितरण संबंधी प्रकरण की करायी गयी जांच

81–श्री उबैदुर्रहमान

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1998-2000 के मध्य अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के नाम से पुष्टाहार का फर्जी वितरण किया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

माह जुलाई, 97 से दिसम्बर, 98 तक उठाये गये कुल 4174.34 मीट्रिक टन चावल के दुरुपयोग की स्थिति में जांचोपरान्त 4 एफ०आई०आर० उचित दर दुकानों तथा गोदाम प्रभारी के विरुद्ध दर्ज करायी गयीं, साथ ही दुकानों का निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की गयी । जांच हेतु 283/2000, दिनांक 14-3-2000, के अन्तर्गत धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत थाना को० बलरामपुर नगर में दर्ज करा दिया गया है । मुकदमा विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के थाना हरगांव में दलित महिला के साथ हुए दुराचार का मामला, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

82–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के थाना हरगांव में दलित महिला श्रीमती रेखा पत्नी नन्दलाल के साथ सामूहिक दुराचार किया गया था जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के आदेश से मु० अ० सं० 18/2000 धारा 147, 327, 323, 504, 506 व 452 के अन्तर्गत कायम किया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं । इस संबंध में मु०अ०सं०–18/2000 अन्तर्गत धारा 147/376/452/323/504/506 भा०द०वि० व 3(1) 12 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत पीड़ित महिला श्रीमती रेखा व उसके पति नन्द लाल की सूचना पर दिनांक 1-2-2000 को पंजीकृत हुआ ।

नामजद पांच अभियुक्तों में से जयदेव सिंह यादव, दिनेश चपरासी व कल्लन चपरासी को दिनांक 3-2-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियुक्त पंकज पुत्र गप्पू मिश्रा व डैनी पुत्र राम लोटन फरार हैं । इनके विरुद्ध धारा 82 द०प्र०सं० की कार्यवाही न्यायालय से जारी होकर तामील हो चुकी है । उपरोक्त गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 3-2-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

विवेचना जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित शिवपुरी में कु० सुतापा डे का मकान मालिक द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में पत्र एवं कार्यवाही

83–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु० सुतापा डे, पुत्री स्व० श्री एम० आर० डे निवासी-458/1, शिवपुरी, चौक लखनऊ का उनके मकान मालिक द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में फैक्स नं० 230002, दिनांक 16-6-99 एवं फैक्स सं०-230002, दिनांक 02-8-99 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी चौक से करायी गयी । जांच से पाया गया कि आवेदिका, मकान मालिक श्री बशारत अली के मकान में किराये पर रहती हैं । किराये सम्बन्धित विवाद को लेकर आवेदिका द्वारा न्यायालय सिविल जज साऊथ में वाद दायर किया गया था जो कि आवेदिका की अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था । आवेदिका व विपक्षी के मध्य मकान किराये को लेकर व मकान को खाली कराने का विवाद है जो कि दीवानी न्यायालय से सम्बन्धित है । दोनों पक्षों को न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने की हिदायत पुलिस द्वारा दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

84 व 85 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

(दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–96 व 112 द्वारा उत्तरित)

आगरा शहर में निर्जन स्थान पर दो टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थों के अपमिश्रण के दौरान लगी आग संबंधी प्रकरण

86–श्री विजय पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 जनवरी, 2000 को आगरा शहर में मिट्टी तेल के डिपो में टैंकरों से आग लग जाने के कारण तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि टैंकर साल्वेन्ट आयल से भरा था ? यदि हां, तो उक्त डिपो का मालिक कौन है तथा क्या उसके पास लाइसेंस था ? यदि नहीं, तो क्या उसके विरुद्ध रा०सु०का० की कार्यवाही की गयी है तथा मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दिनांक 12-1-2000 को जनपद आगरा शहर में मिट्टी तेल के डिपो में टैंकरों में आग नहीं लगी थी बल्कि एक निर्जन स्थान पर दो टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थों के अपमिश्रण के दौरान टैंकरों में आग लग जाने के कारण उक्त कार्य में संलिप्त तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी । जले हुए टैंकरों में अवशेष पेट्रोलियम पदार्थों के विश्लेषण से साल्वेन्ट आयल नहीं पाया गया । चूंकि मिलावट का कार्य निर्जन स्थान पर किया जा रहा था, अतः किसी डिपो मालिक के विरुद्ध रा०सु०का० में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों के अपमिश्रण एवं कालाबाजारी के उद्देश्य से यह अपकृत्य किया जा रहा था, इसलिए मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं ही नहीं उठता किन्तु जो मिट्टी तेल थोक विक्रेता तथा पेट्रोल/डीजल विक्रेता इस प्रकरण में अन्तर्लिप्त पाये

गये, उनके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रियानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही करके उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये गये।

प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से कुल उत्पादन क्षमता एवं उक्त कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अब तक लगाई गयी पूंजी की जानकारी

87. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 31 दिसम्बर, 1999 तक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की प्रदेश में उत्पादन क्षमता कितनी है ? वैकल्पिक ऊर्जा के कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बंच्चा पाठक)–

31 दिसम्बर, 1999 तक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3662.56 किलोवाट थी।

वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल रु० 13,134.18 लाख की पूंजी लगायी जा चुकी है।

जनपद बरेली के ग्राम टाटराबाद थाना जैतीपुर में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा उस पर कार्यवाही

88–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-4-98 जो जनपद बरेली के ग्राम टाटराबाद थाना जैतीपुर में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र पर दिनांक 9-4-98 को प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जी हां।

मा० प्रश्नकर्ता सदस्य का उक्त पत्र दिनांक 9-4-98 को शासन के पत्र संख्या-611 सी०एम०/6-12-98, दिनांक 25 मई, 1998 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

89–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

। दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–95 द्वारा उत्तरित।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के क्षेत्र सुरियावां के साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों को वेतन दिलाने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास क्षेत्र सुरियावां के साधन सहकारी समिति के कर्मचारियों को वेतन दिलाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का प० सं० 113/सी०एम०/49-1-99 दिनांक 1-11-1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक

समितियों द्वारा वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

मा० मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र दिनांक 19-2-00 प्राप्त [illegible] हुआ ।

समिति के व्यवसाय में कमी के कारण तथा प्रबंधकीय व्यय/वेतन खाते में समिति द्वारा धनराशि जमा न होने के कारण ।

कर्मचारियों को वेतन के भुगतान का पूर्ण दायित्व समिति का है समिति आर्थिक रूप से कमजोर है । समिति द्वारा प्रबन्धकीय व्यय खाते में धन जमा करने पर ही वेतन का भुगतान हो पायेगा ।

जनपद गोण्डा में स्थित किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल के आंकिक प्रभारी सचिव द्वारा राज्य कर्मचारियों की भांति देय वेतनादि से दो गुना अतिरिक्त आहरित करने के मामले पर कार्यवाही की मांग

91–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद में स्थित किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल के आंकिक प्रभारी सचिव वर्ष 1986 से अब तक नियम विरुद्ध बिना विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये समिति से राजकीय कर्मचारियों की भांति वेतन, मंहगाई भत्ता, बोनस, मकान किराया भत्ता के मद में कैडर सचिवों से लगभग दो गुना वेतन समिति से सीधे प्राप्त कर संस्था को लाखों रुपये से क्षति पहुंचायी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

अपर जिला सहकारी अधिकारी (सदर), गोण्डा से जांच कराई जा रही है । जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल में उर्वरक का उठान एवं बिक्री से प्राप्त धन के ब्यौरे की जानकारी

92–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद के किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल में जुलाई एवं अगस्त, 1998 में कितने मीट्रिक टन उर्वरक की उठान हुयी थी ? उसमें से कितनी उर्वरक बिक्री होकर बैंक में धन जमा हो चुका है और कितना स्टाक शेष है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल में माह जुलाई, एवं अगस्त, 1998 में 12 मीट्रिक टन उर्वरक (यूरिया) की उठान हुई थी ।

उक्त 12 मीट्रिक टन उर्वरक (यूरिया) में से 4.15 मीट्रिक टन की बिक्री की गई एवं रु० 9,618.00 जिला सहकारी बैंक गोण्डा, शाखा पण्डरीकृपाल में जमा किया गया । वर्तमान में 7.85 मीट्रिक टन उर्वरक का स्टाक समिति पर शेष है ।

जनपद गोण्डा की पण्डरीकृपाल किसान सेवा सहकारी समिति पर इलाहाबाद बैंक का ऋण/वापसी में हुई अनियमितता की जानकारी

93–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद की पण्डरीकृपाल किसान सेवा सहकारी समिति पर 1-7-86 को इलाहाबाद बैंक का कितना ऋण था तथा 1986 से 1997 तक जिला सहकारी बैंक ने उक्त समिति को कितना वित्तपोषण किया ? उक्त में से कितना ऋण जिला सहकारी बैंक को वापस हुआ तथा कितना इलाहाबाद बैंक को वापस हुआ ? क्या उक्त सहकारी बैंक में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

उक्त सहकारी समिति पर 1-7-86 को इलाहाबाद बैंक का–मु० 10,55,588.83 रुपये ऋण लगा था। वर्ष 1986 से 1997 तक जिला सहकारी बैंक गोण्डा द्वारा समिति को मु० 23,16,084.82 का वित्त पोषण किया।

जिला सहकारी बैंक को–मु० 12,31,019.82 रुपया तथा इलाहाबाद बैंक को मु० 6,52,912.15 रुपया वापस हुआ।

जिला सहकारी बैंक में इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

प्रश्न हीं उठता।

जनपद गोण्डा में स्थित किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल के निरीक्षण के समय सचिव द्वारा कैशबुक न दिखाने का प्रकरण

94–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद में स्थित किसान सेवा सहकारी समिति लि० पण्डरीकृपाल का निरीक्षण दिनांक 22-10-98 को जिलाधिकारी गोण्डा ने किया था ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण के समय समिति के सचिव द्वारा कैशबुक नहीं दिखायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां, जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिनांक 22-10-98 को किसान सेवा सहकारी समिति लि० का निरीक्षण किया गया था।

जी हां।

कैशबुक समिति के पास उपलब्ध नहीं थी। बाद में कैशबुक शाखा में जमा कर दी गई।

जनपद गोण्डा, साधन सहकारी समिति लि० जमथरा द्वारा उर्वरक उठान तथा बिक्री में सचिव द्वारा गबन का प्रकरण

95–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद में साधन सहकारी समिति लि० जमथरा में वर्ष 95-96 से 96–97 में कितनी उर्वरक उठायी गयी है ? उसमें से कितनी उर्वरक नकद तथा कितनी उर्वरक अंश–ख के तहत वितरित की गयी है ? अंश–ख पर वितरित दिखायी गयी उर्वरक किन-किन सदस्यों में वितरित की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त समिति में उक्त अवधि में 790 मी० टन

उर्वरक सचिव द्वारा उठायी गयी है तथा सम्पूर्ण उर्वरक बिक्री करके सचिव द्वारा 50 लाख रुपये का गबन किया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां । साधन सहकारी समिति लि० जमथरा द्वारा वर्ष 95-96 एवं 96-97 में कुल 620 मै० टन उर्वरक उठाई गई ।

सम्पूर्ण उर्वरक अंश "ख" के रूप में चेक पर वितरित की गई है ।

सदस्यों की सूची प्राप्त करने हेतु उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–37 के अन्तर्गत आदेश निर्गत कर दिया गया है ।

जी नहीं । उक्त अवधि में सचिव द्वारा कुल 620 मै० टन उर्वरक ही उठाई गई है । वितरित उर्वरक के सत्यापन/जांच का आदेश निर्गत कर दिया गया है । सत्यापन/जांच आख्या प्राप्त होने से पूर्व गबन के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में साधन सहकारी समिति लि०, जमथरा समिति में फर्जी ऋण वितरण/वित्तीय अनियमितता की जांच कराने का प्रकरण

96–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमथरा समिति में फर्जी ऋण वितरण एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु विगत वर्ष जिला–अधिकारी गोण्डा ने श्री आर० के० शुक्ला को जांच करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त गबन की जांच की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां गोण्डा ने श्री आर० के० शुक्ला अपर जिला सहकारी अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया ।

जी हां ।

जांच 7-1-99 को की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में पुलिस चौकी गंज जलालाबाद में टेलीफोन की व्यवस्था की मांग

97–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की पुलिस चौकी गंज जलालाबाद में टेलीफोन की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त चौकी में टेलीफोन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं । उक्त चौकी के जनपद नियतन से बनाये जाने के कारण उस पर नियमानुसार टेलीफोन की सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक श्री गोपीनाथ पाठक लाइसेन्स संख्या–157/92 की वैधता सीमा फैजाबाद मण्डल से बढ़ाकर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश किये जाने संबंधी जानकारी

98–श्री सीताराम निषाद

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–46 एवं प्रथम सत्र, 1999 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–149 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–157/ फैजाबाद में शस्त्र प्रयोग करने का क्षेत्र फैजाबाद मण्डल ही दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक श्री गोपीनाथ पाठक अपनी बन्दूक लेकर फैजाबाद मण्डल से बाहर भी आ जा रहे हैं ? यदि हां, तो किसके आदेशानुसार ? क्या इससे धोखाधड़ी का अपराध शस्त्र अनुज्ञप्ति धारक के विरुद्ध बनता है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत शस्त्र लाइसेंस संख्या 157/92–थाना कोतवाली अयोध्या फैजाबाद की मूल वैधता सीमा फैजाबाद मण्डल थी जिसे दिनांक 27-6-97 को बढ़ाकर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश किया जा चुका है ।

चूंकि लाइसेंस की सीमा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है अतः लाइसेंसी अपना शस्त्र तद्नुसार फैजाबाद से बाहर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ले जा सकता है ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोरखपुर के थानावार अंकित, निस्तारित तथा अवशेष मामलों का विवरण

99–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा खोराबार, चौरीचौरा, बेलीपार, राजघाट, पिपरौली, गगहा, खजनी गोला, बड़हलगंज तथा बांस गांव में वर्ष 1999 से जनवरी 2000 तक थानावार थाना दिवस के अवसर पर कितने मामले अंकित हुए ? क्या उन मामलों को निस्तारित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

थानावार अंकित, निस्तारित तथा अवशेष मामलों का विवरण निम्नवत है :–

नाम थाना	वर्ष 1999 से जनवरी, 2000 तक थानावार, अंकित मामलों की संख्या	वर्ष 1999 से जनवरी, 2000 तक थानावार निस्तारित मामलों की संख्या	अवशेष मामलों की संख्या
1	2	3	4
1–झंगहा	413	413	—
2–खोराबार	597	596	1–मौके पर इस समय फसल लगी है कटने पर पैमाइश कराकर निस्तारण किया जायेगा ।

1	2	3	4
3–चौरीचौरा	376	369	7–न्यायालय में लम्बित हैं।
4–बेलीपार	147	130	17–न्यायालय में लम्बित हैं।
5–राजघाट	6	6	—
6–पिपरौली	54	54	—
7–गगहा	124	124	—
8–खजनी	116	112	4–चकबन्दी विभाग में लम्बित हैं।
9–गोला	269	264	5–न्यायालय में लम्बित हैं।
10–बड़हलगंज	126	126	—
11–बांसगांव	179	179	—

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज, थाना छिबरामऊ में पंजीकृत मुकदमा में सिपाहियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही की जानकारी

100–श्री महेन्द्र कुमार सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-3-1993 को जिन सिपाहियों के विरुद्ध 114/93 धारा 218, 467, 468, 471, 473, 341 व 120 बी के अन्तर्गत थाना–छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में मुकदमा पंजीकृत हुआ था ? क्या न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक को उन सिपाहियों की गिरफ्तारी के संबंध में आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन सिपाहियों की गिरफ्तारी हुई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां। दिनांक 12-3-1993 को थाना–छिबरामऊ जनपद कन्नौज में आरक्षी 714 ना०पु० छत्रपाल सिंह, 335 ना० पु० चन्द्र किशोर एवं 517 ना०पु० रमाकान्त अग्निहोत्री के विरुद्ध मु०अ०सं०–114/93 धारा 218/468/473/120 बी व 341/471 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ था।

उक्त आरक्षियों द्वारा दिनांक 17-4-93 को गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगनादेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त कर लिये जाने के कारण आरक्षियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। दोषी आरक्षियों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–7 दिनांक 29-1-96 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ थाना गोसाईगंज में श्रीमती बुधाना निवासी कस्बा अमेठी के पुत्र की हत्या के मामले की जांच विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

101–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मानवाधिकार, डी०जी०पी०ओ० लखनऊ का पत्र संख्या 3764/99 दिनांक 22-11-99 के साथ श्रीमती बुधाना पत्नी स्व० श्री [illegible] निवासी, कस्बा अमेठी, मो० मुंशीगंज, थाना गोसाईगंज, लखनऊ का शिकायती प्रार्थना-पत्र जो उसके पुत्र की कुछ

लोगों द्वारा हत्या किये जाने की जांच के सम्बन्ध में है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को जांच हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा की गयी । जांच से पाया गया कि दिनांक 20-4-99 को थाना गोसाईगंज पर आवेदिका के पुत्र गोपीचन्द द्वारा सरिये से मारपीट किये जाने तथा धमकी दिये जाने की घटना के सम्बन्ध में हरिश्चन्द्र एवं अन्य के विरुद्ध मु०अ०सं०–90/99 दर्ज कराया गया । इस अभियोग की विवेचना करते हुये पुलिस द्वारा अभियुक्त हरिश्चन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा साक्ष्य के आधार पर दिनांक 3-6-99 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । दिनांक 9-6-99 को गोपीचन्द्र की मृत्यु हो गयी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर श्री गोपीचन्द्र की मृत्यु पूर्व में आयी चोटों के कारण होना नहीं पाया गया, बल्कि अन्य कारणों से मृत्यु होना पाया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

102–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 27-3-2000 की अता० प्र० सं० 127 द्वारा उत्तरित]

जनपद रायबरेली में श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव लिपिक, उपकोषागार की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप देयकों के भुगतान का प्रकरण

103–श्री अफजाल अहमद–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव लिपिक, उपकोषागार, रायबरेली की मृत्यु 28 मई, 1994 को सेवा काल में हो गयी थी ? क्या मृतक आश्रित को उनके अवशेष देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीशजी'–

जी हां ।

जी नहीं ।

दावेदार द्वारा सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने के कारण ही भुगतान नहीं हो सका है ।

जनपद बहराइच की तहसील-नानपारा अन्तर्गत अवध फर्टीलाइजर व अवध वुड प्रोडक्ट्स आसाम रोड, परवानी गौढ़ी मिहीपुरवा द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के कारण मिल बन्द करने विषयक पत्र एवं कार्यवाही

104–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील–नानपारा अन्तर्गत अवध फर्टीलाइजर व अवध वुड प्रोडक्ट्स आसाम रोड, परवानी गौढ़ी मिहीपुरवा द्वारा शासकीय मापदण्डों को नजर अन्दाज कर, फैलाये जा रहे प्रदूषणों के कारण मिल बन्द कराये जाने सम्बन्धी श्री जय प्रकाश वर्मा अध्यक्ष जिला लोकदल बहराइच श्रावस्ती का पत्र दिनांक 8-10-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच कोतवाली मुर्तिहा अन्तर्गत ग्राम घुमनाभारू, निवासी झुनखुन पुत्र रामलाल की हत्या करने वाले नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

105–श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच थाना-कोतवाली-मुर्तिहा अन्तर्गत ग्राम-घुमनाभारू, निवासी–झुनखुन पुत्र राम लाल (अनु०जा०) भूतपूर्व सैनिक की दिनांक 29-9-99 को प्रातः 7.00 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मु०अ०सं० 78/99 धारा–302 भा०दं०वि० के तहत नामजद अभियुक्तगणों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

इस अभियोग में कोई अभियुक्त नामजद नहीं था बल्कि वादी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह व्यक्त किया गया था । संदेही अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया । विवेचना एस० आई० एस० गोरखपुर द्वारा प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नये राशन कार्डों पर बढ़ाये गये यूनिटों पर वितरण प्रणाली का लाभ दिये जाने की मांग

106–श्री विजयपाल सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नये राशन कार्ड पूर्ण रूप से वितरित कर दिये गये है ? क्या बढ़ी हुई यूनिटों को वितरण प्रणाली का लाभ मिलने लगा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । राशन कार्ड बनाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जो व्यक्ति राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन करते हैं, जांचोपरान्त कार्ड बना दिया जाता है ।

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल 1991 की जनसंख्या के आधार पर मिल रहा है, बढ़ी हुई जनसंख्या एवं बढ़े हुए राशन कार्डों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आवश्यक वस्तुऐं सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके इसलिए जिला स्तर पर राशन के स्केल में परिवर्तन किये जाने का अधिकार दिनांक 11 जून, 99 को जिलाधिकारियों को दे दिया गया है ।

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उ० प्र० रायबरेली द्वारा वर्ष 1997-98 में कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का प्रकरण

107–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, उ०प्र० रायबरेली द्वारा वर्ष 1997-98 से अब तक कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्यवाही की गयी है और उसमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय गोपनीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उ० प्र० रायबरेली द्वारा वर्ष 1997-98 से अब तक कुल 06 कर्मचारियों को वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति की गयी है । उनमें से दो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है ।

उपरोक्त 06 कर्मचारियों में से 04 अनुसूचित जाति के एवं 02 कर्मचारी सामान्य वर्ग के हैं ।

जी नहीं । जिला सहायक निबन्धक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वार्षिक/विशेष चरित्र प्रविष्टि की संस्तुति करने का अधिकार प्राप्त है । साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य व्यवहार असंतोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करने का अधिकार प्रदत्त है । अतः किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पी० ए० सी० के जवानों के रहने हेतु तम्बुओं की आपूर्ति

108–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पी०ए०सी० के जवानों को फील्ड व आपातकालीन ड्यूटी में हमेशा तम्बुओं में रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पिछले 15 वर्षों से तम्बुओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तम्बुओं की आपूर्ति शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । अधिकांशतः तम्बुओं में फील्ड ड्यूटी में रहना पड़ता है ।

यह सत्य है कि पिछले 15 वर्षों से तम्बुओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है । विगत तीन वर्षों में ही 5,602 टेंटों की आपूर्ति की गई है । अवशेष 3,668 टेंटों की आपूर्ति के संबंध में अधिकृत संगठनों को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सत्येन्द्र सिंह अध्यापक जगदेव सिंह पूर्व विधायक को बी क्लास की जेल में दी गयी सुविधा के समान श्री राम गोपाल मिश्र पूर्व एम० एल० सी० को लखनऊ जेल में बी क्लास की सुविधा देने की मांग

109–श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्येन्द्र सिंह (अध्यापक) को सुल्तानपुर सेन्ट्रल जेल में "बी" क्लास सुविधा एवं जगदेव सिंह (पूर्व विधायक जालौन) को फैजाबाद सेन्ट्रल जेल में "बी" क्लास सुविधा प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या श्री राम गोपाल मिश्र (पूर्व एम०एल०सी० तथा पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सीतापुर) को लखनऊ जिला जेल में उक्त "बी" क्लास सुविधा नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरुद्ध बंदी सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह निवासी–गगौर, थाना–अमेठी, जिला सुल्तानपुर एवं जिला कारागार, फैजाबाद में निरुद्ध बंदी जगदेव सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह निवासी–जिला जालौन को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से उच्च श्रेणी सुविधा दी गयी है ।

जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध बंदी राम गोपाल मिश्र पुत्र श्री संकठा प्रसाद मिश्र निवासी–निराला नगर, लखनऊ जो एस०टी०नं० 382/81 के अन्तर्गत धारा–147/148/149/302/307 भा०दं०वि० में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित है तथा अपराध संख्या–390/87 एवं अपराध संख्या–3582/97 में विचाराधीन बंदी के रूप में निरुद्ध थे, को शासनादेश संख्या–15 जे०पी०आर०/22-3-900(5)/99, दिनांक 24-1-2000 के द्वारा कारागार में उच्च श्रेणी सुविधा दिये जाने के संबंध में शासन को अनापत्ति जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को दी जा चुकी है । सम्प्रति उक्त बंदी दिनांक 30-3-2000 से सक्षम न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकृत हो जाने के कारण कारागार से बाहर है ।

बनारस में निर्मित भवनों की मालियत पर पी० डब्लू० डी० के मानक ह्रास मूल्य के अनुसार देय स्टाम्प शुल्क की तरह मिर्जापुर में निर्मित भवनों से स्टाम्प शुल्क लेने का सुझाव

110–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बनारस में निर्मित भवनों की मालियत पर पी०डब्लू०डी० के मानक ह्रास मूल्य (डेप्रीसियेटेड वेल्यू) के आधार पर स्टाम्प शुल्क देय है ? यदि हां, तो क्या मिर्जापुर में निर्मित भवनों की मालियत पर मानक ह्रास मूल्य (डेप्रीसियेटेड वेल्यू) के आधार पर स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति की मूल्यांकन) नियमावली–1997 में गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन करने के लिये जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम दर के आधार पर भवन की प्रत्येक मंजिल के पूरे निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्य में भूमि का भी न्यूनतम मूल्य जोड़कर पूरा न्यूनतम मूल्य निकाला जाता है । वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन करने के लिये जिले के कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम किराये की दर से भवन के प्रत्येक मंजिल के निर्मित क्षेत्रफल को गुणा करके पूरा न्यूनतम मूल्य निकाला जाता है । उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत वाराणसी में भी जिलाधिकारी द्वारा व्यवसायिक एवं आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम मूल्यांकन दरें तथा व्यवसायिक भवनों के लिए न्यूनतम किराये की

दरें निर्धारित की गई हैं । इन दरों के आधार पर सम्पत्ति का मूल्यांकन करते समय कलेक्टर द्वारा ह्रास मूल्य (डिप्रिसिऐशन) पर विचार किये जाने की व्यवस्था नहीं की गई है ।

परीक्षण कराया जा रहा है ।

शीघ्रातिशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी०जी०पी० द्वारा उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले एस०आई० श्री इतवारी लाल को प्रोन्नति एवं पुरस्कृत धनराशि का भुगतान किये जाने की मांग

111–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 फरवरी, 1997 को डी०जी०पी० श्री हरिदास राव द्वारा उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने हेतु एस०आई० श्री इतवारी लाल को पदोन्नति एवं पुरस्कार स्वरूप 60 हजार रुपये देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को पदोन्नति एवं घोषित धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

112–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 27-3-2000 की अता० प्र० सं० 120 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिबली महाविद्यालय के कुछ छात्रों को "वन्दे मातरम्" गान से विद्यालय प्रशासन द्वारा रोके जाने का प्रकरण

113–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 26-1-2000 (गणतंत्र दिवस) को जनपद आजमगढ़ में शिबली महाविद्यालय में कुछ छात्रों को "वन्देमातरम् गान" कहने से विद्यालय प्रशासन द्वारा रोका गया था ? यदि हां, तो "वन्देमातरम्" कहने की अनुमति न देने के मामले में उक्त विद्यालय के प्रशासन तंत्र के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जांचोपरान्त मु०अ०सं० 128बी/2000 धारा–147.323.504.506.153ए, 153बी/505 भा०दं०वि० व धारा–2 राष्ट्रीयध्वज–गरिमा अपमान निवारण अधि०–1971 विरुद्ध इफ्तेखार अहमद (प्राचार्य) शिबली नेशनल डिग्री कालेज आजमगढ़ व जफर पुत्र अब्दुल कयूम (प्रवक्ता रसायन विज्ञान) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त अब्दुल बदद (लैब सहायक) शिबली नेशनल डिग्री कालेज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त इफ्तेखार अहमद व अब्दुल बदद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियुक्त जफर के विरुद्ध 82/83 सी० आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । उपरोक्त अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारण निगम द्वारा 500 एम० टी० गोदाम निर्माण कराये जाने हेतु आमंत्रित निविदा सम्बन्धी प्रकरण

114-श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भण्डारण निगम द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में 500 एम० टी० गोदाम निर्माण कराये जाने हेतु निविदायें दि० 5-4-99 को आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या न्यूनतम निविदा दर को स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

दिनांक 5-4-99 को नहीं वरन् दिनांक 05-1-99 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं जिसमें दो निविदायें प्राप्त हुई थीं । प्राप्त निविदाओं की दरें शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से अधिक होने के कारण दोनों निविदायें निरस्त कर दी गईं । दिनांक 17-03-99 को पुनः निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसमें भी दो निविदायें प्राप्त हुईं । निविदा दरें अधिक होने के कारण दोनों निविदादाताओं यथा मे० खुशाल सिंह मेहता, लिंक रोड, पिथौरागढ़ एवं मैं० एस० टी० एसोसियेट्स, रेलवे बाजार, हल्द्वानी को तार द्वारा निगोशिएशन हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 28-4-99 को मे० एस० टी० एसोशिएट्स से कोरियर के माध्यम से दरें कम करने का आफर प्राप्त हुआ, जो शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रु० 26.50 लाख से 2.5 प्रतिशत कम था । अतः शासन/निगम हित में उक्त निविदा स्वीकार की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में साधन सहकारी समिति लि० जमथरा में उठायी गयी उर्वरक तथा उसके वितरण में हुई अनियमितता की शिकायत

115–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद में साधन सहकारी समिति लि० जमथरा में वर्ष 95-96 से 96-97 में कितनी उर्वरक उठायी गयी है ? उनमें से कितनी उर्वरक नकद तथा कितनी उर्वरक अंश–ख के चेक पर वितरित की गयी है तथा अंश–ख पर वितरित दिखायी गयी उर्वरक किन-किन सदस्यों को वितरित की गयी है ? क्या यह सही है कि 700 मी० टन उर्वरक सचिव द्वारा फर्जी सदस्यों के नाम अंश–ख चेक पर वितरण दिखा कर 50 लाख रुपये का गबन किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

साधन सहकारी समिति लि०, जमथरा जनपद गोण्डा द्वारा वर्ष 95-96 एवं 96-97 में कुल 620 मै० टन उर्वरक उठायी गयी ।

सम्पूर्ण उर्वरक अंश–ख के रूप में चेक पर वितरित की गयी है ।

सदस्यों की सूची प्राप्त करने हेतु उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–37 के अन्तर्गत आदेश निर्गत कर दिया गया है ।

सचिव द्वारा 620 मै० टन उर्वरक सदस्यों के नाम अंश–ख चेक पर वितरण दिखाया गया है । वितरित उर्वरक के सत्यापन/जांच के उपरान्त ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी ।

जांच का आदेश निर्गत कर दिया गया है । दोषी पाये जाने पर दण्डित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम मलाक चतुरी सोरांव तथा लखनीपुर में फर्जी राशन कार्ड बनाने का मामला

116–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मलाक चतुरी, सोरांव इलाहाबाद में गरीबी की रेखा के नीचे एवं सामान्य वर्ग के कुल कितने राशन कार्ड बनाये गये हैं ? क्या यह सही है कि गरीबी की रेखा के नीचे के बनाये गये 174 कार्डों में ग्राम मलाक चतुरी के अलावा ग्राम लखनीपुर के 36 लोगों के नामों से फर्जी राशन कार्ड बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ लोहाघाट में मुन्सिफ न्यायालय हेतु भवन हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जानकारी

117–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रस्तावित लोहाघाट मुन्सिफ कोर्ट हेतु भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो उसमें मुंसिफ कोर्ट कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

भवन स्थानान्तरण की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर तथा लखनऊ की बाजार के किराये निर्धारण में व्याप्त भिन्नता

118–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के वासलीगंज मोहल्ले के किराये का निर्धारण लखनऊ के अमीनाबाद बाजार के किराये से अधिक है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में एक मंजिल से तीन मंजिल तक के पक्के भवनों तथा कच्चे मकान की स्टैम्प ड्यूटी में व्याप्त भिन्नता की जानकारी

119-डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में एक मंजिल से तीन मंजिल तक के पक्के भवनों का स्टैम्प शुल्क रु० 328.00 वर्ग फुट तथा कच्चे मकान का रुपया 100.00 वर्गफुट है ? क्या मिर्जापुर की सदर तहसील के अन्तर्गत प्रत्येक मंजिल का अलग-अलग स्टैम्प शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

तहसील चुनार में एक से तीन मंजिल तक के भवनों पर रु० 328.00 प्रति वर्ग फीट की दर से मूल्यांकन किया जाता है । कच्चे मकान के मूल्यांकन के लिये रु० 97.40 प्रति वर्ग फुट दर निर्धारित है ।

नहीं । मिर्जापुर सदर के अन्तर्गत प्रत्येक मंजिल का एक ही दर पर कवर्ड एरिया के अनुसार मूल्य आगणन करके स्टाम्प शुल्क लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।)

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डभौरा विकास खण्ड जैतीपुर में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के राशन कार्ड बनवाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

121–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 14-10-99 जो ग्राम डभौरा, विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के राशनकार्ड बनवाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के थाना मेहनाजपुर में चोरी की तीन अलग-अलग घटना की समेकित रिपोर्ट दर्ज करने वाले दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

122–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम व थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ में 9/10 फरवरी, 2000 को रात्रि में दो सर्राफा व्यापारी तथा एक घड़ी व्यापारी के यहां चोरी हुई थी ? क्या मेहनाजपुर थाने की पुलिस ने तीन अलग-अलग स्थानों तथा अलग-अलग व्यक्तियों की उक्त चोरी को एक ही रिपोर्ट में दर्ज कर अपराध संख्या को कम करने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चोरी की घटना को कम करके दर्ज करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जांच से पाया गया कि घटना से प्रभावित वादी मुकदमा हरिश्चन्द्र सेठ, प्रमोद कुमार सेठ एवं भोलेन्द्र कुमार सेठ के संयुक्त हस्ताक्षर के एक ही प्रार्थना-पत्र दिया गया जिस पर थाना मेहनाजपुर की पुलिस द्वारा एक ही मुकदमा अप० संख्या–14/2000 धारा–457/380 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया ।

इस संबंध में क्षेत्राधिकारी को प्रारम्भिक जांच दी गयी है जांच प्राप्त होने पर दोषी कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत की कोतवाली बीसलपुर में राम भरोसे यादव नामक व्यक्ति की हत्या का प्रकरण

123–श्री अनीस खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की कोतवाली बीसलपुर में राम भरोसे यादव नामक व्यक्ति की हत्या का मुकदमा पुलिस के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1999 में कायम हुआ था ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या हत्या के दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 3-12-99 को श्री लालाराम पुत्र श्री केदार निवासी ग्राम सादिया थाना–बीसलपुर द्वारा दी गयी सूचना पर थाना–बीसलपुर पर मु०अ०सं०–624/99 धारा 302 भा०दं०वि० बनाम बीसलपुर व बिलसण्डा पुलिस पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक, दियुरियाकला द्वारा की गयी । विवेचना के दौरान राम भरोसे की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में होना पाये जाने तथा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के फलस्वरूप अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट सं०–100, दिनांक 31-12-99 को मा० न्यायालय प्रेषित करते हुए, विवेचना समाप्त की गयी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक राम भरोसे लाल की मृत्यु से संबंधित घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच परगना मजिस्ट्रेट, बीसलपुर द्वारा की गयी थी । मजिस्ट्रीरियल जांच में इस घटना में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का कोई दोष नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ई०ओ०डब्लू सी०आई०डी० मुनीम पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

124–श्री सिंहासन सिंह

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ई० ओ० डब्लू० सी० आई० डी० मुनीम पद पर कार्यरत कर्मचारी को वेतनमान रुपये 354–550 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक "कार्मिक" उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या–3क–45–77, दिनांक 19 सितम्बर, 1985 द्वारा वेतनमान रुपये 430–12–490–15–520–द०रो०–15–640–द०रो०–15–685 में करने हेतु पुलिस अधीक्षक, अर्ध विषयक अभिसूचना एवं

अनुसंधान इकाई को निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या आदेश का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त प्रकरण में अनुपालन की कार्यवाही करायी जा रही है ।

125–श्री राजेन्द्र सिंह–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद फैजाबाद की बाल पोषाहार योजनान्तर्गत विगत वर्ष गेहूं रिलीज न किये जाने संबंधी जानकारी

126–श्री सीताराम निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि बाल पोषाहार योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में/प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दिया जाने वाला गेहूं दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 1999 तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उक्त अवधि में गेहूं न दिये जाने का कारण क्या है और उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद फैजाबाद में दिसम्बर, 1998 में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत आवंटित गेहूं 627.132 मीट्रिक टन के विरुद्ध 617.075 मीट्रिक टन का उठान कर वितरण किया गया । जनवरी, 1999 से फरवरी, 1999 तक का उठान न होने के निम्न कारण हैं :–

जनवरी व फरवरी, 1999 का उठान उपभोग प्रमाण-पत्र के अभाव में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिलीज आर्डर नहीं दिया गया । तत्पश्चात् मार्च, 99 व अप्रैल, 99 में भारतीय खाद्य निगम के आदेश दिनांक 8-4-99 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के गेहूं पर रोक लगायी गयी । माह मई व जून, 99 में स्कूलों में अवकाश होने व आवंटन न होने के कारण गेहूं का उठान नहीं हो पाया और माह जुलाई व अगस्त, 99 में भारतीय खाद्य निगम को मध्याह्न भोजन योजना का गेहूं देने के आदेश न होने के कारण उठान नहीं किया गया । माह सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर 99 में हाट शाखा द्वारा कतिपय समस्याओं के कारण उठान नहीं किया गया । हाट शाखा द्वारा इस योजना का गेहूं का उठान न करने के कारण यह कार्य हाट शाखा से हटाकर फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फैजाबाद को दे दिया गया व खाद्यान्न को सीधे स्कूलों में भिजवाने की व्यवस्था की गयी । वर्तमान में दिसम्बर, 99 जनवरी व फरवरी, 2000 का इस योजना का खाद्यान्न वितरण करा दिया गया है ।

जनपद सीतापुर के थानों में टेलीफोन उपलब्ध कराने की मांग

127–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में कितने पुलिस थानों में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है ? जिन थानों में दूरभाष की सुविधा नहीं है क्या सरकार उन थानों में दूरभाष की सुविधा दिये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जनपद सीतापुर में 25 थाने हैं । सभी थानों पर शासन स्तर से टेलीफोन स्वीकृत है । वर्तमान समय में 22 थानों पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है । अवशेष 3 थानों पर टेलीफोन अधिष्ठापित किये जाने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली में श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव लिपिक उपकोषागार के मृतकाश्रित को देयों का भुगतान की मांग

128–श्री अफजाल अहमद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव, लिपिक उपकोषागार, रायबरेली की मृत्यु 28 मई, 1994 को सेवाकाल में हो गयी थी ? क्या यह सही है कि वरिष्ठ कोषाधिकारी रायबरेली के पत्र सं० 576/स०ले०(अध०) कोष० 98-99 निदेशक, कोषागार उ० प्र० 1018 जवाहर भवन लखनऊ को भुगतान करने हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि मृतका की पारिवारिक पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सही है कि जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र सं० 300/आर०ए० 17 नवम्बर, 1995 द्वारा जांचोपरान्त श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव को वारिस बताया गया है ? यदि हां, तो उक्त मृतका के देयों का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में स्व० श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव के अवशेष देयों की धनराशि सूचित की गयी है ।

जी हां ।

जी हां ।

सेवा पुस्तिका में श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव का निवास स्थान किला बाजार रायबरेली अंकित है । इसलिए जिलाधिकारी रायबरेली का निवास संबंधी प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा । वारिसों को भुगतान हेतु देय धनराशि रु० 5000/–से अधिक है । अतः प्रतिभूति नियम संग्रह के अनुसार सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आवश्यक है । जिलाधिकारी के प्रमाण पर भुगतान संभव नहीं है ।

परिवहन विभाग में वर्ष 1995 में परिचालकों की भर्ती में अप्रशिक्षित बाहरी आवेदकों को सेवायोजित करने का औचित्य

129–श्री लाल सिंह वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तर के संबंध में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 में 500 परिचालकों की भर्ती हेतु आवेदकों में कितने प्रशिक्षित अप्रेन्टिस थे ? उनमें से कितने प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गयी ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश बाहरी आवेदकों को सेवायें प्रदान करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12-1-1995 की अवहेलना की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त चयनित सूची को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्ष 1995 में 500 परिचालकों की भर्ती हेतु आवेदकों में से 5400 प्रशिक्षित अप्रेन्टिस थे । उनमें से 242 शिशुक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई ।

जी नहीं ।

विस्तृत सूची पटल पर रखा जाना व्यवहारिक नहीं है । मा० सदस्य इसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच विवरण

130–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुवर दयाल वर्मा सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 2-1-2000 को प्रमुख सचिव गृह को थानाध्यक्ष कैसर गंज, जनपद बहराइच के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

131–श्री रमेश राही–

[दिनांक 27-3-2000 की अता० प्र० सं०–75 द्वारा उत्तरित ।

जनपद हमीरपुर में समूह 'ग' की भर्ती हेतु गठित चयन समिति के सदस्य वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

132–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जनपद हमीरपुर में वर्ष 1998-99 में समूह "ग" की भर्ती हेतु गठित चयन समिति के सदस्य वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं में जांचोपरान्त उन्हें दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां ।

संबंधित अधिकारी को दण्डित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ में नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि० में हुए गबन का मामला

133–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि० प्रतापगढ़ में कुल 15,25,000/- के गबन की जांच हेतु मा० मुख्य मंत्री का आदेश संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम-5/8230/प्रतापगढ़/98 दिनांक 25-3-98 निबन्धक, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस स्तर से करायी जा रही है और इसके परिणाम क्या हैं ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला उन्नाव में साधन सहकारी समिति सिजनी, सोहरामऊ, ब्लाक पुरवा में कम मात्रा की बोरियां तथा खराब खाद की आपूर्ति का मामला

134–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति सिजनी, सोहरामऊ, ब्लाक पुरवा, जिला–उन्नाव में कम मात्रा की बोरियां तथा खराब खाद की आपूर्ति पी०सी०एफ० द्वारा वर्ष 1999 के माह जुलाई में की गयी थी जिसकी प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत करने पर जांच भी कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच में कोई दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां।

जी हां।

जांच में पी०सी०एफ०, उन्नाव को दोषी बताया गया है।

पी०सी०एफ० के संबंधित दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ को निर्देश दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल सेवानिवृत्त तहसीलदार/कैशियर को पेंशन न देने का औचित्य

135–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत्त तहसीलदार/कैशियर, कोषागार, गाजीपुर को पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान किये जाने हेतु सिविल विविध रिट पिटीशन सं० 39561/1999 में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15-9-1999 को आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन विभाग द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उनको प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 29-2-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी हां। किन्तु श्री गुलाब चन्द्र अग्रवाल सेवानिवृत्त तहसीलदार/कैशियर नहीं है अपितु सेवानिवृत्त तहसीलदार/कैशियर हैं।

शासनादेश सं०–एस–3-750/दस–34(95)/79 दिनांक 31-3-81 के अन्तर्गत अनुमन्यता न होने के कारण पेंशन देने का औचित्य नहीं पाया गया।

जी हां, उक्तानुसार कार्यवाही कर ली गयी है।

जनपद देवरिया की ग्राम पंचायत भागलपुर की राशन की दुकान के आवंटन में हुई अनियमितता

136–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया विकास खण्ड भागलपुर के ग्राम पंचायत भागलपुर में ग्यास वर्मा के नाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की गयी है जो दूसरे गांव के निवासी हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार संबंधित दुकानदार इसी गांव का निवासी होना

चाहिए ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री ग्यास वर्मा को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान रेगुलेटेड टाउन एरिया भागलपुर में आवंटित है । शहरी क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित होने के लिए उसी क्षेत्र मोहल्ले का निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति बाराबंकी द्वारा श्री रमेश सिंह सचिव के निलम्बन के बावजूद वेतन स्वीकृत करने का औचित्य, जांच/कार्यवाही की मांग

137–श्री अब्दुल मन्नान

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सदस्य, सचिव, उ० प्र० प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति बाराबंकी के पत्रांक–1867-10/सचिव कैडर/स्था०/95-96 दिनांक 18-10-95 द्वारा श्री रमेश सिंह, सचिव को निलम्बित किया गया था ? क्या उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच में आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उनको उच्च वेतन पर सचिव ग्रेड–I का वेतन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम हाजीपुर बेहटा थाना लोनी में श्री बाबू के यहां पड़ी डकैती के संबंध में पत्र एवं कार्यवाही की जानकारी

138–श्री राजपाल सिंह

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम हाजीपुर बेहटा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद निवासी श्री बाबू पुत्र श्री विक्रम के यहां दिनांक 23-7-99 को रात्रि लगभग 10.00 बजे ग्राम के ही कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा डकैती डालने के संबंध में दिनांक 25-2-2000 को उन्हें मा० विधायक श्री समर पाल सिंह का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । माननीय विधायक का पत्र दिनांक 25-2-2000 शासन को प्राप्त हुआ ।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के माध्यम से जांच करायी गयी । जांच के दौरान पाया गया कि मामले में थाना लोनी पर मु०अ०सं०–409/99 धारा 147/323/452/326/504/506 भा०दं०वि० तथा मु०अ०सं० 409ए/99 धारा 323/504/506 भा०दं०वि० पंजीकृत किये गये थे । दोनों क्रास केसों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० एम० सिंह अपर मुख्य परियोजना अधिकारी, विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन उ० प्र० को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ के विरुद्ध जारी राजाज्ञा के अनुसार जांच रिपोर्ट तथा कार्यवाही की जानकारी

139–श्री बावन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री सी० एम० सिंह अपर मुख्य परियोजना अधिकारी, विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन, उ० प्र० को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ के विरुद्ध राजाज्ञा संख्या टी 24/39(2)–50(एस) (18)/92 दि० 24-5-95 द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ? क्या उक्त जांच पूर्ण कर ली गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम हरीपुर पट्टी थाना सराय ममरेज में कु० सुमन यादव के साथ हुए बलात्कार की शिकायत, जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरीपुर पट्टी थाना, सराय ममरेज, जनपद इलाहाबाद की कु० सुमन पुत्री श्री समयराज यादव के साथ बलात्कार करने की शिकायत पुलिस महानिदेशक, लखनऊ से पत्र सं० शि० प्र० 94/99, इलाहाबाद दिनांक 25-10-99 द्वारा की गयी थी ? क्या इस मामले में क्षेत्राधिकारी को जांच हेतु नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या–डीजी–शि०प्र०–94/99 (इलाहाबाद) दिनांक 25-10-99 द्वारा श्री समयराज यादव पुत्र राम खेलावन निवासी ग्राम हरीपुर पट्टी, थाना सराय ममरेज, जिला–इलाहाबाद का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें दिनांक 13-9-99 को आवेदक की लड़की को पवन कुमार आदि द्वारा उठा लिये जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने की सूचना थाने पर दिये जाने पर कोई कार्यवाही न किये जाने एवं दिनांक 24-9-99 को थाने पर जाने पर धारा 376 का मुकदमा न पंजीकृत कर धारा 354 का मुकदमा लिखे जाने के आरोप लगाये गये हैं ।

इस आवेदन पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी हण्डिया श्री वृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कराई गई । जांच से पाया गया कि आवेदक एवं प्रतिपक्षी के मध्य पारिवारिक पैसे की लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था जिसमें कुछ कहा सुनी, गाली गलौज तथा आवेदक की पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गई जिस पर आवेदक की तहरीर सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–190/99 धारा 354/504/506 भ०दं०वि० थाना सराय ममरेज में पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त बड़ेलाल, रामराज, धर्मराज दिनांक 27-9-99 को गिरफ्तार होकर एवं अभियुक्त पवन कुमार दिनांक 07-10-99 को हाजिर अदालत होकर जेल गये । अभियोग की विवेचना में साक्ष्य संकलन के बाद सभी अभियुक्तों का चालान जरिये आरोप पत्र संख्या–135 दिनांक 07-10-99 न्यायालय किया जा चुका है । जांच से धारा 376 का अपराध होने की बात प्रमाणित नहीं हुई है ।

141–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

142–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 6-4-2000 की अता० प्र० सं०–94 द्वारा उत्तरित ।

सरकार द्वारा ट्रेजरी से धन के निष्कासन पर प्रतिबन्ध एवं विधायक निवासों में गन्दे पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री राम ललित चौधरी–

[×××]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । अब मैं नियम–301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

[×××]

श्री अधिष्ठाता–

आप विधायक समस्या के अन्तर्गत इस विषय को उठा सकते हैं, इस समय इसकी अनुमति नहीं है । आप जो कुछ कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा । यह आपका निजी मामला है, इस पर चर्चा की अनुमति नहीं है । आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिये और माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में लिखकर दे दीजियेगा, उस पर कार्यवाही की जायेगी, यह सदन में उठाने का विषय नहीं है । आप लिख कर दे दीजिये । यह माननीय विधायकों की समस्या है । माननीय बाबू राम यादव जी, मेरा आप से एक अनुरोध है । आप मेरा अनुरोध तो सुन लीजिये । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र एवं श्रीमती गौरी देवी के खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आपको सदन का समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, पानी की समस्या सचमुच गम्भीर है । मैं समझता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस संबंध में निश्चित रूप से संज्ञान ले लिया होगा । मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य इस प्रकरण को समाप्त करें और दसरी समस्याएं उठाई जायें । विधायक निवास में पानी न होने की समस्या गम्भीर है,

---

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गौतम पल्ली में भी पानी नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने संज्ञान ले लिया होगा, वे व्यवस्था करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भावनाओं को माननीय नेता विरोधी दल ने कह दिया है । श्रीमती गौरी देवी जी अब आप कृपया बैठें । मेरा आपसे अनुरोध है, यह समस्या कई विधायकों की है, इसे आप सही तरीके से लिख कर दे दें । सदन की कार्यवाही नियमों से चलती है । जब चाहें जिस बात को उठा दें, इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी ।

श्रीमती गौरी देवी–

मैंने कई बार लिख कर दिया है ....

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रयास करूंगा । प्रयास करना हमारा काम है, हम प्रयास कर लेंगे । अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य ने जो अपनी कठिनाई बताई है । मुझे इसकी जानकारी मिल गयी है । मुझे जब भी यहां से समय मिलेगा, मैंने अधिकारियों को बुलाया है । मैं सुनिश्चित करूंगा, जो दिक्कत आयी है, परेशानियां आयी हैं, दूर हों ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, व्यवस्थाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री राम विशुन आजाद–

विधायक निवासों की हालत खराब है । बालू मिला पानी आ रहा है ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही नियमों से चलेगी, आपकी मर्जी से नहीं चलेगी । माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है उसका उत्तर आ गया है । मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

।× × ×।

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

नोट :–।× × ×। यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हजारों घर जल रहे हैं तमाम लोग मर रहे हैं । सरकार को तत्काल सहायता देनी चाहिये लेकिन सहायता नहीं दी जा रही है इसलिये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी अनुमति नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें । आपका विषय महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन आप इसको सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उठायें । मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं । जिस समय दूसरी मद चल रही हो उस समय नियमों और परम्परा के विपरीत जाकर किसी दूसरे विषय को उठाने की अनुमति मैं नहीं दे पाऊंगा । आप दल के नेता भी हैं । आप सुसंगत नियमों के अन्तर्गत इसको दे दें । निश्चित रूप से विचार किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आपसे निवेदन है कि 301 के बाद सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करिये । इस तरीके से मैं अनुमति नहीं दे पाऊंगा । आज नियम 301 के अन्तर्गत ...

श्री रामललित चौधरी–

हम जनता की बात यहां कहने के लिये आये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी साहब आप स्थान ग्रहण करिये ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये 7 सूचनायें स्वीकार की गई ।

श्री बनारसी दास चान्दना के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची से श्री लालजी वर्मा की सूचना स्वीकार की गयी । शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं ।

(स्वीकृत सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

। मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत पद आरक्षित है । सम्प्रति सिंचाई विभाग में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है जिसे पूरा करने के लिए शासन का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया गया है और यहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस संबंध में ध्यान आकृष्ट किया / सिंचाई विभाग में आशुलिपिकों के संवर्ग में सीधी भर्ती के 655 पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं जिनमें से 328 पद आरक्षण कोटे के बनते हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 21 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की दर से 138 तथा 13 पद का कोटा बनता है ।

वर्ष 1998 में खण्डीय आशुलिपिकों की सीधी भर्ती करने के लिये 61 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था जिनमें 38 पद अनुसूचित जाति/जनजाति, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 16 पद सामान्य वर्ग के लिये चयन करने का उल्लेख किया गया था । अब जो लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिकों एवं टंकण परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है तथा 17-4-2000, 18-4-2000, 19-4-2000 तथा 20-4-2000 को अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया है । घोषित परिणाम से यह स्पष्ट नहीं है कि कितने अभ्यर्थी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आरक्षित कोटे के पदों को अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों से भरा जा रहा है जो कि नियमों के न केवल विपरीत है बल्कि समय-समय पर शासन द्वारा कोटा पूरा करने के संबंध में दिये गये आश्वासनों के विपरीत भी है । आरक्षित कोटे के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाने से आरक्षित वर्गों के हकों की हकतलफी हो रही है और इसका दूरगामी प्रभाव भी होगा जो संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है । आरक्षित पदों को अन्य वर्गों से भरे जाने से इन वर्गों में घोर रोष व्याप्त है । अतः इसे लोक हित में साक्षात्कार को तुरन्त रोक कर आरक्षित कोटे की कमी को पूरा करने का प्रयास तुरन्त किया जाय और कोटे के पदों को अन्य अभ्यर्थियों से कदापि न भरा जाये । इस संबंध में नियम के अन्तर्गत संज्ञान लिये जाने व कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर में चकबन्दी प्रक्रिया हेतु कानूनी व्यवस्था करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

। महोदय, उत्तर प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया लम्बे समय से चल रही है । जनपद जौनपुर के सदर तहसील में दुबारा चकबन्दी प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है । विकास खण्ड धर्मापुर में सर्वे कार्य काफी पहले पूर्ण हो चुका है । परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने से वहां के लोगों में असन्तोष है तथा कृषि के विकास की प्रक्रिया बाधित हो रही है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड धर्मापुर में अविलम्ब चकबन्दी प्रक्रिया हेतु कानूनी व्यवस्था करने की मांग करता हूं । ।

जनपद फिरोजाबाद के कई ग्राम पंचायतों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

। मान्यवर, माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत सैलई उसके उप ग्राम नारायन नगर, कैलाश नगर, संतोष नगर, पुरुषोत्तम नगर आदि तथा नगला बरी ग्राम पंचायत के उप ग्राम नगला

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मिर्जावड़ा तथा दीदा मई पंचायत के उप ग्राम कश्मीरी गेट नगला कोठी ताड़ों वाली बगिया आदि के गन्दे पानी और वर्षा के पानी की निकासी का कोई नाला नहीं है ।

उक्त क्षेत्र की घनी आवादी राष्ट्रीय मार्ग नं०–2 बाईपास फिरोजाबाद नगर के उत्तर और फिरोजाबाद रजबहा के मध्य ईंट-भट्ठों के गड्ढों में बसी होने के कारण गन्दा पानी और वर्षा का पानी इसी बस्ती में बहता तालाब का रूप लेकर सभी मकानों को बाढ़ की चपेट में घेर लेता है जिससे जनजीवन को भारी खतरा पैदा हो जाता है । मकान ढहने लगते हैं, घरों को छोड़ लोग ऊंचे स्थानों पर खुले में भीगते खड़े दिन-रात गुजारते हैं, की भयावह स्थिति से जन-मानस हिल उठा है और सरकार को कोसता है ।

इस भयावह जान लेवा स्थिति के निवारण हेतु क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के बजट से धन की विशेष व्यवस्था करायी जाय । ताकि एक बड़ा नाला इस जल की निकासी को बने और लोगों को राहत मिले । ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ नगर के आवासीय भवनों व प्रतिष्ठानों को सिंचाई विभाग द्वारा तोड़ने के आदेश से उत्पन्न जनाक्रोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत–

। महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ नगर रामगंगा बांध परियोजना के निर्माण के समय से 30 वर्ष पूर्व बना है । यह नगर आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त है, जिसमें हजारों लोग रहते हैं, इण्टर कालेज, पुलिस थाना, बैंक, ट्रेजरी, उद्योग, व्यवपारिक प्रतिष्ठान, सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत विभाग के कार्यालय, सिंचाई विभाग के कार्यालय, वन विभाग का प्रशिक्षण केन्द्र, लो०नि०वि० का कार्यालय एवं निरीक्षण भवन, सिंचाई विभाग का निरीक्षण भवन आदि पूर्ण आधुनिक नगर विकसित है । उत्तरांचल राज्य का निर्माण शीघ्र होने वाला है, उत्तरांचल के जनप्रतिनिधि इस आधुनिक नगर को बिना अतिरिक्त आर्थिक व्यय के राजधानी बनाने का निर्णय लेने वाले हैं । किन्तु खेद है कि उ० प्र० का सिंचाई विभाग एवं वन विभाग इस सुन्दर नगर के भवनों को तोड़ने का षडयंत्र कर रहा है, जिससे जहां एक ओर हजारों लोग बेघर हो जायेंगे, वहीं सरकार की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी और यह आधुनिक नगर विनिष्ट हो जायेगा । कालागढ़ नगर के नष्ट होने उत्तरांचल को बहुत ही अपूर्णनीय क्षति होगी एवं जनाक्रोश आन्दोलन में परिवर्तित हो जायेगा एवं यहां की जनभावना को ठेस पहुंचेगी ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में ला रहा हूं और आपसे अनुरोध है कि कालागढ़ नगर के भवनों को तोड़ने से बचाने के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा कर दें । ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा, मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में बिजली की व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद–

। मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा मनकापुर जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99-2000 में पांच-पांच गांव के विद्युतीकरण हेतु अपना प्रस्ताव दिया था, और पूर्वांचल विकास निधि, विधायक निधि, योजना के अन्तर्गत थी मैंने प्रस्ताव दिया था । परन्तु अभी तक विद्युत विभाग के अभियन्ताओं द्वारा जानबूझकर विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है । विद्युत विभाग की लापरवाही से किन्हीं गांवों में खम्भे पड़े हैं और किन्हीं गांव में तार पहुंचा दिया गया है तथा किन्हीं गांव में अभी तक विद्युत सामान ही पहुंचाया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी जनाक्रोश है । अभी तक गांव का विद्युतीकरण का न होना प्रशासन की लापरवाही है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

रुड़की विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं आई०आई०टी० के समकक्ष वेतनमान देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सिंह सैनी–

। मैं अपने क्षेत्र की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लोक महत्व की समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कर शासन से मांग करता हूं कि इसका निराकरण अविलम्ब किया जाये । मेरे क्षेत्र रुड़की में विश्व विख्यात रुड़की तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित है । इस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संस्थान मानते हुए यहां के शिक्षक वर्ग को आई०आई०टी० के समकक्ष वेतनमान दिये जा रहे हैं, परन्तु यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को जिनमें कुल सचिव, उप कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिव के पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं आई०आई०टी० के समकक्ष वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं, जिससे इन अधिकारियों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है । ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर वेतनमान स्वीकृत कराने का कष्ट करें । ।

जनपद अम्बेडकर नगर ग्राम भारडीहा में फतेहपुर माइनर की खुदायी से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने एवं नहर की खुदायी पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा–

। महोदय, जनपद अम्बेडकर नगर में फतेहपुर माइनर की खुदाई हुयी ग्राम भार डीहा के विभिन्न कृषकों के जमीन से की गयी है परन्तु उक्त किसानों को कई वर्ष उपरान्त भी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है । साथ ही साथ उक्त नहर का निर्माण कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ फसल पानी से डूब जाती है जिसके कारण उक्त ग्राम के किसानों में अत्यधिक आक्रोष व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से ग्राम भार डीहा, तहसील–टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर के प्रभावित किसानों को मुआवजा देने एवं नहर की खुदायी पूर्ण कराने की मांग करता हूं । ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरकार द्वारा ट्रेजरी से धन के निष्कासन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम 300 देखें । किसी भी समय बिना सूचना के कोई भी विषय उठा सकते हैं । माननीय राम ललित चौधरी जी ने जो यह विषय उठाया है कि ट्रेजरी पर सरकार ने रोक लगा रखी है । गांवों में आग लग रही है और उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम 300 को पढ़ लें । बिना नोटिस के आप उठा सकते हैं लेकिन यह है कि पीठ की अनुमति होनी चाहिए दूसरी बात यह है कि वह विषय नियमावली के उन नियमों से संबंधित होगा जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती हो । श्री राम ललित चौधरी जी ने जो विषय उठाया है उससे सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है । आप बैठें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम 300 में आती है । आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अपनी बात कहने से पहले मुझे यह बतायें कि नियम 300 के अन्तर्गत यह नियमावली के किस नियम और संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस तरह से जितने भी प्रश्न यहां उठाये जा रहे हैं वह 300 में कभी नहीं आ पायेंगे । मान्यवर, बजट इस विधान सभा द्वारा पारित किया गया, इस विधान सभा के द्वारा बजट पारित करने के बाद भी निकासी नहीं हो रही है । गांवों में आग लगने के बाद भी निकासी नहीं हो रही है और जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता नहीं दी जा रही है । इसलिए यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बजट पारित होने के बाद निकासी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए । जबकि निकासी नहीं की जा रही है । आज इससे ज्यादा जनोपयोगी विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्य आपको साधुवाद दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से सदन चला रहे हैं । माननीय सदस्य आपको उत्तरांचल के स्पीकर के रूप में देख रहे हैं । इसके लिए हमारी शुभकामनायें हैं । माननीय चौधरी जी ने जो विषय उठाया है । ...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी से मैंने अनुरोध किया कि नियम 300 की सूचना का जो प्राविधान है, माननीय अध्यक्ष पीठ चाहे तो बिना किसी पूर्व सूचना के अनुमति दी जा सकती है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम सदन के द्वारा बनते हैं। आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य)

अगर आप बिना अनुमति के बोलेंगे तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि आपकी बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह बहुत ही सामयिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट पास होने के बाद जो ट्रेजरी से धन का निष्कासन होना चाहिए यह सरकार इस पर रोक लगाए है जिससे जनहितकारी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आग लग जाती है, हजारों घर जल जाते हैं, सैकड़ों पशु मर जाते हैं। उनको तत्काल सहायता चाहिए लेकिन सरकार रोक लगाए है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

| x x x |

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी कही बात लिखी नहीं जायेगी। आपके द्वारा जो विषय सदन के संज्ञान में उठाया जा रहा है। यह विषय हो सकता है कि महत्वपूर्ण हो। लेकिन आप सदन के नियमों से भिज्ञ हैं। नियमों के अन्तर्गत ही मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकूंगा। नियम विरुद्ध किसी विषय को उठाने की अनुमति नहीं दे सकूंगा। नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठाने के लिए कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत प्राविधान है कि पहले सूचना देनी पड़ती है या पीठ की अनुमति से तत्काल उठा सकते हैं। वर्मा जी आप नियमावली या संविधान के उन अनुच्छेदों का उल्लेख कर दें, जिसके अन्तर्गत आप विषय उठाना चाहते हैं। आपको मैंने पहले ही कह दिया कि इस विषय को मैं नियम 300 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे सकूंगा। अब यह प्रकरण समाप्त हो गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10-4-2000 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई।

पहली सूचना डा० अशोक वाजपेयी व कुंवर रेवती रमण सिंह की आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होने वाले चुनावों की प्रक्रिया में संशोधन किए जाने के संबंध में वाजपेयी जी यह सूचना नियम 300 में तो आती नहीं है।

नोट :– | xxx | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सरकार द्वारा ट्रेजरी से धन के निष्कासन पर प्रतिबन्ध के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

(श्री राम ललित चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपकी कही हुई कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

श्री राम ललित चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

श्री चौधरी जी ने जो कहा है वह प्रेस में नहीं छपेगा एवं कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है नोट नहीं किया जाय। बोलना आपका अधिकार है, प्रत्येक सदस्य का अधिकार है परन्तु जब सुसंगत नियमों में आप कोई बात कहेंगे तभी मैं अनुमति दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। पहले आप शान्त हो जायं। कृपया सदन की कार्यवाही में सहयोग दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हम केवल आपकी व्यवस्था ही नहीं संरक्षण भी चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो एक बड़े दल के नेता हैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही आगे चलने में अपना सहयोग प्रदान करें। सुसंगत नियमों में नोटिस दे दें मैं सुन लूंगा। ऐसे नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान)

मैं ऐसे अनुमति नहीं दे पाऊंगा। यह प्रकरण नियम 300 में सुने जाने योग्य नहीं है। अतः मैं इसे समाप्त करता हूं। इसके बाद भी यदि कोई इस विषय पर बोलेगा तो उसे मैं अनुमति नहीं दूंगा। उसकी बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री समरपाल सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

गलत तरीके से किसी भी विषय पर उठाये गये प्रश्न को मैं नहीं सुनूंगा और न ही मैं कोई निर्देश इस सरकार को दे पाऊंगा। कृपया आप संयम बरतें और सहयोग प्रदान करें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक अनुरोध है । एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियमावली के अनुसार इस प्रदेश का बजट पारित होता है और बजट कई मदों के लिए पारित होता है । उस बजट को जनपदों में उसके सदुपयोग के लिए भेजा जाता है । क्या वैधीय आपदा के लिए भेजे गये बजट को इस सरकार को रोकने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रमोद जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं । बजट पूरे जनजीवन को प्रभावित करता है । लेकिन यदि बजट का सहारा लेकर कोई न कोई प्रश्न उठाया जायेगा तो मैं अनुमति नहीं दूंगा । केवल सुसंगत नियमों में उठाये गये प्रश्न पर ही बोलने की अनुमति दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाह रहा हूं । क्या सदन द्वारा पारित बजट को सरकार को रोकने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में इसे खारिज करता हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न तत्समय सदन के सम्मुख जो विषय विचारार्थ होता है, उसके संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है । प्रश्न के माध्यम से या बजट के संबंध में चर्चा के माध्यम से या किसी घटना के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप हमसे बहुत अच्छे हैं । आपसे अपेक्षा की जाती है कि सदन को आपसे मार्ग-दर्शन मिलता रहे । मैंने अनुरोध किया कि महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, आप किसी सुसंगत नियम के अन्दर यदि आप इसे लायेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनुमति दी जायेगी ।

डाक्टर अशोक बाजपेयी जी आपने नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, वह नियम 300 में नहीं आती है ।

(श्री राम ललित चौधरी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी और न ही छपेगी ।

(श्री राम ललित चौधरी सदन के वेल में आकर कहने लगे कि आप मुझे पूरे वर्ष के लिये निकाल दीजिये । नेता विरोधी दल के आग्रह पर श्री राम ललित चौधरी वापस अपने आसन पर चले गये)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, समस्या तो गंभीर है ही, इससे आप भी इन्कार नहीं कर सकते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसे सुन रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं। वह घोषणा कर दें कि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इतनी सी बात है, बिना वजह तूल दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अनुचित परम्परा मैं कायम नहीं होने दूंगा।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नियम 300 के अन्तर्गत सूचना देता हूं एक लोकमहत्व, अविलम्बनीय प्रश्न को उठाने के लिये और चूंकि अभी प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ है और 301 समाप्त हो गया है। एक बिन्दु के समाप्त होने के पश्चात् नियम 300 की सूचना दी जाती है और उसके उठाने की अनुमति पीठ से दी जाती है। मैं नियम 300 के अन्तर्गत लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं, इसलिये अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम पढ़ लिया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय चौधरी साहब मेरा आपसे भी अनुरोध है। पाल साहब से भी अनुरोध है कि कृपया बैठ जायं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता विरोधी दल के अपने विशेषाधिकार हैं अगर वे अपनी कुछ बात कहने के लिये खड़े होंगे तो उनको अपनी बात कहने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

नियम विरुद्ध जाकर इस तरह से अपनी बात न कहें। श्री बाजपेयी जी केवल ग्राह्यता पर ही कहियेगा कि कैसे यह नियम–300 में आता है ?

विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रक्रिया में संशोधन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–80 को देखने का कष्ट करें। इसमें लिखा है (ख) राज्यों के (और संघ राज्य क्षेत्रों के) दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यह राज्य सभा की संरचना के लिये लिखा है। इसी के आगे लिखा है कि राज्य सभा में राज्यों के (और संघ राज्य क्षेत्रों के) प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा। इसी के धारा–4 में लिखा है कि राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

मान्यवर, यह संविधान में व्यवस्था है राज्य सभा के चुनाव के संबंध में गत दिनों 29 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव सम्पन्न हुए । यह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां 16 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व होता है । मान्यवर, विधायिका की अपनी कुछ गरिमा है । इस गरिमा पर अगर इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप यह बतायें कि यह कैसे नियम–300 में आता है ? कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, ग्राह्यता यह है कि आज जो इस चुनाव में घटना घटी, तमाम मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा जनता के बीच में यह सन्देश गया कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई । सार्वजनिक जीवन के अतिरिक्त तमाम उद्योगपतियों द्वारा इस चुनाव में भाग लेकर एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिससे इस विधायिका की गरिमा गिरी है और उस पर प्रश्नचिन्ह लगा है । जो आनुपातिक एकल मतदान है वह इतना पारदर्शी होता है । आज चुनाव में सब प्रभावित हुआ है । इसका कारण है कि विधायकों की दलीय संख्या है जब चुनाव के नतीजे निकले वह दलीय संख्या के विपरीत हुए । आज इस तरह का सन्देश जनता के बीच गया है कि इस चुनाव में खरीद फरोख्त हुई है । मैं नहीं कह सकता कि यह सत्य है या निराधार है ..

श्री अधिष्ठाता–

आप बतायें नियम–300 में कहां से आया ?

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, यह विधान सभा की गरिमा का प्रश्न है । इससे बड़ा प्रश्न और क्या हो सकता है । विधायिका की गरिमा नहीं रहेगी तो विधान सभा के सदस्यों की गरिमा नहीं रहेगी । फिर औचित्य क्या रह जायेगा विधान सभा का । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लिया जाय । चुनाव प्रक्रिया में कुछ ऐसा संशोधन करें । विधान परिषद् के अभी जब चुनाव होंगे तो छवि गिरेगी इससे कि विधान सभा में चुनाव में इस तरह से खरीद फरोख्त होती है ।

लोगों ने दलों के अनुशासन को तोड़कर मतदान किया तो पूरी विधायिका की गरिमा गिरती है इसलिए चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किया जाना चाहिए । जिस तरह से मंत्रियों ने आचरण किया खुले रूप से जिस तरह से पैसे के बल पर विधायिका की गरिमा को गिराने का काम किया है, मंत्री स्वयं बिके हैं, मैं समझता हूं इससे गंभीर औचित्य का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

पूरी बात आ चुकी है । यह नियम 300 से संबंधित विषय नहीं है ।

(व्यवधान)

(डा० अरविन्द जैन द्वारा बैठे-बैठे कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कमेन्ट्री न करें, अपने पद के अनुरूप आचरण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पीठ से किसी मंत्री पर टिप्पणी की गई है आपने कहा कि परम्पराओं के अनुकूल आचरण नहीं है । बैठकर कमेन्ट्री कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी को खेद व्यक्त करना चाहिए ।

(व्यवधान)

वरना भविष्य में परम्परा बन जायेगी ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलता है, इस सदन की कुछ परम्परायें हैं, कुछ मर्यादायें हैं अभी राज्य सभा के चुनाव में जैसा डा० अशोक बाजपेयी जी ने कहा कि यह गंभीर विषय है । पूरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की छीछालेदर हुई है । माननीय सदस्यों के सम्मान को ठेस पहुंची है । लिहाजा इससे महत्वपूर्ण दूसरा कोई सवाल नहीं हो सकता है । मान्यवर, भारत सरकार के गृह मंत्री ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है उन्होंने भी कहा है कि हमें राज्य सभा में, जिस तरह से राज्य सभा में मतदान होता है उस प्रक्रियां को बदलने की बात सोच रहे हैं । मान्यवर, पहले हमने देखा एक बार एक पूंजीपति आया और हारकर चला गया । वह जीत नहीं पाया लेकिन विगत दो बार के चुनाव में देखा गया है कि परम्परा बन गई है, बहुत ही खेद का विषय है इसमें मंत्रीगण ने भी अपने पद का दुरुपयोग करके जिस तरह से अपना वोट उन्हें बेचने का काम किया है, जिस तरह से पूंजीपति उम्मीदवार का साथ देकर उनके लिए वोट मांगा है..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस प्रकरण की गंभीरता को आप लें इस पर कार्यवाही के लिए सरकार को आदेशित न करके नियमावली को बदलने के लिए भारत सरकार को लिखकर भेजें । राज्य सभा के भविष्य में चुनाव हों तो इस तरह से न हों जिस तरह से अब हुआ है । वोट बेचे गये हैं इससे गंभीर विषय और कोई नहीं हो सकता है । अभी एम०एल०सी० के चुनाव होने हैं । दो साल बाद फिर राज्य सभा के चुनाव होने हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भावना आ गई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अभी पूंजीपतियों ने भाग लिया है बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं इसमें करोड़ों का खेल होगा । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबन्धक इसमें खड़े होंगे और इससे ज्यादा लज्जा और शर्म की बात विधान सभा के लिए नहीं होगी ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया कि औचित्य का जो प्रश्न उठाया गया है वह कार्य संचालन नियमावली के किस प्राविधान में है या उससे किस प्रकार सदन की कार्यवाही विनियमित हो रही है, फिर भी आपने सुना । तो मुझे कहने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जो टिप्पणी की गयी है वह निराधार है । मान्यवर, वह टिप्पणी मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बारे में किया है जो बिल्कुल निराधार टिप्पणी है, इसलिए उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए । यदि किसी मंत्री के बारे में सामान्य टिप्पणी करते हैं तो उसका कोई न कोई आधार होना चाहिए । मान्यवर, जो आपने और डा० अशोक बाजपेयी जी ने कहा कि क्रास वोटिंग हुई तो मैं कहना चाहता हूं कि उस पर चिन्तन होना चाहिए न कि कीचड़ उछाला जाय । मान्यवर, क्रास वोटिंग किस दल में नहीं हुई । मान्यवर, यह जनता से छिपा नहीं है, सारा प्रकरण आम जनता के सामने है । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने-अपने दलों को कैसे अनुशासित करें जिससे ऐसे अवसर भविष्य में न आयें ।

मान्यवर, वह नियमावली को बदलने की बात कर रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो नियमावली है वही नियमावली पहले भी थी । संयोग से पहले एक पूंजीपति आ गये थे और उस समय मैं भी विधायक था, उस पूंजीपति ने ऐसा माहौल पैदा किया कि उसे मैदान छोड़ कर यहां से भागना पड़ा था, तो नियमावली यही थी, इसलिए नियमावली को बदलकर आप क्रास वोटिंग को रोक देंगे तो मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं होगा, यह संभव तभी होगा जब आप हम सब मिलकर इसमें आत्म चिन्तन करें कि अपने-अपने दलों को हम कैसे अनुशासित करें । मान्यवर, मैं आज किसी दल विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । आज आपको एक असहाय निरीह प्राणी की तरह प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मेरा सुझाव है कि आप और हमको मिलकर दल में अनुशासन कायम करने की आवश्यकता है । मान्यवर, मेरे दल में वेदना है और किसी भी पक्ष का सदस्य हो यदि वह बिकता है तो वह अवमानना की बात है ।

(व्यवधान)

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी कहा है उसमें मेरा औचित्य का प्रश्न है मैं सूचना दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है, आप हर विषय पर चर्चा करने लगते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं सूचना दे रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि दलों द्वारा जो प्रत्याशी बनाये गये और प्रत्याशी घोषित किये गये उनके संबंध में प्रमाण दे रहा हूं कि जिन कारणों से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे उन उम्मीदवारों जिन्हें किसी दल ने प्रस्ताव नहीं किया था और उनके प्रस्तावक सरकार में शामिल लोगों ने प्रत्याशियों को जिन्होंने रुपये का लेना-देना शुरू किया है उनके प्रस्तावक इस सरकार के मंत्रीगण थे और उनके मंत्री खुलेआम शामिल हैं । मैं प्रमाण देना चाहता हूं । इसके आगे का परिणाम कि कितना रुपया लिया गया, कहां लिया गया जब पूरी चर्चा आयेगी तब आयेगा ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस पर चर्चा की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इस नोटिस में इस सूचना का कोई सीधा संबंध नहीं है। आप बैठ जायें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरे पास क्रास वोटिंग कराने का सुस्पष्ट प्रमाण है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने प्रस्तुत सूचना पर डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है और मैं इसे अग्राह्य करता हूं और यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इसी विषय पर जिसमें पूरे सदन की जिज्ञासा है श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा का नियम–103 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव ग्राह्य किया जा चुका है। उचित अवसर होगा जो भी कहना चाहें वह उसमें कह सकते हैं। अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं।

(श्री राम औतार शाक्य के खड़े होकर बोलने पर)

विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इस विषय पर जो भी सामान्य परम्परा है, जो भी निर्णय करते हैं आम तौर पर सभी दलों के नेतागण आपस में बैठकर तय कर लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

अगर आप कहेंगे कि यह नियम–300 में नहीं आता तो हो गया। फिर तो आप नियमावली को ही खत्म कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मैंने यह प्रश्न उपस्थित किया है। जैसाकि आपके संज्ञान में यह सत्ता पक्ष के लोग किसी भी कीमत में उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करना चाहते हैं और मेरा सीधा आरोप है, संविधान के अनुच्छेद–178 में प्राविधान है मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं–"प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।" कहने का आशय यह है कि यह जिम्मेदारी ज्यादा सत्तापक्ष की होती है बजाए विपक्ष की। सत्ता पक्ष जानबूझकर वैसे भी वह संवैधानिक परम्पराओं का उल्लंघन कर रहा है और जो भी नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास कर रहा है। यह सही है कि संवैधानिक व्यवस्था उतनी नहीं है लेकिन जो संवैधानिक परम्परा है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है लेकिन उनकी स्वस्थ परम्परा है कि लिखित न होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी जिन्दा है।

(1 बजकर 15 मिनट)

मान्यवर, लोकसभा में यह स्थिति आप देख लें जहां तक इस विधान सभा का सवाल है अब करीब डेढ़ साल का समय बाकी है तो कोई गलत परम्परा न बनने पाये भविष्य के लिये । ऐसा न हो कि दूसरी विधान सभाओं में यहां की विधान सभा का उदाहरण बने । मान्यवर, जो पिछली 9 जुलाई की सदन की कार्यवाही है उसमें है, ससदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि विपक्ष विचार-विमर्श करके एक नाम सत्ता पक्ष को सहमति हेतु भेज दे तो विचार किया जायेगा । यह सही है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा तो उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा । लेकिन जो परम्परा रही है कि विपक्ष में जो सबसे बड़ा दल होता है उसका उपाध्यक्ष होता है । आज जानबूझकर समाजवादी पार्टी जो इस सदन में विपक्ष का सबसे बड़ा दल है उसके किसी भी सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर बिठाकर सरकार इस कुर्सी को सुशोभित नहीं करना चाहती है । मान्यवर, पिछली बार सारे विपक्ष के नेताओं की सहमति से एक नाम गौरी शंकर एडवोकेट जी का प्रस्तावित किया गया था । आपकी शर्त भी मान ली गई थी कि वह एक दलित होगा, लेकिन सत्ता पक्ष ने नाम स्वीकार नहीं किया । यह सरकार दलित विरोधी है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष की आपस की लड़ाई और विपक्ष की नासमझी और विपक्ष के अपने स्वार्थ–इसका शिकार होकर रह गया है आपने नाम भी लिया एक रोज प्रकरण आया, कहा गया कि हम दलित हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक भी यहां पर हैं । मान्यवर, सारे सदन में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया था, इसमें दलित की, अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक की बात नहीं आनी चाहिये बल्कि हम सब मिलकर रजामन्द हो जायं और उपाध्यक्ष हो जायें । जब निजी स्वार्थों में बंटे हुये हैं अनेकता का शिकार हो गये हैं तो फिर कैसे बात बने । आपसे पुनः आग्रह है कि एक नाम सुझायें और उस पर विचार कर लें तुरन्त चुनाव हो जायेगा और उपाध्यक्ष पदासीन हो जायेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बात को दूसरी तरह से घुमा देते हैं । लोकसभा में क्या परम्परा है, सबसे बड़े दल का ही उपाध्यक्ष चुना जाता है । हाउस आफ कामन्स और लोकसभा की परम्पराओं पर ये विधान सभा चलती है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह बार-बार दुहाई मत दें कि एकता नहीं है अनेकता है । मान्यवर, आप निर्देश दें तिथि तय कर के घोषित कर दें और उपाध्यक्ष का चुनाव करायें । वह पद समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिये, अगर आप परम्परा का निर्वहन नहीं करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ये जिम्मेदारी विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष की भी है कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो जो विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिखरा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है । यह बातें कहकर तो यहां की जो परम्परायें रही हैं उनको हल्का करने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, सभी दलों के नेता, स्पीकर साहब, संसदीय कार्य मंत्री जी सब लोग बैठ जायें और एक नाम पर सहमति कर दें । नहीं तो एक चैनल हो जाय और उस पर यह कार्य छोड़ दिया जाय, अगर आखिरी साल भी हम उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर सकेंगे तो फिर सारे कार्य प्रभावित होते रहेंगे ।

मान्यवर, सरकार यह कहकर कि विपक्ष बिखरा हुआ है, चुनाव नहीं कराना चाहती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं यह पत्र दुबारा दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पत्र दे दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जो आज प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि विपक्ष में एका नहीं है, विपक्ष कभी एक नहीं रहा है तो श्रीमन् ऐसा नहीं है बल्कि सत्तापक्ष की मंशा नहीं है कि चुनाव कराये । श्रीमन् सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थना-पत्र दे रखा था माननीय अध्यक्ष जी को, जिसमें किसी की भी असहमति नहीं थी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें मेरी भी सहमति थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता बहुजन समाजवादी पार्टी की सहमति थी, श्री प्रमोद कुमार जी के भी हस्ताक्षर हैं, श्री कौकब हमीद जी भारतीय किसान कामगार पार्टी, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, नेता जनता दल, माननीय राम जग, नेता भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, श्री राजेन्द्र जी, श्री शिवपाल जी और डा० अम्मार रिजवी साहब के भी दस्तखत हैं । फिर भी यह सरकार आनाकानी करना चाहती है । श्रीमन् इसमें नाम भी तय हो गया था । श्री गौरी शंकर जी का फिर भी यह कहते हैं कि एक मत हो मैं पुनः आपके पास यह पहुंचा देता हूं और आप निर्देश दीजिये इस सरकार को कि इस आधार पर जो नाम तय हो गया है, सर्वसम्मति से तय कर रखा गया है उसके आधार पर चुनाव कराये जायं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सारे दलीय नेताओं के हस्ताक्षर हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है ये संविधान विरोधी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य नेताओं को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित इस सदन की कुछ परम्परायें हैं जिसका कि यथासम्भव निर्वहन भी समय-समय पर होता आया है लिहाजा उसमें दलों का पारस्परिक सामंजस्य भी हो, तालमेल भी हो, आपसी सामंजस्य भी हो । इस विषय पर मैं समझता हूं कि इसे माननीय अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ते हुये कि माननीय अध्यक्ष, सभी नेताओं से विचार-विमर्श करके जो भी निर्णय उचित समझें उसे कर लेंगे और इसी व्यवस्था के साथ इस विषय को नियम–300 के अन्तर्गत निरस्त करता हूं । अस्वीकार करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

निरस्त करने के बजाय निस्तारित करता हूं, यह होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण समाप्त हुआ ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् अपने निर्णय को सुरक्षित रखते हुये माननीय अध्यक्ष जी के विवेक पर छोड़ दिया और श्रीमन् यह कह दिया कि इसे निरस्त करता हूं, इसके बजाय निस्तारित होना चाहिये, इसके संबंध में आप पुनर्विचार कर निर्णय लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे अनुरोध कर लूं। मैंने ऐसा इसलिये कहा कि मैं नियम 300 में इसलिये अस्वीकार कर रहा हूं क्योंकि आप भिज्ञ हैं, सदन की परम्पराओं से।

श्री अम्बिका चौधरी–

इसमें पीठ से व्याख्या की आवश्यकता नहीं है जो शब्द आपने प्रयोग किया है, निरस्त करता हूं, उसकी जगह निस्तारित करता हूं, कर दिया जाय, इस पर आप पुनर्विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने स्पष्ट किया कि चूंकि इस प्रकरण में नियमों का सन्दर्भ देते हुये हमने सदन की परम्पराओं को आधार माना है और सदन की परम्पराओं के अनुरूप इस प्रश्न को नियम 300 में स्वीकार न करते हुये, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य माननीय नेतागणों से अनुरोध किया है कि चूंकि यह सदन के सभी माननीय नेताओं के परस्पर तालमेल से संबंधित है, इसलिये माननीय अध्यक्ष जी के विवेक पर छोड़ते हुये, निर्णय किया है कि माननीय अध्यक्ष जी इसमें सभी माननीय नेताओं से विचार-विमर्श करके कोई निर्णय करेंगे। अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है।

पंचायतों के चुनाव समय से न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह पंचायत चुनाव का विषय हर दिन का विषय हो गया है, यह कितनी बार आयेगा, इस विषय के ऊपर न जाने कितनी बार चर्चा हो चुकी है। हर दिन इसी विषय से शुरुआत होगी, कहीं तो इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था भी हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा था कि यह विषय कई बार उठ चुका है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो विषय मैं उठा रहा हूं, वह इससे पूर्व नहीं उठा है। आप सुन तो लें। जो विषय मैं उठा रहा हूं, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वह तात्कालिक भी है, अविलम्बनीय भी है और औचित्य की परिधि में भी है। कल 9 तारीख को प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त जी ने जनपद औरैया के ग्राम गाजीपुर में बंजारा समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि पंचायती राज के चुनावों के लिये यह मौसम अनुकूल नहीं है। जो आरक्षण का चक्रानुक्रम है, वह पूरा नहीं हुआ है, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार के लिये पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है। श्रीमन् जो कल की घोषणा और कल जो मुख्य मंत्री जी ने कहा और 7 तारीख को श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा था कि हम सम्मानित उच्चतम न्यायालय में गये हैं, सम्मानित उच्च न्यायालय ने जो हमें आदेश कर दिये हैं, उसके अनुक्रम में हम चुनाव करायेंगे। मुख्य मंत्री जी सदन में एक बयान देते हैं कि हम प्रदेश के पंचायती चुनाव को करायेंगे, जब कि चुनाव की तैयारी नहीं कर चुके थे। 9 तारीख को कहा कि हमारी सरकार चुनाव नहीं करा सकती है। इससे साबित हो गया है कि संविधान में जो अध्यादेश बना था 243(3) में स्पष्ट तौर पर है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होंगे। श्रीमन् इससे तो सदन का कार्य विनियमित हो रहा है।

आप प्रदेश के मुख्य मंत्री को बुला लें जो परसों बात कही है, औरैया में, उससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति हो गई है। एक तरफ जब से इस चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है, स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश सरकार चुनाव आयुक्त के कार्यालय में सी०आई०डी० भेज रही है, और दूसरे चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की घोषणा हो रही है। संविधान में चुनाव आयोग की स्वायत्तता है और एक के रहते दूसरे को नियुक्त करने का पत्र जा चुका है। यह इतना गम्भीर मामला है। इस संबंध में जो उच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है, उसके अनुक्रम में मुख्य मंत्री कह चुके हैं। श्रीमन् इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में ग्राह्य करें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण, संवेदनशील और त्वरित है और आज प्रदेश भर की जनता की नजरें लखनऊ की तरफ लगी हुई हैं। जो पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं या सम्भावित उम्मीदवार हो सकते हैं या जो पंचायत के प्रधान या पंच पहले से निर्वाचित हैं। कदाचित यह भ्रम की स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है कि चुनाव आयोग कुछ चाहता है और प्रदेश की सरकार कुछ चाहती है। मान्यवर, 7 तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विद्वतापूर्ण भाषण में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी थी कि सरकार न्यायालय के निर्णय के अनुरूप चुनाव करायेगी तो यह संदेश चला गया कि पूरे प्रदेश में चुनाव न्यायालय के निर्णय के अनुरूप होंगे। लेकिन ठीक दो दिन बाद लगता है मुख्य मंत्री जी ने जो 7 तारीख की बात कही थी, भूल गये और 9 तारीख को उन्होंने यह कहा कि चुनाव के लिये मौसम अनुकूल नहीं है। मान्यवर, मौसम कैसा ? राजनीतिक मौसम या तापमान का मौसम या मुख्य मंत्री जी के पद का मौसम। एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपका निर्णय और सरकार का जवाब प्रदेश की जनता सुनने को उत्सुक है। तीन दिन का समय उच्च न्यायालय ने दिया था। वह अवधि समाप्त हो चुकी है।

आज संभवतः संसदीय कार्य मंत्री जी को जानकारी होगी, सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन की तारीख सुनिश्चित है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चुनाव कराये जायेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग ने तदनुसार अधिसूचना जारी कर दी उसके बाद मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि चुनाव के लिये मौसम अनुकूल नहीं है, कदाचित् सदन में कही गयी बात के प्रतिकूल है। मैं आपके माध्यम से इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाते हुये जानना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री पूर्णतया अक्षम हैं जवाब देने के लिये। जब मुख्य मंत्री ने कह दिया है तब संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब की न तो कोई कीमत है और न अहमियत है। जो मुख्य मंत्री जी ने बात कही है, उसका उत्तर देने के लिये स्वयं मुख्य मंत्री जी आयें। आज किसी डमी से काम नहीं चलेगा आज तो मुख्य मंत्री जी का ही जवाब चलेगा, वह स्पष्ट करना चाहें जो भी उन्होंने औरैया में कहा था।

मान्यवर, औरैया में जो कुछ कहा था वह सच है या सदन में जो कुछ कहा था वह सच है। अगर इन दो बातों के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी कह देंगे तो वह तीसरी बात होगी। इसलिये विषय के महत्व को देखते हुये यह सदन मुख्य मंत्री के अलावा किसी का जवाब इस पर सुनने के लिये तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी आयें और स्पष्ट कर दें कि पंचायत के चुनाव संविधान के अनुसार कराये जायेंगे, न्यायालय के निर्णय के अनुसार कराये जायेंगे या मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखते हुये स्थगित करने का प्रयास करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब देने का कहीं से भी कोई औचित्य नहीं है। जब टन रख दिया जाय तो छटाक से काम चलने वाला नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि मेरे बोलने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग के बावजूद आपने मुझे पुकारा। मान्यवर, 2-3 बिन्दु इसमें हैं। पहला बिन्दु यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जो

सदन में कहा वह सच है या जो औरैया में कहा वह सच है। मान्यवर, जो सदन में कहा गया है वह सच है और जो औरैया में कहा गया वह भी सच है और जो आगे कहा जायेगा वह भी सच होगा। जो मुख्य मंत्री जी ने कहा वह सच है और जो मैं कह रहा हूं वह भी सच है। दूसरा बिन्दु मौसम के बारे में उठाया गया तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा संवेदनशील होकर आप सोचें, अप्रैल, मई का महीना है। 2 महीने पूरे प्रदेश के लिये ऐसे होते हैं जिसमें पूरे प्रदेश के किसान की साल भर की जो कमाई है वह उसके घर आने वाली है। यह चुनाव जो होंगे ग्रामीण अंचलों के होंगे, शहरों में तो होंगे नहीं, कोई इलाहाबाद या लखनऊ में चुनाव होना नहीं है। आज यह विषय यहां उठाया गया कि आग लगने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। यह घटनायें भी गांवों में ही हो रही हैं। गांव में घर का एक-एक बच्चा फसल इकट्ठा करने में हार्वेस्टिंग में लगा हुआ है।

किसान के जीवन मरण का सवाल है। उसकी फसल उसके घर में आ जाय, आज सबसे प्राथमिकता का यही सवाल है। मुख्य मंत्री जी के मन में भी सारी की सारी यही बात थी उनके मन की पीड़ा यही थी। जो केवल एक एकेडेमिक डिस्कशन के लिये, विद्वतापूर्ण भाषण करने के लिये तर्क खोजने में, तर्क देने का पेशा करते हैं उनके लिये इसका मतलब नहीं होगा। वहां संविधान की बात उठायेंगे, कानून की बात उठायेंगे, कानून तो है ही। आज उत्तर प्रदेश की 80 फीसदी गांवों की जनता का सवाल है। किसान इस बात के लिये चिन्तित है कि गेहूं का एक-एक दाना, सरसों का एक-एक दाना उठकर उसके घर में आ जाय ताकि साल भर उसका गुजारा हो जाय। इस बात के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, चिन्तन कर रहे हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही। रही चुनाव की बात तो उस रोज भी हम कायम थे और उस पर आज भी कायम हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० डाली हुई है उम्मीद है कि आज टेकअप हो जाय। आपने कहा कि निर्वाचन आयोग और सरकार में टकराव है। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी। इसके बारे में हम सर्वोच्च न्यायालय गये हैं। सरकार जो करती है वह सोच समझकर करती है। चुनाव आयुक्त कौन बनाता है, क्या दिल्ली से बनकर आते हैं। आप कौन से चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं ? स्थानीय निकाय के चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं या और किसी राज्य चुनाव आयुक्त की ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सरकार ने पत्र लिखे हैं, मैं उसे प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में हम गये हुये हैं और कोई तनाव की बात नहीं है, जो आदेश हो जायेगा उसका अक्षरशः पालन होगा। यह हमारी संवैधानिक बाध्यता ही नहीं दायित्व भी है। यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता है। पूर्व में भी यह विषय आ चुका है। अतः इसे अस्वीकार किया जाय।

(श्री बाबूराम यादव के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा० बाबूराम जी, स्थान ग्रहण करें। नोटिस पर आपका नाम नहीं है इसलिये ऐसी बाध्यता है। इस पर नियम 311 के अन्तर्गत सामान्य चर्चा हो चुकी है।

[1] श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । मेरा कहना है कि इस सरकार को चुनाव न कराने के लिये राय देने वालों की बुद्धि पर तरस आ रही है । इसलिये तरस आ रही है कि जो कानून बना है उसमें चुनाव बढ़ाने के लिये कोई लेश मात्र गुंजाइश नहीं है । चुनाव बढ़ाने के बाद एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है । अभी तिवारी जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी का औरैया में बयान कुछ है, यहां बयान कुछ है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का दो तरह का बयान है । कहा गया कि मौसम अनुकूल नहीं है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 30 अप्रैल, को जब वोट पड़ेगा, उस दिन तक एक पौधा भी खेत में खड़ा नहीं रहेगा ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुंवर साहब 6 तारीख को इस विषय पर सदन के अन्दर विस्तार से चर्चा हो चुकी है ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबूराम जी आपका जो संशय था उसको व्यक्त कर दिया । सूचना चूंकि माननीय प्रमोद जी की है । वह इस पर कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो हवाला दिया कि मौसम अनुकूल नहीं है वह ठीक नहीं है । 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुआ था वह इन्हीं तिथियों में हुआ था और चुनाव अच्छे ढंग से सम्पन्न हुआ था । मान्यवर, मैं गांव का आदमी हूं और किसान भी हूं मेरा मानना है कि 30 अप्रैल, तक फसल कट जायेगी और एक पौधा भी खड़ा नहीं मिलेगा । गांव में आदमी रेडियो सुनता है, टेलीविजन देखता है, तो एक भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में है । मुझे सरकार की बुद्धि पर तरस आती है कि जब कानून में व्यवस्था नहीं थी तो ऐसा क्यों किया ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर साहब अब रहने दीजये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे सदन में एक बात कही कि मौसम अनुकूल नहीं है और ऐसा मौसम है कि चुनाव कराना उपयोगी नहीं है, किसान को दाना लाना है, कटाई करनी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किसान भी हैं और आप भी भिज्ञ हैं । इस प्रदेश में क्या पूरे देश में मई के महीने में विधान सभा के चुनाव हुये हैं और लोक सभा के भी चुनाव हुये हैं । आज चुनाव टालने के लिये यह इस तरह का बहाना कर रहे हैं ।

---

[1] वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे औचित्य के प्रश्न पर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मौसम अनुकूल नहीं है। मैं कदाचित सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी महीने अप्रैल और मई में पंचायत के चुनाव ही नहीं विधान सभा और लोक सभा के भी चुनाव हुये हैं। वर्ष 1977 में, वर्ष 1991 में और पिछली बार पंचायत के चुनाव भी इसी महीने में हुये थे। छात्रों की परीक्षाओं की बात उठी उस समय परीक्षायें समाप्त हो जायेंगी। सरसों का दाना, खेत की बाली का जिक्र किया गया मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जितना अनुभव उनका है मुझे तो सिर्फ एक ही दल का अनुभव है और एक निर्वाचन क्षेत्र का अनुभव है संसदीय कार्य मंत्री को लोकदल, परलोक दल कांग्रेस .....

श्री अधिष्ठाता–

आप विषय तक सीमित रहें।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरी बात सुन लें। तिवारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है। इनका पेशे से सभी दलों का अनुभव है। मुझे तो सिर्फ एक पार्टी के निष्ठावान विधायक होने का अनुभव है इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पेशेवर कौन है। अप्रैल का महीना मुख्यमंत्री जी के लिये प्रतिकूल हो सकता है सरकार के लिये प्रतिकूल हो सकता है लेकिन यह जनता के लिये पूरी तरह से अनुकूल है। सरकार भागे नहीं समय से चुनाव कराकर संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे। बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री बादूराम यादव को सुनने के पश्चात् इस सूचना को मैं नियम 301 के अन्तर्गत निरस्त करता हूं।

श्री बादूराम यादव–

यह आपका अधिकार है कि इसे निरस्त करें लेकिन यह सूचना निरस्त करने योग्य नहीं है। वैसे आपका अधिकार है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, राजा कोई हो रानी हमी होंगे। चाहे कल्याण सिंह हो, मुलायम सिंह हों, नारायण दत्त तिवारी हों, राम प्रकाश गुप्त हों, राजा बदलते रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर दिनांक 6-4-2000 को पीठ की तरफ से मैंने नियम 311 के प्रश्न के अन्तर्गत विनिश्चय किया था कि सरकार पंचायत चुनावों के संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसी के साथ इस विषय को समाप्त कर रहा हूं।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधायकों के क्षेत्र में विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन विधायकों से न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

चौथी सूचना डा०-धर्मज्ञ मिश्र की क्षेत्र में विभागों द्वारा निर्माण कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन विधायकों से न कराये जाने के संबंध में । चौथी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र जी की है । आपकी सूचना अस्वीकार की गई है लेकिन साथ ही चूंकि विधायकों के सम्मान से संबंधित प्रश्न है, सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि इस संबंध में समय-समय पर शासनादेश जो जारी किये गये हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाय ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में सड़कों का निर्माण विधायकों के प्रस्ताव पर कराया जाता है उनका उद्घाटन शिलान्यास विधायकों द्वारा नहीं कराया जाता है । पुलों का निर्माण होता है । क्षेत्र में स्कूल, अस्पतालों के भवनों का निर्माण होता है तो उनका उद्घाटन विधायकों द्वारा इसलिये नहीं कराया जा रहा है क्योंकि यह सरकार मनमाने ढंग से ठेकेदारों को ठेका देती है । जिस कारण जो काम हो रहा है वह मानक के आधार पर नहीं हो रहा है । मैं चाहता हूं कि किसी भी निर्माण के लिये विधायकों से प्रस्ताव लिये जायं । चाहे सड़क हो, भवन हो या पुल पुलिया का निर्माण विधायक के क्षेत्र में होता है उसमें अम्बेडकर योजना हो या कोई भी योजना हो उस पर क्षेत्र के विधायक का नाम भी लिखा जाये । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर एक घण्टे की चर्चा कराना स्वीकार करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन हमारे माननीय विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र जी ने एक जिज्ञासा प्रकट की कि जो विधायक के क्षेत्र में कार्य होते हैं और विधायकों द्वारा जिसे लिखकर दिया जाता है उसके शिलान्यास या उद्घाटन का कार्य विधायक द्वारा करवा दिया जाय. या नाम जोड़ दिया जाय । सही बात यह है कि उद्घाटन विधायक द्वारा कराया जाय । यह पूरे सदन के सम्मान की बात है । मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी निश्चित तरीके से इस संबंध में ऐसी घोषणा करेंगे जिससे विधायक अपने क्षेत्र के किसी भी निर्माण का शिलान्यास या उद्घाटन सुनिश्चित कर सकें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस संबंध में कई बार स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं जो भावना नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य ने जाहिर की है । 82, 83, 88, 93, और 27 जून, 98 को शासनादेश जारी किया गया जिसमे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी कोई भी उद्घाटन न करे तथा मुख्य अतिथि के रूप में संज्ञान मे न ले । इसका पालन नहीं हो रहा है । एक अन्य शासनादेश 9 जुलाई, 99 को हुआ, जिसमें स्पष्ट मंशा है कि ऐसे सभी समारोह में जनप्रतिनिधि रहेंगे तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा सिर्फ उस समारोह को सफल बनाया जायगा ।

मान्यवर, यदि कहीं इसका पालन नहीं हो रहा है तो माननीय सदस्यगण इसकी सुस्पष्ट जानकारी दे कि किस समारोह में सड़क के उद्घाटन शिलान्यास में, किसी पुल के शिलान्यास और उद्घाटन में जो उनके क्षेत्र में बनी हो, शासन की योजना के अन्तर्गत बनी हो अगर किसी अधिकारी ने उनकी भावना और शासनादेश की अनदेखी करके स्वयं अधिकारी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है तो निश्चित रूप से शासन उसका संज्ञान लेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जनप्रतिनिधि शब्द कहा । यह परम्परा रही है कि किसी भी क्षेत्र में अगर माननीय मंत्रीगण उद्घाटन करते हों तो क्षेत्रीय विधायक से कम से कम अध्यक्षता जरूर करवायी जाती थी । पत्थर पर उसका नाम होता था । जिला योजना का प्रस्ताव कर्ता हो या अन्य योजना का प्रस्ताव कर्ता हो और शासन से स्वीकृत कराता है परन्तु कहीं भी क्षेत्रीय विधायक का नाम शिलान्यास पत्थर पर या उद्घाटन पत्थर पर नहीं । सारा का सारा काम लखनऊ में बैठकर शिलान्यास, लोकार्पण पत्थर पर लिख दिया जाता है जबकि माननीय मंत्री जी उस सड़क पर गये ही नहीं इसलिये मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्षेत्रीय विधायक से होना चाहिये और उसका यथोचित सम्मान होना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक व्यवहारिक पहलू को भी देखें माननीय मंत्री जी कहीं जाते हैं और स्थानीय विधायक भी उसमें आमंत्रित हैं भले ही वह किसी पार्टी के हों । अगर वह किन्हीं कारणों से राजनीतिक कारणों से और व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित न हों और पत्थर पर उनका नाम लिख दिया जाय तो कितना हास्यास्पद होगा । आपस में एक समन्वय की बात होनी चाहिये । माननीय मंत्री जी किसी क्षेत्र में जायं तो विधायक को भी जानकारी होनी चाहिये और विधिवत् आमंत्रित होना चाहिये । कार्यकर्ता के दबाव में आकर यह नहीं होना चाहिये कि आप तो फलां पार्टी के हैं आप को नहीं जाना चाहिये । आमंत्रित होने पर उपस्थित अवश्य होना चाहिये मैं इस मत का हूं और जो पत्थर लगा हो उस पर उनका नाम भी हो ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी, आपकी बात का पूरा उत्तर आ गया है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

जिसके क्षेत्र में कार्य हो रहा हो उस क्षेत्र के विधायक का नाम बोर्ड या शिलापट पर लिखा जाय ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसको चर्चा का विषय तो न बनायें ।

*श्री बी०आर०वर्मा–

जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है उसमें मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सरकारी होता है । किसी दल का, किसी पार्टी का नहीं होता है । किसकी भी सरकार हो जब मंत्री जायं तो एक शासनादेश इस तरह का सभी जिलाधिकारियों को निर्गत कर दिया जाय कि मंत्री जी उद्घाटन करने जावेंगे, या शिलान्यास करने के लिये जावेंगे तो जो समारोह होगा उसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक करेंगे । जो भी प्रोग्राम का कार्ड छपाया जाय उसमें लिखा होगा कि मंत्री जी शिलान्यास करेंगे लेकिन अध्यक्षता कार्यक्रम की इस क्षेत्र के विधायक करेंगे । शिलापट में भी क्षेत्रीय विधायक का भी नाम लिखा जाय । क्षेत्रीय विधायक उपस्थित नहीं होता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी । उसका नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नहीं रहेगा यह उसकी जिम्मेदारी होगी । यह किसी दल का नहीं पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों का मामला है । यह सरकार जो मंत्री के रूप में आये हैं । यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है सरकारी प्रोग्राम है । इसलिये मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस व्यवस्था को उसमें सुनिश्चित करा लें कि जो भी उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा उसमें मंत्री जायेंगे और कोशिश करें कि उसमें कम से कम अध्यक्षता तो क्षेत्रीय विधायक करें और शिलापट पर उसका नाम भी अंकित हो ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी आप बैठ जायं । यह तो कोई उचित परम्परा कायम नहीं कर रहे हैं आप ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं अपनी कोई बात नहीं कहनी है । मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं । आप नहीं सुनेंगे तो नहीं बोलूंगा । मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल ने पूरी बात कह दी । सभी की भावनाओं को उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया । जवाब भी आ गया । अब कहां कुछ रह गया है कहने के लिये ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, थोड़ा सा स्पष्ट करते हुये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उद्घाटन कराया जाय, शिलान्यास कराया जाय । उसके बारे में जो शासनादेश है मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जा ध्यान चाहता हूं और उनको इसका उत्तर देना होगा । डा० धर्मज्ञ जी ने जो बात कही है उद्घाटन और शिलान्यास के बारे में, आपने निर्देश जारी कर दिये, ठीक है । आवश्यकता इस बात की है कि सदस्य उद्घाटन में रहे न रहे, उद्घाटन हो जाय । जिस माननीय सदस्य द्वारा यह प्रस्तावित हो उसके लिये जो भी बोर्ड बने उसमें प्रस्तावक का नाम होना आवश्यक है ताकि पता चले कि उस क्षेत्र के विधायक का उसमें कितना योगदान है ।

(श्रीमती गौरी देवी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपको क्या कहना है इस पर ?

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, अपने क्षेत्र के बारे में बता रही हूं । मैंने कोशिश करके अपने क्षेत्र में एक 10 शैय्या का अस्पताल खुलवाया था । ठीक है मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी कल जाकर उसका उद्घाटन किया हमको एक बार सूचना तक नहीं दी गई, न हमको बुलवाया गया । कितने दुख की बात है हम प्रयास करके अपने क्षेत्र में हास्पिटल बनवाये, क्षेत्र के विकास के लिये कोशिश करें लेकिन माला मंत्री लोग पहनें, सूचना तक नहीं दी गई, इतना बड़ा दस शैय्या का अस्पताल हमने अपने प्रयास से खुलवाया । मंत्री जी परसों हमारे साथ हमारे क्षेत्र गोरखपुर गये लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, गौरी देवी तुम भी आना । श्री रमापति जी ने शिलान्यास किया, लेकिन एक बार भी सूचना अधिकारियों के माध्यम से नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

भेजी गई, मंत्री जी के माध्यम से भी नहीं दी गई, इस तरह से घोर उपेक्षा की जाती है, यह बहुत ही दुख की बात है । मंत्री जी अपने मुंह से व्यक्तिगत रूप से ही कह देते हम आपके क्षेत्र में चल रहे हैं गौरी देवी आप भी आइयेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर डा० धर्मज्ञ मिश्र, नेता विरोधी दल, श्री अम्बिका चौधरी जी, माननीय रेवती रमण जी श्रीमती गौरी देवी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात...

(व्यवधान)

माननीय बी०आर०वर्मा जी ने एक सुझाव दिया, सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर आया है कि जो समय-समय पर शासन के आदेश निर्देश जारी हुये हैं उसमें सरकार कड़ाई से पालन करें ।

(व्यवधान)

कुछ तो पीठ के विवेक पर छोड़ें, मेरा अनुरोध है हम सभी इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं । हम अपने को इतना अमहत्वपूर्ण मानकर न चलें कि समारोह की अध्यक्षता हो जाये तो माननीय विधायक की गरिमा बढ़ जाये .....

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बात सुन लें बार-बार व्यवधान न करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मिश्रा जी की कोई बात नहीं लिखी जायेगी । मैं अनुरोध कर रहा हूं कि निश्चित रूप से चाहे मंत्री जी का दौरा हो चाहे मंत्रीगणों विधायकों के पारस्परिक सम्मान का विषय हो, जब भी मंत्रीगण किसी विधायक के विधान सभा क्षेत्र में जायें, यह विषय प्रोटोकाल का भी है, प्रोटोकाल अधिकारी सूचना देते हैं, वह माननीय सदस्यों को सूचना दें, मेरा पुनः अनुरोध है यह सुनिश्चित कर लें जब किसी माननीय विधायकगण के विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्रीगण जायें तो उनकी पर्याप्त जानकारी माननीय सदस्यों को प्रोटोकाल अधिकारियों के द्वारा प्राप्त कराई जाये और कार्यक्रम का निमंत्रण भी माननीय सदस्यों को विधिवत् पहुंचना चाहिये ।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

(व्यवधान के मध्य) [× × ×]

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० सदस्य बैठ जायें। आप लोग शान्त रहें।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन ††

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम फत्तूपुर ब्रह्मनान में कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम फत्तूपुर ब्रह्मनान में कन्या जूनियर हाईस्कूल की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय तथा श्री सूर्य प्रसाद तिवारी, निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में रोडवेज बस डिपो स्थापित किये जाने विषयक श्री राम जतन मौर्य व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में रोडवेज बस डिपो स्थापित किये जाने विषयक श्री राम जतन मौर्य तथा श्री राधोराम गुप्ता, निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में के ग्राम मतेयू स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजमणि गिरि व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ग्राम मतेयू स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजमणि गिरि तथा श्री अच्युतानन्द पाठक, निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के दुर्गागंज में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अवधेश पाण्डेय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के दुर्गागंज में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के ध्वस्त भवन के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री अवधेश पाण्डेय तथा श्री सुरेश सिंह निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही दुर्गागंज अभौली में निर्माणाधीन 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के लिये धन अवमुक्त कर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही दुर्गागंज अभौली में निर्माणाधीन 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के लिये धन अवमुक्त कर निर्माण कार्य पूरा कराये जाने विषयक श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय तथा श्री मुकेश सिंह निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर में स्वीकृत महाविद्यालय भदोही के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराने तथा वर्ष 2000 जुलाई से कक्षायें संचालित कराये जाने विषयक श्री सभाजीत सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर में स्वीकृत महाविद्यालय भदोही के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त कराये जाने तथा वर्ष 2000 जुलाई से कक्षायें संचालित कराये जाने विषयक श्री सभाजीत सिंह तथा श्री राम फुलार प्रजापति निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अभिया बाजार में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने विषयक श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अभिया बाजार में पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने विषयक श्री वीरेन्द्र सिंह तथा श्री प्रेम चन्द्र वर्मा निवासी जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही के उधवा माफी में स्वीकृत मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही के उधवा माफी में स्वीकृत मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव तथा श्री कामता प्रसाद मौर्य, निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही के ग्राम कुरैया में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को आरक्षित भूमि पर ही निर्मित कराये जाने विषयक श्री ए० एन० सिंह एडवोकेट द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही के ग्राम कुरैया में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को आरक्षित भूमि पर ही निर्मित कराये जाने विषयक श्री ए० एन० सिंह एडवोकेट निवासी जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही की नगर पंचायत नई बाजार में अधूरी पेयजल निर्माण योजना की जांच कराकर पेयजल योजना को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री राधेराम गुप्ता व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका *

श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सन्त रविदास नगर भदोही की नगर पंचायत नई बाजार में अधूरी पेयजल निर्माण योजना की जांच कराकर पेयजल योजना को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री राधेराम गुप्ता तथा श्री प्यारे लाल गुप्ता निवासीगण जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–6 से 8 तक में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 2000 के पुरःस्थापन पर अनुज्ञा देने के प्रश्न पर मत विभाजन की मांग

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री गंगा बख्श सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, हम मत विभाजन की मांग करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमने मत विभाजन की मांग की है आप घंटी बजवायें और गेट बन्द करवायें।

श्री अधिष्ठाता–

घंटी बजायें।

(घंटी बजवाई गयी)

नोट :–* छापी नहीं गयी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप गेट बन्द करवायें । पांच मिनट का समय हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी समय नहीं है । 2.18 बजे घंटी बजनी शुरू हुई थी । 2.23 बजे पांच मिनट होगा ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, । × × × । पीठ की गरिमा को देखिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अध्यक्ष पीठ की गरिमा के अनुरूप ही मत विभाजन का मैंने निर्देश दिया है ।

(घण्टी बजती रही)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अब तो घण्टी बन्द करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब घंटी बन्द करवायें । प्रवेश द्वार बन्द करवायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, घण्टी बजने की 2.12 बजे डिमाण्ड की गयी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

2 बजकर 18 मिनट पर मत विभाजन की मांग की गयी थी । 2 बजकर 23 मिनट पर घण्टी बजी थी 5 मिनट ।

मैं पुनः प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मत विभाजन करवाया जाये ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आवाजें आपने देखी ही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

पहले हाथ उठाकर के हम बहुमत का निर्धारण कर लें उससे स्पष्ट नहीं होगा तो फिर लाबी डिवीजन करवाया जायेगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय । जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया हाथ उठायें ।

(गिनती की जाने लगी)

जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों, वह कृपया हाथ उठायें ।

नोट :-। × × × । यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(मतों की गिनती जारी रही)

आप लोग कृपया शांत रहें । गिनती होने दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर इनमें जरा भी नैतिकता है तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नैतिकता के प्रतीक एक मात्र आपके सामने बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें । जो प्रश्न उपस्थित किया गया था उसमें हां के पक्ष में 55 मत तथा विरोध में 83 मत पड़े हैं ।

(व्यवधान/हल्ला)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं की संख्या अधिक है इसलिए अनुज्ञा नहीं दी गयी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, पंचायतों के चुनाव को लेकर राज्य सभा के चुनाव में दलबदल को लेकर पर्वतीय अंचल के लोगों में जो असंतोष है उसको लेकर मत विभाजन में यह सरकार गिर गई है इसलिए सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए राम प्रकाश गुप्त मंत्रि मण्डल को इस्तीफा दे देना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस व्यवस्था के प्रश्न को मैं अस्वीकृत करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मद संख्या–9 उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित किया जाये । इसके लिए अनुज्ञा माननीय मंत्री जी ने मांगी थी उस पर मतदान हो गया और हाथ उठाकर आपने संख्या गिनाई है । उसमें जो आपने घोषणा की वह यह है कि ''हां'' के पक्ष में 55 सदस्य और ''ना'' के पक्ष में 83 सदस्य तो इस तरह से मान्यवर, ना का पक्ष अनुज्ञा न देने का ''हां'' पक्ष से ज्यादा है, इसलिए अनुज्ञा नहीं दी जाती है इसकी घोषणा आपको करनी चाहिए थी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह घोषणा कर दी गयी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

तो मान्यवर, इसके लिए आपको धन्यवाद । परन्तु इनके सदस्यों को इनके मंत्रिमण्डल के प्रति इतनी भी आस्था नहीं रह गयी कि वह यह धन विधेयक को प्रस्तुत करा सकें, पुरःस्थापित करा सकें । इसकी सामर्थ्य नहीं रह गई है इसका एक मात्र कारण इनके विधायकों का इस सरकार के प्रति आस्था न रह जाना है । इसलिए इस सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा नहीं कराई जायेगी, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें इस पर कोई चर्चा इस मत विभाजन के माध्यम से कोई चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को आधा घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(3 बजकर 15 मिनट)

(विपक्ष के सदस्यों के लगातार बोलते रहने पर श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे-घण्टे के लिए स्थगित कर दी ।

3 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3.30 बजे तक बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को स्थगित कर दें और मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि राज्यपाल के यहां जाकर अपना इस्तीफा दे दें । सरकार चलाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पुरःस्थापित नहीं हो पाया है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जो काला कानून था और जनता पर जिसको सरकार थोपना चाहती थी उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने पेश नहीं होने दिया । सरकार इस विधेयक को जबरदस्ती पेश करना चाहती थी लेकिन बहुमत न मिलने के कारण वह पुरःस्थापित नहीं हो सका । चूंकि यह धन विधेयक है इसलिये निश्चित तौर से सरकार गिर गयी है । श्री सी० बी० गुप्त के जमाने में इसी तरह से मामला आया था और उन्होंने तुरंत राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया था । इसलिये अब मुख्य मंत्री तुरंत जाकर राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा दे दें और राज्यपाल महोदय कोई वैकल्पिक सरकार बनाने के लिये हम लोगों को निमंत्रण दें । हम लोगों ने अपने नेता का चुनाव कर लिया है जिस वक्त राज्यपाल महोदय नेता प्रस्तुत करने के लिये कहेंगे तुरन्त उनके सामने हम अपना नेता प्रस्तुत कर देंगे । ऐसी स्थिति में आप निर्देश दें कि अब यहां बैठक की आवश्यकता नहीं है मुख्य मंत्री जी जाकर इस्तीफा दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरा एक अनुरोध सुन लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज इस सदन में एक नया इतिहास बना है । इस सदन में पहली बार कोई विधेयक पुरःस्थापित होने से वंचित रह गया है । 1967 में माननीय चन्द्रभानु गुप्त जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय एक विधेयक गिर गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया था । माननीय राम प्रकाश गुप्त जी से अनुरोध है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त का अनुसरण करते हुये अपने पद से इस्तीफा दे दें ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल ने कोई बात कही है उस पर मेरा निर्णय तो सुन लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, निर्णय से पहले आप सबको सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस समय कोई सरकार नहीं है तो सदन चलाने का औचित्य क्या है । एक पराजित सरकार सामने बैठी हुयी है, पराजित सरकार को सदन में नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है । इसलिए मुख्य मंत्री जी राज्यपाल के यहां जाकर इस्तीफा दे दें । पराजित सरकार का आप संज्ञान न लें इनको निर्देश दें कि राज्यपाल महोदय के सामने इस्तीफा दे दें । आप पीठ की गरिमा का ध्यान रखते हुये निर्देश दें कि सरकार इस्तीफा दे दे और राज्यपाल महोदय वैकल्पिक सरकार बना दें । इस सरकार को हम सरकार मानने से इन्कार करते हैं । मान्यवर, मैं आपका बहुत आदर करता हूं क्षमा करेंगे, इस सदन की कार्यवाही तब तक नहीं चलने देंगे जब तक सरकार त्यागपत्र न दे दे ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा अनुरोध तो आप सुनें ।

श्री धनीराम वर्मा–

[xxx]

(विपक्ष के कई सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

श्री प्रमोद कुमार–

|× × ×|

श्री अधिष्ठाता–

यह कहना कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी लिहाजा इसे मैं कार्यवाही से निकालने का निर्देश देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, श्री राम प्रकाश गुप्त सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

श्री राम औतर शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी सहायता करना चाह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें, मैं आपसे मार्गदर्शन ले लूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब, कृपया बैठें।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया)।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण बैठें, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम आपका पूर्ण सम्मान करते हैं लेकिन अब आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। सरकार नहीं तो पीठ नहीं, पीठ नहीं तो सदन नहीं। मान्यवर, क्षमा कीजिएगा। आप इस सरकार को निर्देश दीजिए कि वह राजभवन जाय और अपना इस्तीफा दें। क्योंकि अब न यह सरकार है और न यह सदन है।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम आपको सुनने को तैयार नहीं हैं। आपसे क्या सुनें। इस सरकार को आप निर्देश दें, इसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। आपसे सिर्फ एक निर्देश सुनेंगे कि सरकार जाये और तत्काल अपना इस्तीफा दें।

नोट :–|× × ×| यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप निर्देश के लिए बैठेंगे तो सही, पीठ से निर्देश की प्रतीक्षा तो करेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस सरकार को यहां बैठने का कोई औचित्य नहीं है । इससे पहले कि आप कोई निर्देश दें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री धर्नीराम वर्मा–

मान्यवर, जब सरकार नहीं तो निर्देश काहे का ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस समय इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं । सरकार पराजित हो चुकी है । सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप सदन स्थगित कर दीजिए । यह धन विधेयक है । धन विधेयक पर सरकार गिरी है इसलिए इस सरकार को बैठने का कोई औचित्य नहीं रह गया है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

धन विधेयक पर गिरी हुई सरकार को किसी को जिन्दा करने का अधिकार नहीं है । इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

सरकार को इस्तीफा देना चाहिए । यह कार्यवाही जारी रखने का औचित्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह धन विधेयक है ही नहीं । मैं चुनौती देता हूं यह धन विधेयक नहीं है ।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य वेल में आ गये)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर पुरःस्थापन की अनुज्ञा न मिलने पर मुख्यमंत्री के त्याग पत्र की मांग पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

आप लोग मुझे अपनी व्यवस्था देने दें । संविधान के अनुच्छेद 199 के अन्तर्गत कोई विधेयक तभी धन विधेयक होता है जब अध्यक्ष महोदय यह प्रमाणित कर दें कि वह धन विधेयक है । प्रश्नगत मामले में ऐसा प्रमाण-पत्र अभी अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दिया गया है । अतः इसे धन विधेयक नहीं माना जा सकता है । अतः मैं व्यवस्था के इस प्रश्न को निरस्त करते हुए इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूं । अतः सरकार के इस्तीफा दिए जाने के लिए संविधानिक बाध्यता नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000*

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

नियम 311 में प्राप्त नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 10-4-2000 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री समर पाल सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री कौकब हमीद, श्री परवेज हलीम, श्री बाबू लाल, तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना । कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ ।

(इस मध्य "अल्प मत की सरकार को बर्खास्त करो" के नारे लगते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री मुख्तार अंसारी, श्री लाल जी वर्मा, श्री वी० आर० वर्मा, श्री आर० के० चौधरी, श्री प्रमोद कुमार की है । कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हुआ, अतः मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

तीसरी सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, और श्री दिलीप कुमार । कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं हुआ, अतः मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

चौथी सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है, उपस्थित नहीं है ।

पांचवीं सूचना डा० अशोक वाजपेयी एवं कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है उपस्थित नहीं हुए ।

छठी सूचना श्री सीताराम निषाद की है । खड़े नहीं हुए ।

सातवीं सूचना श्री मुन्ना चौहान की ।

(घोर व्यवधान के मध्य वेल में खड़े सदस्यों के मध्य से कागज का एक गोला माननीय अधिष्ठाता पीठ की ओर फेंका गया)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 की सभी सूचनायें निरस्त की गईं ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

नोट :–† दिनांक 5 मई, 2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान जारी)

(समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तथा अन्य विपक्षी दल के सदस्यगण सदन के वेल पर आकर एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया । (घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या-14 पर अंकित वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हेतु माननीय नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने एवं उनके खड़े न होने पर चर्चा स्थगित हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 3 बजकर 51 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 6 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 6 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर पुरःस्थापन की अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री के त्याग-पत्र की मांग (क्रमागत)

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें । जो भी बात कहनी है अपने स्थान पर जाकर कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, अगर सरकार में इतनी शर्म नहीं है तो आप इसको बर्खास्त करने के लिये महामहिम राज्यपाल जी को लिखें । इसे एक पल भी बने रहने का अधिकार नहीं है ।

(4 बजकर 15 मिनट)

(विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते रहे । यह सरकार अरांवैधानिक है । मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । जो कहना है अपनी जगह जाकर कहें ।

(कागज के गोले बनाकर अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंके गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, संविधान का अनुच्छेद 199 देख लें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, नेता विरोधी दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । जो कुछ कहना है अपनी जगह जाकर कहें । कृपया मेरा सहयोग करें । आपने सदन के अन्दर कोई विषय उठाया । उस विषय के ऊपर पीठ से कोई व्यवस्था दी गई तो उसका तो सम्मान करिये । आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान के मध्य कागज के गोले और पर्चे अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंके गये)

श्री अधिष्ठाता–

सदन को तो व्यवस्थित कर लें । जो कुछ कहना है अपनी जगह पर जाकर कहें । जिस विषय को आपने उठाया उस पर स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं । विधेयक के पुरःस्थापन हेतु कोई अनुज्ञा नहीं दी गई न कोई मतदान सदन के अन्दर हुआ है । ऐसी स्थिति में मतदान नहीं माना जा सकता है और न ही इस पर सरकार का त्यागपत्र लिया जा सकता है लिहाजा संविधान में ऐसे में कोई व्यवस्था नहीं है जिस पर सरकार को त्याग-पत्र देना चाहिए । आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय नेता विरोधी दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करें । सरकार अल्पमत में आ गई है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 4.45 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों के वेल में आने तथा एक साथ अपनी-अपनी बात कहने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया । कुछ सदस्यों द्वारा कागज के गोले बनाकर अध्यक्ष आसन की ओर फेंके गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

''प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय'' के सम्बन्ध में नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

''उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय'' के सम्बन्ध में नियम–103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–15 और 16 को स्थगित किया जाता है ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

अधिष्ठाता-

नियम-51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती

० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित सहायतित महाविद्यालयों में वित्त पोषित मान्यता देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
सुरेश कुमार श्रीवास्तव	प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स से निकलने वाले कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की हैं :-

अम्बरीष कुमार	हरिद्वार नगर को आगामी बैशाखी एवं रामनवमी पर्वों के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कटौती से मुक्त रखने के सम्बन्ध में ।
राम औतार शाक्य	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गोमतीनगर फेज-2 के विभव, विजयंत भूखण्डों की रजिस्ट्री करने में धांधली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
गोरखनाथ पाण्डेय, पूर्णमासी पंकज	सन्त रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर में निर्माणाधीन बस डिपो भवन के निर्माण के सम्बन्ध में ।
श्यामदेव राय चौधरी	प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में टंकक के पद पर भर्ती हेतु लम्बित साक्षात्कार शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
चन्द्र पाल सिंह यादव	जनपद जालौन में छात्रनेता अतुल कुमार यादव पर प्राणघातक हमला किये जाने तथा उन्हें लूटे जाने के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
वसीम अहमद	जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
बुनियाद हुसैन अंसारी	जनपद सीतापुर के ग्राम सिधौली में जिलाधिकारी द्वारा उर्स के कार्यक्रम को प्रतिबन्धित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान अ किया जाता है :–

1–श्री रामचन्द्र यादव — जनपद फैजाबाद व अम्बेडकर नगर के विभिन्न ग्रा हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को आपदा राहत न जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा — जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जिले की सीमा से "पनारघाटी जलागम परियोजना" के निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में ।

3–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव — जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड कार्यालय, जमालपु सेवानिवृत्त श्री देव नारायण यादव को लभ्य ग्रेच्युटी, राशिव एवं पेंशन का भुगतान शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में ।

4–श्री जय प्रकाश — यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन वि प्रेषण तन्तुपथ निर्माण इकाई वाराणसी के भण्डारागार में अनियमितताओं की जांच राज्य सतर्कता विभाग के आं अपराध शाखा से कराये जाने के सम्बन्ध में ।

आज दिनांक 10-4-2000 को माननीय सदस्यों की निजी/क्षेत्रीय समस्याओं के अन्त श्री जोखूलाल यादव की सूचना जो नियम–51 में प्राप्त हुई थी, इन्होंने जनपद इलाहाबाद के प्रताप विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वरुना जंघई सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आ सूचना दी थी ।

(श्री जोखूलाल यादव का नाम माननीय अधिष्ठाता द्वारा पुकारे जाने एवं उनके बोलने हेतु खड़े न होने पर)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई, श्री रघुवर दयाल वर्मा, डा० धर्मज्ञ मि श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री बनारसी दास चांदना, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री राम विशुन आजा

(सदन के फ्लोर पर विपक्ष के कई सदस्य नारे लगाते रहे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्यों को जो कुछ कहना है अपने स्थान पर जा कहें ।

श्री जोखूलाल यादव जी खड़े नहीं हुए इसलिए यह सूचना निरस्त हुई ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के कार्य कलापों एवं अनियंत्रित प्रशासकीय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज व अन्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य

ससंदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को समुचित....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हुकुम सिंह–

। शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्त होने तक उन रिक्त पदों के सापेक्ष वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासनादेश संख्या-वि 21/ सेक–4–71/98–6/98, दिनांक 4-7-98 में उल्लिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त होम्योपैथिक चिकित्सा अध्यापकों, ख्याति लब्ध होम्योपैथिक चिकित्सकों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी थी । उक्त शासनादेश के अनुसार आमंत्रित किये गये प्रवक्ताओं को प्रति व्याख्यान रुपया 150/- के हिसाब से एक माह में अधिकतम् 20 व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी । इन आमंत्रित प्रवक्ताओं को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान वेतन भत्तों आदि की बचतों में उपलब्ध धनराशि के पुनर्विनियोजन से प्राप्त धनराशि से किया जाता है ।

विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण में प्राचार्यों द्वारा धन लेकर अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित किये जाने व इन प्रवक्ताओं को नियमित नियुक्ति का प्रलोभन दिये जाने तथा कतिपय अतिथि प्रवक्ताओं से एक माह में 20 व्याख्यानपूर्ण किये जाने हेतु उनको आवंटित विषय से परे विषयों में व्याख्यान दिये जाने की छूट दिये जाने जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं । प्राचार्यों द्वारा बरती जा रही उक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त व्यवस्था को अधिक कारगर बनाये जाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है जो अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु पैनल बनायेगी ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दुबे कमेटी नाम से किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया है जिसके वापस लिये जाने की मांग की गयी है । पैनल बनने तक वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी । राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में "अतिथि संकाय" नाम का कोई "संकाय" नहीं है और न ही अतिथि प्रवक्ता के पदनाम से स्वीकृत कोई पद ही है । राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है, जिसमें अतिथि प्रवक्ताओं के–स्थायी समायोजन की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इसका कोई आधार है । इस सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज मा० सदस्य द्वारा नियम–51 में दिनांक 30-3-2000 को दी गयी सूचना में इंगित दृष्टांत प्रश्नगत प्रकरण में संगत नहीं है ।

मा० सदस्य श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम–51 में दिनांक 30-3-2000 को दी गयी सूचना के संदर्भ में स्थिति यह है कि राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के प्राचार्य एवं शिक्षकों के विरुद्ध विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं उक्त कालेज के छात्र-छात्राओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शासन के निर्देशानुसार संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशालय, उ० प्र० द्वारा जांचोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर उक्त कालेज के तत्कालीन प्राचार्य एवं आवासीय चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किया गया था । शेष अन्य प्रवक्ताओं डा० डी०एन०सिंह एवं डा० पी०एन० मिश्र के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरण सत्र में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया है । डा० एस०पी० सिंह, आवासीय चिकित्साधिकारी को उक्त कालेज के प्राचार्य द्वारा उनके नवीन तैनाती के स्थान पर पदभार ग्रहण किये जाने हेतु दिनांक 20 नवम्बर, 1999 को एक तरफा अवमुक्त किया जा चुका है । इनके द्वारा नवीन तैनाती के स्थान का पदभार ग्रहण किये जाने के बारे में प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, आजमगढ़ से सूचना मांगी गयी है ।

श्री अब्दुल मन्नान मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 30-3-2000 के संदर्भ में स्थिति यह है कि केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्, 1973 द्वारा निर्धारित मानकों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इलाहाबाद व पं० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर के भवनों का निर्माण एवं साज-सज्जा का कार्य प्रगति पर है । केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षणिक संवर्ग के मानक को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को प्रवक्ताओं के पद पर चयन हेतु शासनादेश संख्या–3771/सेक–4–71/98–60/91, दिनांक 20-11-98 द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है ।

शैक्षणिक संवर्ग के अन्य पदों यथा रीडर व प्रोफेसर के पदों पर वर्तमान सेवानियमावली में 50 प्रतिशत प्रोन्नत कोटे को शत–प्रतिशत किये जाने विषयक शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों की मांग का परीक्षण कर नियमावली में समुचित संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है । प्राचार्य के तीन रिक्त पदों पर आयोग से प्राप्त संस्तुति के अनुसार दो पदों पर नियुक्ति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा तीसरे अभ्यर्थी के संदर्भ में आयोग की संवीक्षा के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे । चयन वर्ष 2000-2001 में रिक्त होने वाले सीधी भर्ती के पदों के संदर्भ में अधियाचन भेजने की कार्यवाही विचाराधीन है । इस प्रकार केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के मानकों के अनुरूप प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों को विकसित/सुसज्जित किये जाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है । ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

शिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–31 के उपबन्धों का उल्लंघन कर चयन समिति के गठन तथा अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री के निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–19 को स्थगित किया जाता है ।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर से लगातार नारे लगाते रहे यह सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो)

जनपद मथुरा में भांग के ठेके की नीलामी में की गयी अनियमितताओं तथा "हितकारी भांग का चूर्ण" की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, आबकारी मंत्री का वक्तव्य

मद संख्या–20

श्री अधिष्ठाता–

(श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा खड़े होकर वक्तव्य पढ़ने पर)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

। मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मथुरा जनपद में दिनांक 8 मार्च, 2000 को सम्पन्न भांग के ठेके की नीलामी में विभागीय

नोट:– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों द्वारा कतिपय बोलीदाताओं को बोली बोलने से वंचित करके वर्तमान अनुज्ञापी को ही अनुचित ढंग से मात्र 20,000 (बीस हजार रु० मात्र) की वृद्धि पर ठेका दे दिया गया । सूचना में यह भी कहा गया है कि वर्तमान अनुज्ञापी श्री विनय चतुर्वेदी भांग के अनियमित एवं अवैध व्यापार में लिप्त हैं तथा उनके प्रतिष्ठान से अवैध भांग बरामद भी किया जा चुका है । मा० सदस्य द्वारा यह मांग की गयी है कि दिनांक 8-3-2000 को सम्पन्न भांग के ठेके की नीलामी को निरस्त करके पुनः नीलामी करायी जाय ।

2–इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि दिनांक 8-3-2000 को मथुरा जनपद की दुकानों की नीलामी जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं देखरेख में पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारम्भ की गई थी तथा वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा रुपये 50,000 की नकद धनराशि जमा करके प्राप्त की गई रसीद धारक, समस्त इच्छुक बोलीदाताओं को नीलाम पण्डाल में प्रवेश दिया गया । नीलामी प्रारम्भ होने तक शिकायतकर्ता श्री सेवक राम आदि में से किसी भी व्यक्ति द्वारा पण्डाल में प्रवेश न दिये जाने के सम्बन्ध में आबकारी विभाग के किसी स्थानीय अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया और न ही जिलाधिकारी, मथुरा से कोई शिकायत की गई । भांग की दुकानों की नीलामी में दो प्रतिद्वन्दी ग्रुपों जिसमें एक का नेतृत्व श्री गंगा प्रसाद व दूसरे का श्री विनय चतुर्वेदी व श्री सुरेश चन्द्र कर रहे थे, द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र के आधार पर बोली दी गई । श्री विनय चतुर्वेदी आदि की बोली सर्वोच्च होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा स्वीकार की गई ।

3–जांच से यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ है कि शिकायतकर्ता श्री सेवक राम अग्रवाल के पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल भांग के अवैध व्यापार में लिप्त हैं, जिन्हें दि० 26-11-1999 को अवैध भांग के साथ पकड़ा गया था एवं इस घटना से सम्बन्धित वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा के समक्ष विचाराधीन है । थाना गोविन्द नगर, जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा भी महेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सेवक राम अग्रवाल को दिनांक 31-7-1999 को अवैध भांग के साथ पकड़ा जा चुका है । आबकारी अपराध में लिप्त होने के कारण श्री सेवक राम अग्रवाल आदि के नाम आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र की समेकित सूची में भी सम्मिलित नहीं हैं ।

4–मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना में हाथरस जनपद में भांगयुक्त हितकारी चूर्ण बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने के उल्लेख के सम्बन्ध में जांच से यह स्पष्ट हुआ कि दिनांक 25-8-1999 को कस्बा सासनी, हाथरस में तथा दिनांक 20-12-1999 को हाथरस कस्बे में इसी प्रकार की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें दो बोरी 33 ग्राम चूर्ण भी बरामद किया गया था, परन्तु यह प्रकरण जनपद हाथरस से सम्बन्धित है तथा जनपद मथुरा के भांग के ठेके से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मथुरा जनपद के लिये वर्ष 2000-2001 के भांग अनुज्ञापी श्री विनय चतुर्वेदी की उपर्युक्त अपराधों में संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं है ।।

प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निदान हेतु लागत के अनुसार आलू का समर्थन मूल्य निर्धारित करने एवं कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा मनमाने रेट के स्थान पर भण्डारण दर 60 रुपया प्रति कुन्तल करने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद व अन्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

मद संख्या -21

श्री अधिष्ठाता–

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर वक्तव्य पढ़ने पर)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 दिनांक 30-03-2000 को नियम-311 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निदान हेतु कार्यस्थगन की सूचना दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में टिप्पणी दिनांक 30-03-2000 को सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। उक्त टिप्पणी के आधार पर मा० अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य स्वीकार करते हुए दिनांक 10-04-2000 को वक्तव्य के लिए तिथि निर्धारित की है।

1–प्रदेश में आलू के उत्पादन के गत पांच वर्ष के आंकड़े निम्नवत् हैं :–

वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)		उत्पादन (लाख टन में)	
1996		3.71		74.65
1997		4.25		95.91
1998		3.98		58.44
1999		4.21		95.34
2000	अनुमानित	4.21	अनुमानित	96.00

2–प्रदेश में गत पांच वर्षों में शीतगृहों की संख्या व भण्डारण क्षमता निम्नवत् है :–

वर्ष	कार्यरत शीतगृहों की संख्या	भण्डारण क्षमता (लाख मीट्रिक टन)
1996	737	40.22
1997	795	42.22
1998	834	43.22
1999	950	51.78
2000	1000	58.28

3–शासनादेश दिनांक 03-02-2000 द्वारा शीतगृहों में भण्डारण हेतु रु० 72 प्रति कुन्तल की सीमा के अन्तर्गत शीतगृह मालिकों से दर निर्धारित कराने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है जिसके सापेक्ष विभिन्न जनपदों/मण्डियों में आलू का थोक बाजार भाव, भण्डारण दर एवं भण्डारण का प्रतिशत निम्नवत् है :–

दिनांक 06-04-2000

जनपद का नाम	थोक बाजार भाव (रु० प्रति कुन्तल में)	भण्डारण दर	भण्डारण प्रतिशत
फर्रुखाबाद	100–118	80.00	83
बरेली	155–465	72.75	75
शाहजहांपुर	160- 170	72.00	72
पीलीभीत	150-160	72.00	70
कन्नौज	100–120	80	84

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद का नाम	थोक बाजार भाव (रु० प्रति कुन्तल में)	भण्डारण दर	भण्डारण प्रतिशत
गोरखपुर	250–270	82.00	62
कुशीनगर	200–225	95.00	21
बलिया	225–250	82.00	41
महाराजगंज	250–275	82.00	20
आगरा	125–150	80.00	100
इटावा	180–200	72.00	75
लखनऊ	160–200	80.00	60
वाराणसी	190–200	82.00	62
फिरोजाबाद	220–250	80.00	40
बाराबंकी	220–250	80.00	66
मेरठ	180–185	65.82	78
इलाहाबाद	180–200	82.00	75

4–इस वर्ष किसानों ने काफी अधिक मात्रा में कच्चा/अगैती आलू खोदा, जिस कारण आलू का थोक भाव काफी गिरा । इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु शासन स्तर से निम्नलिखित उपाय किये गये :–

(1) मुख्य सचिव के स्तर से दिनांक 20-01-2000 के शासनादेश द्वारा मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के स्तर पर समितियां गठित करायी गयीं और उन्हें आलू को बाहर के प्रदेशों में भेजने तथा मूल्य वृद्धि के प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया । इस समिति से यह भी कहा गया कि वे शीतगृहों में अग्रिम बुकिंग व्यवस्था को लागू करें तथा आलू का भाव गिरने से रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास करें ।

(2) दिनांक 03-02-2000 के शासनादेश द्वारा इस वर्ष शीतगृहों के भण्डारण दर को रु० 72 प्रति कुन्तल की सीमा के अन्तर्गत शीतगृह मालिकों से दर निर्धारित करने पर सहमति कराने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया ।

(3) रेलवे रेकों से आलू बाहर के प्रदेशों में भिजवाया गया । फर्रुखाबाद से 19 रेक आलू व मुरादाबाद से 02 रेक आलू आसाम भेजा गया । इस प्रकार लगभग 40–42 हजार टन आलू रेलवे से प्रदेश से बाहर गया ।

(4) दिनांक 10-02-2000 के शासनादेश द्वारा ट्रकों से आलू के बाहर के राज्यों में सुगमता एवं सुविधापूर्वक संचरण हेतु हर सम्भव सहायता प्रदान करने के निर्देश सम्बन्धित मंडलायुक्तों/जिलाधिकारियों को दिये गये । यह अनुमानित है कि लगभग 5–7 लाख टन आलू ट्रकों के माध्यम से प्रदेश के बाहर के राज्यों यथा आसाम, नेपाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के प्रमुख मण्डियों में मुख्यतया गया है ।

(5) वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 व वर्ष 1996-97 में प्रदेश सरकार "द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना" लागू की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आधा-आधा व्यय वहन किया जाता है । इसमें आलू की उत्पादन लागत के सापेक्ष आलू की क्रय दर निर्धारित कर विभिन्न केन्द्रीय/राज्य की क्रय एजेन्सियों से खरीद कराकर आलू के बाजार भाव को गिरने से रोका जाता है ।

वर्ष 1996-97 में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत 50 हजार मीट्रिक टन आलू के क्रय का निर्णय लिया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र लगभग 845 मीट्रिक टन आलू का क्रय किया गया । इस प्रकार यह योजना अपने उद्देश्य में असफल रही । यही कारण है कि गत वर्ष एवं इस वर्ष इस योजना को लागू किया जाना उपयोगी नहीं पाया गया । इसका प्रमुख कारण यह है कि भाव में गिरावट, कच्चे/अगैती आलू की खुदाई से प्रारम्भ होता है, जिसका भण्डारण सम्भव नहीं है । भण्डारण हेतु उपयुक्त पक्का/पिछैती आलू का आगमन माह फरवरी के मध्य से होता है, जबसे शीतगृहों में भण्डारण भी प्रारम्भ हो जाता है और भाव में मांग आपूर्ति सिद्धान्त के अनुसार बढ़त आ जाती है ।

इस वर्ष भी यही चक्र घटित हुआ है । दूसरा कारण यह है कि बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत क्रय किया गया आलू केवल शीतगृहों में भण्डारित हो सकता है और इस प्रक्रिया में काफी हानि सम्भावित होती है ।

(5) उपरोक्त टिप्पणी से यह देखा जा सकता है कि कृषि की अन्य फसलों की भांति आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने में गम्भीर व्यावहारिक समस्यायें है । इनके निदान हेतु निम्न उपायों पर शासन द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है :–

(क) रिमोट सेंसिंग पद्धति से आलू के उत्पादन सम्बन्धी प्रामाणिक आंकड़े जनपदवार/ब्लाकवार एकत्र किया जाना, जिससे सही समय पर शासन, व्यवसायी, शीतगृह मालिक व कृषिकों को आलू की फसल के उत्पादन/उत्पादकता सम्बन्धी सही आंकड़े मिल सकें और इनके आधार पर उपरोक्त स्तरों पर सही नीतियां/निर्णय लिए जा सकें ।

(ख) लघु एवं सीमान्त आलू कृषकों को "किसान क्रेडिट कार्ड" उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें आसानी से ऋण मिल सके, जिसका उपयोग वे रवी की बुआई के निवेशों के क्रय हेतु कर सकें, जिससे उन्हें अगैती आलू सही समय पर बेचकर अच्छा दाम मिल सके । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों को शासनादेश दिनांक 22-03-2000 द्वारा निदेशित किया जा चुका है ।

(ग) आलू की वैराइटी में परिवर्तन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे आलू आधारित उद्योगों के लिए कम स्टार्च/सर्करा/पक्का आलू ज्यादा उत्पादित हो सके ।

(घ) आलू आधारित उद्योग जैसे–चिप्स, पाउडर, भुजिया आदि लगाने हेतु इस वर्ष आलू उत्पादक क्षेत्रों में विशेष प्रयास किये जायेंगे ।

(ङ) निकटवर्ती देशों यथा श्रीलंका, मालदीप व दक्षिण पूर्वी देशों में निर्यात की सम्भावनाओं पर इस वर्ष विशेष प्रयास किये जा रहें हैं । इस हेतु "ऊर्जा" नामक रसायन को भी विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका शीतगृहों में भण्डारित आलू पर उपचार आलू के सर्कराकरण व अंकुरण को रोकता है तथा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है । बाहर के देशों में निर्यात हेतु यह उपचार आवश्यक बताया गया है । इस वर्ष प्रयोग के रूप में 20 शीतगृह मालिकों द्वारा 23,000 टन आलू पर किया जा रहा है । इस प्रयोग के सफल रहने पर आगामी वर्षों में ऊर्जा उपचारित आलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों व निर्यात में तेजी लायेगी ।

(च) भण्डारण दर के निर्धारण पर शासकीय नियंत्रण को वर्ष 1997 से समाप्त करने के उपरान्त प्रदेश में भण्डारण क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । वर्ष 1990 में 950 कार्यरत शीतगृहों की क्षमता लगभग 52 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि इस वर्ष कार्यरत शीतगृहों की संख्या 1,000 हो गयी है और भण्डारण क्षमता लगभग 58 लाख मीट्रिक टन पहुंच गयी है । इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और भण्डारण दर में भी कमी आयी है । भारत सरकार द्वारा नये निर्मित हो रहे शीतगृहों को अनुमन्य

अनुदान दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है और शीतगृहों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपरोक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि आलू उत्पादकों को अच्छा मूल्य दिलाने हेतु उपरोक्तानुसार बहुमुखी रणनीति पर अमल किये जाने से ही उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिल सकेगा।।

जनपद अम्बेडकरनगर में थिरुजानाला की सफाई न किये जाने से किसानों की फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

मद संख्या-22

श्री अधिष्ठाता–

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर वक्तव्य पढ़ने पर)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

।माननीय सदस्य द्वारा उक्त सूचना में कहा गया है कि ग्राम देईपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में थिरुजानाला की सफाई न होने के कारण विधान सभा क्षेत्र टांडा में बाढ़ आ जाती है जिसके कारण हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है और मकान गिर जाते हैं।

2–अवगत कराना है कि थिरुजानाला कादीपुर से निकल कर घाघरा नदी में गिरता है। इस नाले की कुल लम्बाई 30.10 कि०मी० जल ग्रहण क्षेत्र 102 वर्ग मील एवं जल निस्तरण क्षमता 1190 क्यूसेक हैं। घाघरा नदी के बैक वाटर के कारण वर्षा में जल भराव की समस्या हो जाती है।

3–वर्तमान में नाले में अत्यधिक जंगल, बेहया, सिल्ट आदि जमा हो गई है जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। अतः इस नाले की सफाई कर पुनर्स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में नाले में पानी भरा होने के कारण विस्तृत सर्वेक्षण कर प्राक्कलन बनाना सम्भव नहीं है। नाला सूखने के उपरान्त विस्तृत सर्वेक्षण एवं विस्तृत प्राक्कलन बनाया जा सकेगा। कार्य को कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।।

जनपद लखीमपुर में ब्लाक लखीमपुर अन्तर्गत एस०आर०वाई० के धन के दुरुपयोग व नियमित खर्चों की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य-मंत्री का केवल वक्तव्य

मद संख्या-23

श्री अधिष्ठाता–

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर वक्तव्य पढ़ने पर)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

।मा० डा० कौशल किशोर द्वारा उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 30-3-2000 में प्रमुख रूप से लालपुर बैरियर चौराहे से उजार ग्राम तक मार्ग, ग्राम मसौड़िया के उत्तर रेलवे लाइन से लखीमपुर देवकली मार्ग तक एवं

नोटः–।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खीरी ओयल मार्ग से ग्राम भूसेपुर खुर्द तक मार्ग निर्माण में पूर्व से ग्राम सभा द्वारा कराये गये मिट्टी कार्य आदि में सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा उपलब्ध कराये गये धन का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किये जाने, ब्लाक द्वारा कराये गये सभी कार्य मानक के अनुसार न होने, मार्गों की स्वीकृति क्षेत्र समिति के प्रस्ताव स्तर तक न होने, कार्यालय में ही बैठकर मार्गों को स्वीकृत करके इस्टीमेट दर्ज कर या बनाकर मार्गों को बनाने की स्वीकृति देने, मार्गों को किसी अधिकारी द्वारा न देखे जाने तथा मार्गों को पुनः स्वीकृत कर उन पर मिट्टी डालकर पैसा हड़प लेने की साजिश को संज्ञान में लाया गया है। मा० विधायक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा बनवाये गये मार्गों पर जो बोर्ड लगाये गये हैं उनमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है।

मा० सदस्य द्वारा इंगित बिन्दुओं/तथ्यों के संबंध में जनपद से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित तीनों मार्गों पर खण्ड विकास कार्यालय द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि से कोई कार्य नहीं कराया गया है।

खण्ड विकास कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर किसी प्रकार के बोर्ड नहीं लगाये गये हैं बल्कि मार्ग निर्देश के अनुसार बोर्ड अभी तैयार कराये जा रहे हैं। खण्ड विकास कार्यालय द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की कार्ययोजना क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के आधार पर तैयार की गई है। वर्ष 1999-2000 की कार्ययोजना का अनुमोदन दिनांक 25-1-2000 को नियोजन एवं विकास समिति की बैठक में किया गया है।

खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त उपर्युक्त तीनों मार्ग निरस्त किये जा चुके हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार का धन उक्त तीनों मार्गों पर व्यय नहीं किया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कराये गये सभी कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है।।

लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर द्वारा चांदपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत लहुरीमऊ, असमारमऊ आदि ग्रामों के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य-मंत्री का केवल वक्तव्य

मद संख्या-24

श्री अधिष्ठाना-

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर वक्तव्य पढ़ने पर)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पेंशनयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

। प्राप्त सूचना के अनुसार हमीरपुर घाटमपुर मुख्य मार्ग से लहुरीमऊ के पास चांदपुर मार्ग जिसकी लम्बाई 7.35 किलोमीटर है का निर्माणकार्य वर्ष 1981 में स्वीकृत/प्रारम्भ हुआ था जो वर्ष 1992 में पूर्ण हुआ। उक्त मार्ग में ग्राम बगरिया, असवारमऊ, समुरी एवं लहरीमऊ (कासिमपुर) के लगभग 350 कृषकों की भूमि ली गई है। उक्त भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 28-1-99 को निर्गत की जा चुकी है जिसका प्रकाशन शासकीय गजट में दिनांक 3-4-99 को हो चुका है और नियम में धारा-6/16 की अधिसूचना निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

नोट:- । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा माह जनवरी, 2000 में शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसकी कार्यवाही प्रगति में है । उपरोक्तानुसार अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त भूमि के प्रतिकर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा की जायेगी ।

प्रश्नगत प्रकरण में मार्ग निर्माण वर्ष 1981 में प्रारम्भ होने से अब तक उक्त भू-अर्जन हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही न करने एवं परिणामस्वरूप कृषकों को उनके मुआवजे का भुगतान न हो पाने के सम्बन्ध में हुये विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है । ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 10 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 194 विधान सभा (375)–18–9–2000–813 (डी०टी०पी०) ।